

©
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2010

मूल्य

अन्तर्देश : रु. 65

विदेश : यू.एस. डालर 5

आर्मी प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ से मुद्रित
33, नेहरू रोड, सदर कैंट, लखनऊ - 226 002
फोन : 2481164, 2483354

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन : राज्य के वित्त, उत्तर प्रदेश सरकार, 2008-09



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का
राज्य के वित्त पर
प्रतिवेदन
31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये



उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(राज्य के वित्त)
उत्तर प्रदेश सरकार



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का
राज्य के वित्त पर
प्रतिवेदन

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

fooj.k	l nHk	
	iLrj l 4;k	i"B l 4;k
çkDdFlu		v
dk; ßkjh l kj		vii
v/; k; 1		
jKT; l jdkj dsfoÙk		
वर्तमान वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	6
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	7
संसाधनों का उपयोग	1.4	11
व्यय की गुणवत्ता	1.5	16
सरकार के व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.6	21
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें	1.7	26
ऋण संवहनीयता	1.8	28
राजकोषीय असंतुलन	1.9	29
निष्कर्ष	1.10	33
संस्तुतियाँ	1.11	34
v/; k; 2		
foÙk; çakl ,oactV fu;æ.k		
प्रस्तावना	2.1	37
विनियोग लेखों का सार	2.2	37
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन	2.3	38
ए.सी. बिलों के विरुद्ध डी.सी.सी. बिलों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	2.4	43
असमाधानित व्यय	2.5	43
वैयक्तिक खाता लेखे	2.6	44
बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ	2.7	46
चयनित अनुदान की समीक्षा	2.8	46
निष्कर्ष	2.9	47
संस्तुतियाँ	2.10	48
v/; k; 3		
foÙk; fjikV&k		
उपभोग प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	49
स्वायत्त निकायों द्वारा लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.2	50
विभागीय वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम	3.3	50
दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि	3.4	51
निष्कर्ष	3.5	52
संस्तुतियाँ	3.6	52

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्र. (i)	परिशिष्ट का विवरण (ii)	पृष्ठ संख्या (iii)
परिशिष्ट 1.1	वर्ष 2008-09 के लिए प्राप्तियों एवं सवितरणों का सार	53
परिशिष्ट 1.2	राज्य के अपने राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम	56
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े	58
परिशिष्ट 1.4	आउटले-आउटकम में संबंध	61
परिशिष्ट 1.5	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के वित्तीय विवरण का सार	62
परिशिष्ट 1.6	31 मार्च 2009 को उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का सार	63
परिशिष्ट 2.1	अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग में बचत 10 करोड़ रुपये से अधिक अथवा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक था	64
परिशिष्ट 2.2	अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग में व्यय 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक था	67
परिशिष्ट 2.3	पूर्व वर्षों में प्रावधान से अधिक के नियमितीकरण की आवश्यकता	68
परिशिष्ट 2.4	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में 50 लाख रुपये या उससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	69
परिशिष्ट 2.5	अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक अनुदान/विनियोग में 2 करोड़ रुपये से अधिक थी, अपर्याप्त सिद्ध हुए	71
परिशिष्ट 2.6	अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुनर्विनियोग	72
परिशिष्ट 2.7	वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अधिक मात्रा में अभ्यर्पण	77
परिशिष्ट 2.8	वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण (50 लाख रुपये या अधिक)	82
परिशिष्ट 2.9	अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिनमें बचतें हुईं परंतु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया	83
परिशिष्ट 2.10	अभ्यर्पित न की गई एक करोड़ रुपये एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण	85
परिशिष्ट 2.11	30 एवं 31 मार्च 2009 को 10 करोड़ रुपये से अधिक निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	88
परिशिष्ट 2.12	वर्ष 2008-09 तक लम्बित आकस्मिक बिल सार	90
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2009 को अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	91
परिशिष्ट 3.2	स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन का सार	93
परिशिष्ट 3.3	विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखों को तैयार करने एवं निवेशों का विवरण	94
परिशिष्ट 3.4	दुर्विनियोग, गबन आदि के विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का विघटन (जिनमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2009 तक लम्बित थी)	95

परिशिष्ट 3.5	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के कारण सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभाग/श्रेणीवार विवरण	96
परिशिष्ट 3.6	2008-09 में विभागवार अपलेखित किए गए प्रकरणों का विस्तृत विवरण	97
'Kinkoyh		
गणना का आधार		98
पदों की व्याख्या		99
प्रथमाक्षरी		101

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से भी, जहाँ पर आवश्यक था, सूचनायें प्राप्त की गयी हैं। अध्याय 3 'वित्तीय रिपोर्टिंग' वर्ष 2008-09 में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों का सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति एवं उसका विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

विभिन्न विभागों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों एवं परिषदों के लेखापरीक्षा तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रेक्षणों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये गये हैं।

कार्यकारी सार

भूमिका

उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2004 में बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का पालन करते हुए "उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004," पारित किया जिसमें मध्यम अवधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में राजकोषीय सुधार पथ के माध्यम से सुधार लाने एवं दीर्घकालीन अवधि में वृद्धि को सुनिश्चित करने के साथ अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने की बातें निहित थी। इन सुधारों की निरंतरता बनाए रखने हेतु सरकार की वचनबद्धता भी राज्य सरकार की नीतियों एवं बजटों में मुख्यतः परिलक्षित होती रही है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम के लाभ पहले से ही मुख्य राजकोषीय चरों के अंतर्गत स्पष्ट होने लगे हैं, फिर भी, राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों में वैट लागू कर, नये मदों पर कर लगाकर एवं पूंजीगत व्ययों में वृद्धियों को प्राथमिकता देकर, राजकोष में वृद्धि करने की नीतिगत पहल राजकोषीय स्थायित्व एवं लोक व्ययों की गुणवत्ता में सुधार लाने में आवश्यक रूप से मददगार साबित होगी।

वर्ष 2004 में शासन द्वारा अधिनियम, 2004 पारित होने के उपरान्त से ही शासन के वित्तीय स्थितियों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में टिप्पणियाँ की जाती रही है और तब से तीन प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया जा चुका है। चूंकि, सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में परफारमेंस आडिट एवं लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणामों के साथ-साथ यह टिप्पणियाँ भी सम्मिलित रहती थीं जिसके फलस्वरूप यह महसूस किया गया कि राज्य सरकार के वित्तीय व्यवस्थाओं पर की गयी टिप्पणियाँ लोगों का उचित ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती हैं। अतः राजकोषीय व्यवस्थाओं पर की गयी टिप्पणियों को महत्व देने हेतु यह उचित समझा गया कि राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर एक पृथक प्रतिवेदन टिप्पणियों पर विशेष बल देने हेतु निकाला जाए।

प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश सरकार के समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष मार्च 2009 के लेखापरीक्षा किये गये लेखों के आधार पर राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं यह 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष पर सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में वचनवद्ध व्ययों में प्रवृत्ति एवं लिये गये ऋणों के प्रतिरूप के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा सीधे तौर पर (बिना राज्य सरकार के बजट माध्यम से) राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित की गयी धनराशियों का एक संक्षिप्त विवरण भी है।

अध्याय 2 विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं इसमें अनुदानवार विनियोगों का तथा विभागों को आबंटित किये गये संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया गया है का विवरण भी है।

अध्याय 3 राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रतिवेदनों की आवश्यकतायें एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा-जोखा है। टिप्पणियों के समर्थन में विभिन्न स्रोतों से एकत्र किये गये अतिरिक्त आंकड़ों के परिशिष्ट भी इस प्रतिवेदन में संलग्न किये गये हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

राजकोषीय सुधार: वर्ष 2008-09 की अवधि में सरकार की राजकोषीय स्थिति में वर्ष 2007-08 की तुलना में गिरावट आयी। सरकार के वचनवद्ध व्ययों पर छठें वेतन आयोग की

संस्तुतियों का भी दबाव बना रहा। सरकार द्वारा कर-बकायों की वसूली द्वारा, सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव पर किये जा रहे व्ययों की वसूली द्वारा, सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं को नियत समय के अन्दर पूरा करके एवं इन परियोजनाओं को आय का एक स्रोत बना कर, अनुत्पादक व्ययों में कटौती द्वारा तथा बाजार से लिये जाने वाले ऋणों को हतोत्साहित कर राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार लाया जा सकता है (प्रस्तर 1.9.1)।

लोक व्ययों को अधिक प्राथमिकता : राष्ट्रीय औसत की तुलना में हालाँकि राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 की अवधि में पूंजीगत परिव्ययों को पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता दिया था फिर भी, प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय राष्ट्रीय औसत से कम था। उत्तर प्रदेश राज्य को अन्य राज्यों के समानान्तर लाने हेतु विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों में व्यय को और ज्यादा प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ, विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों में किये गये प्रति व्यक्ति व्यय समस्त राज्यों के द्वारा किये गये औसत व्ययों से कम था। इस परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार लोक व्ययों में पुनः प्राथमिकताओं को तय करने पर विचार कर सकती है (प्रस्तर 1.5.1)।

राज्य सरकार के निवेशों की समीक्षा: राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों एवं सहकारिता में किये गये निवेशों से विगत तीन वर्षों में औसत आय 0.007 प्रतिशत थी जबकि उसी अवधि में राज्य सरकार द्वारा ऋणों पर 6.49 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया गया था (प्रस्तर 1.6.3)। स्पष्टतः, यह स्थिति असंवहनीय है। अतः राज्य सरकार द्वारा निवेशित धनराशियों पर आय हेतु विचार किया जाना चाहिए। नहीं तो, उच्च ब्याज की दरों पर लिये गये ऋणों का कम लाभप्रद परियोजनाओं में निवेश किये जाने से राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहेगा। इस हेतु, ऐसी परियोजनायें जो कम लाभप्रद हो परन्तु जिनका सामाजिक-आर्थिक लाभ अधिक हो, को चिन्हित किया जाना चाहिए तथा उनमें उच्च दरों पर लिये गये ऋणों का निवेश पूर्णरूप से न्यायोचित ठहराते हुए प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। राज्य के अत्यधिक हानियाँ वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए एवं उनके महत्व तथा पुर्नजीवन की संभावना के आधार पर उनको बंद करने अथवा अन्यथा हेतु उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।

रोकड़ का विवेकपूर्ण प्रबंधन: अत्यधिक नगदी अवशेषों को बनाये रखना राज्य सरकार के लिए मंहगा है। वर्ष 2008-09 की अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक के ट्रेजरी बिलों में निवेश किये गये नगद धनराशियों पर मात्र 4.08 प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ था जबकि सरकार द्वारा 6.06 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण लिया गया था (प्रस्तर 1.6.6)। उचित ऋण प्रबंधन हेतु पुनर्नियोजन द्वारा अत्यधिक नगद धनराशियों के बनाये रखने की आवश्यकता को कम किया जा सकता है।

ऋण संवहनीयता: राज्य सरकार द्वारा मानक स्वरूप ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, जैसाकि राजकोषीय सुधार अधिनियम में निहित है, प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुल दायित्व उस वर्ष के लिये प्राक्कलित राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रस्तर 1.7.3)। ऋण के रूप में लिये गये धनराशियों का 96 से 97 प्रतिशत का उपभोग विगत दो वर्षों में ऋण दायित्वों के भुगतान में किया गया जिससे कि राज्य ऋण जाल की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार को यह चाहिए कि वह ऋणों की धनराशियों का प्रयोग, जहाँ तक संभव हो, सिर्फ पूँजीगत व्ययों को वहन करने हेतु करें तथा राजस्व व्ययों का वहन राजस्व प्राप्तियों से ही करें। इसके अतिरिक्त, लिये गये ऋणों का एक कलेण्डर तैयार किया जाना चाहिए जिससे कि वर्ष के अंत में ऋणों को एकत्र होने से रोका जा सकें। परिपक्व

ऋणों के भुगतान का अनुश्रवण ऋणों के विवेकपूर्ण प्रबंधन में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। **वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण:** 17,437.70 करोड़ रुपये की कुल बचतें 21,790.88 करोड़ रुपये की बचतों का परिणाम थीं जो 4,353.18 करोड़ रुपये के व्ययाधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था (प्रस्तर 2.2)। योजना विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, गृह (पुलिस) विभाग एवं वित्त (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) विभाग में विगत पाँच वर्षों में अनवरत अत्यधिक बचतें हुईं (प्रस्तर 2.3.2)। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत 3,399.42 करोड़ रुपये के व्ययाधिक्य को नियमित किये जाने की आवश्यकता है (प्रस्तर 2.3.5)। अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान एवं अधिक, अनावश्यक रूप से किये गये धनराशियों के पुनर्विनियोगों के भी प्रकरण थे। इसके अतिरिक्त, बचतों से अधिक समर्पण किया जाना/न किये जाने के भी कई प्रकरण थे। वित्त वर्ष के अंत में अत्यधिक व्यय किया जाना वित्त प्रबंधन में एक असाध्य लक्षण पाया गया (प्रस्तर 2.3.12)। एब्सट्रेक्ट कन्टीजेंट बिलों पर आहरित अग्रिमों की अत्यधिक धनराशियों के विस्तृत बिल प्रस्तुत नहीं किये गये थे (प्रस्तर 2.4)। वैयक्तिक लेखों की भी स्थिति संतोषजनक नहीं थीं क्योंकि विधान मण्डल के वित्तीय नियंत्रण सिद्धान्त के विरुद्ध बड़ी मात्रा में धनराशि वैयक्तिक लेखों में अवरुद्ध होकर पड़ी हुई थीं।

राज्य सरकार के समस्त विभागों में विशेषकर उन चार विभागों में जिनमें विगत पाँच वर्षों में अनवरत रूप से बचतें हुईं, बजट नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। विभागों को धनराशियों के अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोगों से बचना चाहिए तथा अतिरिक्त प्रावधानों/प्रावधानित धनराशियों को निकाले जाने के कारणों को विस्तृत रूप से पुनर्विनियोग के आदेशों में उल्लेख किया जाना चाहिए। व्ययों पर इकाईवार नियंत्रण किया जाना चाहिए एवं पूर्वानुमानित बचतों को वित्त विभाग को समर्पित किया जाना चाहिए जिससे कि धनराशियों का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकें। वित्तीय वर्ष के अंत में धनराशियों का पुनर्विनियोग भी कम से कम किया जाना चाहिए।

वित्तीय रिपोर्टिंग: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों के पालन किये जाने में कमियाँ थीं जैसाकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्राप्त किये गये ऋणों एवं अनुदानों के उपभोग प्रमाण पत्रों के प्रेषण में विलम्ब था। कुछ स्वायत्त निकायों एवं विभागीय उपक्रमों द्वारा भी वार्षिक लेखों के प्रेषण में विलम्ब किया गया। हानि एवं दुर्विनियोग के भी प्रकरण थे (प्रस्तर 3.4)। इन प्रकरणों में विभागीय जाँच में तेजी लायी जानी चाहिए जिससे कि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकें तथा समस्त विभागों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए जिससे कि भविष्य में ऐसे प्रकरणों को रोका जा सके।

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2008-09 की अवधि के वित्त का वृहद् परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पांच वर्षों की अवधि का समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य राजकोषीय समूहों का विगत वर्ष की तुलना में समीक्षात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। इस अध्याय में विश्लेषण सरकार के वित्त लेखे एवं सरकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया गया है। सरकार के लेखे की संरचना एवं वित्त लेखे की रूपरेखा को **बाक्स 1.1** (पृष्ठ 2) में प्रदर्शित किया गया है।

1.1 वर्तमान वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

सारणी 1.1 में राज्य सरकार के विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2008-09) के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत है जबकि **परिशिष्ट 1.1** वर्तमान वर्ष के प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ राजकोषीय स्थिति समग्र रूप से प्रस्तुत करता है।

सारणी 1.1 : राजकोषीय स्थिति का सारांश

(करोड़ रुपये में)

çkflr; k			l forj.k				
	2007-08	2008-09		2007-08	2008-09		
Hkx&v	; kx	; kx	Hkx&v	; kx	vk;kturj	vk;ktukr	; kx
jktLo ikflr; k	68,672.47	77,830.73	jktLo 0; ;	65,223.21	58,677.55	17,291.34	75,968.89
कर राजस्व	24,959.32	28,658.97	सामान्य सेवायें	26,550.75	29,557.38	211.94	29,769.32
करेतर राजस्व	5,816.01	6,766.55	सामाजिक सेवायें	23,085.57	16,961.79	11,584.22	28,546.01
संघीय करों/शुल्कों का अंश	29,287.74	30,905.72	आर्थिक सेवायें	12,037.40	8,654.17	5,495.18	14,149.35
भारत सरकार से अनुदान	8,609.40	11,499.49 ¹	सहायक अनुदान एवं अंशदान	3,549.49	3,504.21	---	3,504.21
Hkx&c			Hkx&c				
fofo/k i ptxr ikflr; k	---	---	it hxr ifj0; ;	16,950.38	4,258.23	18,087.49	22,345.72
_.k , oa vfxela dh ol yh	448.61	778.09	_.k , oa vfxela dk l forj.k	741.96	416.68	390.33	807.01
ykd _.k ikflr; k	9,078.70	16,760.03	ykd _.k dk i qhkrku	5,368.87	6,776.49	--	6,776.49
vkdfLedrk fuf/k	603.78	170.92³	vkdfLedrk fuf/k	116.72	---	--	--
ykd yk ikflr; k	77,870.18	1,04,251.96	ykd yk l forj.k	68,560.32	1,00,026.64	--	1,00,026.64
प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष	15,487.88	15,200.16	अंतिम रोकड़ अवशेष	15,200.16	9,067.14	--	9,067.14
; kx	1,72,161.62	2,14,991.89	; kx	1,72,161.62	1,79,222.73	35,769.16	2,14,991.89

स्रोत : वित्त लेखे

¹वाह्य सहायता 249.80 लाख रुपये सम्मिलित।

²अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निबल लेन-देनों को छोड़कर।

³31 मार्च 2008 तक निधि से व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

बाक्स 1.1

I jdkjh yfks dk : i ,oa <kpk	
I jdkjh yfks dk <kpk : राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है $\frac{1}{2}$ समेकित निधि $\frac{1}{2}$ आकस्मिकता निधि तथा $\frac{1}{2}$ लोक लेखा।	
II I esdr fuf/k% राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा ऋणों की वापसी द्वारा सरकार को प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगा जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।	
II vldfledrk fuf/k : संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम के लिए राज्यपाल को सक्षम बनाने हेतु उनके निस्तारण पर रखा जाता है जोकि विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत हेतु लम्बित रहता है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि को समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।	
III ykd yfks% प्राप्तियों एवं संवितरणों से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों यथा लघु बचतों, भविष्य निधि, संचित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत बनाये गये लोक लेखा में रखा जाता है एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।	
forR yfks dk [kdk	
fooj.k I f; k	[kdk
1	राज्य सरकार के लेन-देनों का सारांश-राज्य के समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में प्राप्तियों एवं व्यय, राजस्व तथा पूंजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ तथा संवितरण इत्यादि।
2	प्रगामी व्यय दर्शाते हुए वर्ष 2008-09 के अन्त तक पूंजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण।
3	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियों, कार्यशील व्यय तथा रख-रखाव प्रभारों, पूंजीगत परिव्यय, शुद्ध लाभ अथवा हानि, इत्यादि।
4	राज्य की ऋण स्थिति का सार जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से कर्ज, अन्य दायित्व एवं ऋण सेवायें शामिल हैं।
5	राज्य सरकार द्वारा वर्ष की अवधि में दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतानों, लम्बित वसूलियों इत्यादि का विवरण।
6	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली गारन्टी का विवरण।
7	रोकड़ शेष तथा इस तरह के शेषों से निवेशों का विवरण।
8	31 मार्च 2009 को समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के अन्तर्गत शेषों का विवरण।
9	कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2008-09 में विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय एवं राजस्व।
10	वर्ष की अवधि में किये गये दत्तमत्त एवं प्रभारित व्ययों के बीच विभाजन।
11	लघु शीर्षवार राजस्व प्राप्तियों के विस्तृत लेखे।
12	पृथक रूप में आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का लेखा एवं मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय।
13	वर्ष 2008-09 की अवधि में एवं अन्त तक किये गये पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण।
14	वर्ष 2008-09 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों, इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण।
15	वर्ष 2008-09 के अन्त तक पूंजीगत तथा अन्य व्यय एवं प्रमुख स्रोत जिनसे धनराशियों को व्यय हेतु दिया गया।
16	ऋण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत सम्बन्धित लेखा शीर्षों के प्राप्तियों, संवितरणों तथा शेषों का विस्तृत लेखा।
17	उत्तर प्रदेश सरकार के ऋणों तथा अन्य ब्याज भारित दायित्वों का विस्तृत लेखा।
18	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष की अवधि में ऋणों की वापसी की धनराशि तथा 31 मार्च 2009 को अवशेषों का विस्तृत लेखा।
19	रक्षित निधि के ईयरमार्क शेषों का विस्तृत विवरण।

वर्ष 2008-09 की अवधि में विगत वर्ष की तुलना में निम्न महत्वपूर्ण बदलाव आये :

विगत वर्ष के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में 9,158 करोड़ रुपये (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से कर राजस्व (3,700 करोड़ रुपये, 15 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (2,888 करोड़ रुपये, 34 प्रतिशत) में हुई वृद्धियों के कारण थी।

विगत वर्ष के सापेक्ष राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में क्रमशः 10,746 करोड़ रुपये (16 प्रतिशत) तथा 5,396 करोड़ रुपये (32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 329 करोड़ रुपये (73 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरणों में 65 करोड़ रुपये (नौ प्रतिशत) की भी वृद्धि थी।

विगत वर्ष के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियों में 7,681 करोड़ रुपये (85 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण आन्तरिक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि होना था। लोक ऋण के पुनर्भुगतान में विगत वर्ष के सापेक्ष 1,407 करोड़ रुपये (26 प्रतिशत) की भी वृद्धि थी।

विगत वर्ष के सापेक्ष लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः 26,382 करोड़ रुपये (34 प्रतिशत) एवं 31,466 करोड़ रुपये (46 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

सरकार के विगत वर्ष के रोकड़ अवशेष 15,200 करोड़ रुपये में 6,133 करोड़ रुपये (40 प्रतिशत) की कमी हुई।

बाक्स 1.2

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004

राजकोषीय स्थिरता एवं निरन्तरता, प्रचुर मात्रा में राजस्व आधिक्य प्राप्त करके सामाजिक एवं भौतिक ढांचा एवं मानव विकास में सुधार करके कार्यक्षेत्र में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन की रूकावटों को दूर करने, उधार की सीमा, शासकीय प्रतिभूति, ऋण एवं घाटे को सीमित करके राजकोषीय कार्यों में वृहत्तर पारदर्शिता एवं मध्यकालिक राजकोषीय ढांचे एवं उससे सम्बंधित कार्यों में कुशल ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 लागू किया गया था। राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व था कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति विधान सभा के समक्ष रखे जिसमें निर्धारित राजकोषीय सूचकों को पांच वर्षों में प्राप्त करने का परिवर्तनीय लक्ष्य निर्धारित हो एवं अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नियम बनाये। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम को अक्टूबर 2006 में अधिसूचित किया गया था एवं अधिनियम में प्रावधानित राजकोषीय सिद्धान्त को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार के लिए निम्न वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गये थे :

1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले पाँच वित्तीय वर्षों की अवधि में राजस्व घाटा शून्य पर लाया जाना।

31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक कम किया जाना।

1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले 14 वित्तीय वर्षों की अवधि में सुनिश्चित करना कि अन्तिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर

कुल दायित्व उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए गारन्टी नहीं दी जाये।

इसके अतिरिक्त, आन्तरिक गड़बड़ियों या दैवीय आपदाओं से उपजी अप्रत्याशित मांग हेतु प्रदान की गई वास्तविक वित्तीय लागत को छोड़कर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं हो सकता।

राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिपेक्ष्य में राजकोषीय अधिनियम एवं बारहवें वित्त आयोग के अवार्ड हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य की राजकोषीय घाटे की आकलित वार्षिक कमी दर को ध्यान में रखते हुए अपना स्वयं का राजकोषीय सुधार पथ तैयार किया जिसमें वर्ष 2004-05 से 2009-10 (परिशिष्ट -1.2) तक क्रियान्वयन की लक्षित तिथियों को दर्शाते हुए परिणामी सूचकों के लक्ष्य निर्धारित किये गये।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानकों, राजकोषीय सुधार पथ एवं मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति में सरकार द्वारा किये गये प्रक्षेपणों की तुलना में वर्ष 2008-09 की अवधि में सरकार का राजकोषीय निष्पादन सारणी 1.2 में अंकित है।

सारणी 1.2 : बारहवें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ एवं मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति के मानकों की तुलना में राजकोषीय निष्पादन


(करोड़ रुपये में)

ew jkt dksk; pj	ckjgok foRr vk; lx	jkt dksk; l qk; i Fk 2008&09	e/; dkfyd jkt dksk; i q; j'puk ulfr 2008&09	okLrfod	fopyu Wk/W; W½, oadeh W½		
					ckjgok foRr vk; lx	jkt dksk; l qk; i Fk	e/; dkfyd jkt dksk; i q; j'puk ulfr
					çfr'kr dksBd ea		
राज्य का स्व कर राजस्व	29,333.24	29,660.36	32,313.00	28,658.97	(-) 674.27 (2.3)	(-) 1,001.39 (3.4)	(-) 3,654.03(11.3)
करेतर राजस्व	4,269.12	2,931.74	6,098.45	6,766.55	(+) 2,497.43(58.5)	(+) 3,834.81(130.8)	(+) 668.10 (11)
आयोजनेतर राजस्व व्यय	44,674.95	58,408.66	57,525.84	58,677.55	(+) 14,002.60(31.3)	(+) 268.89 (0.5)	(+) 1,151.71 (2)

स्रोत : बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियां, राज्य बजट एवं वित्त लेखे

बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों एवं राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति में सरकार द्वारा किये गये प्रक्षेपणों की तुलना में राज्य का स्व कर राजस्व क्रमशः 98 प्रतिशत, 97 प्रतिशत एवं 89 प्रतिशत था। फिर भी, करेतर राजस्व के निष्पादन में बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों (58 प्रतिशत), राजकोषीय सुधार पथ (131 प्रतिशत) एवं मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (11 प्रतिशत) के मानकों के विरुद्ध सुधार हुआ था जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से ऋण राहत (1,063.82 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत धनराशि का प्राप्त होना था जिसे कि राज्य सरकार के करेतर राजस्व में क्रेडिट किया गया था। हालाँकि, आयोजनेतर राजस्व व्यय बारहवें वित्त आयोग के मानक प्रक्षेपणों से 31 प्रतिशत (14,002.60 करोड़ रुपये) अधिक था जबकि राजकोषीय सुधार पथ एवं मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति के प्रक्षेपणों के नजदीक रहा।

चार्ट 1.1 वर्ष 2008-09 के महत्वपूर्ण राजकोषीय प्राचलों की वास्तविक स्थिति एवं बजट अनुमानों को प्रस्तुत करता है।





बजट अनुमानों की तुलना में सरकार की समग्र राजस्व प्राप्तियाँ 7,975 करोड़ रुपये (नौ प्रतिशत) कम थी। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (3,654 करोड़ रुपये; 11 प्रतिशत), संघीय करों एवं शुल्कों के अंश (3,800 करोड़ रुपये; 11 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से अनुदान (1,189 करोड़ रुपये; नौ प्रतिशत) में कमियाँ हुईं। कर राजस्व के अन्तर्गत बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (2,223 करोड़ रुपये; 11 प्रतिशत) स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क (1,232 करोड़ रुपये; 23 प्रतिशत), सामग्री एवं यात्रियों पर कर (471 करोड़ रुपये; 64 प्रतिशत) तथा राज्य उत्पाद (320 करोड़ रुपये; छः प्रतिशत) में महत्वपूर्ण कमियाँ थीं। करेतर राजस्व में वर्षान्तर्गत 669 करोड़ रुपये (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। करेतर राजस्व के अन्तर्गत शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (1,001 करोड़ रुपये; 1,254 प्रतिशत); विविध सामान्य सेवायें (554 करोड़ रुपये; 48 प्रतिशत), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (545 करोड़ रुपये; 741 प्रतिशत), मध्यम सिंचाई (204 करोड़ रुपये; 358 प्रतिशत) वन एवं वन्य जीव (87 करोड़ रुपये; 47 प्रतिशत) तथा लाभांश एवं लाभ (44 करोड़ रुपये; 737 प्रतिशत) शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धियाँ थीं। राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक अंतर गलत अनुमानों का द्योतक था।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ राज्य सरकार के संसाधन के दो स्रोत हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, राज्यों के संघीय करों एवं शुल्क में अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान सम्मिलित होते हैं तथा पूंजीगत प्राप्तियों में प्रकीर्ण पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों के साथ-साथ लोक लेखे से प्राप्तियाँ भी सम्मिलित हैं।

वर्ष 2004-09 की अवधि में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति चार्ट 1.2 में तथा वर्ष 2008-09 की अवधि में राज्य के संसाधनों के संघटक चार्ट 1.3 में प्रस्तुत हैं।



राज्य की वर्ष 2004-05 की 1,00,647 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2008-09 में बढ़कर (99 प्रतिशत) 1,99,792 करोड़ रुपये हो गयी। यद्यपि, वर्ष 2004-09 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, फिर भी पूंजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2004-05 में 17,741 करोड़ रुपये से 46 प्रतिशत घटकर वर्ष 2007-08 में 9,528 करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष 2008-09 में विगत वर्ष की तुलना में इसमें 84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी। यह वृद्धि लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धियों के कारण थी जो कि भविष्य में पुनर्भुगतान की देयताओं को सृजित करता है। वर्ष 2008-09 में लोक लेखा प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि मुख्यतया उच्च एवं विविध (46 प्रतिशत), प्रेषणों (44 प्रतिशत) तथा निक्षेपों एवं अग्रिमों (16 प्रतिशत) में हुई वृद्धियों के कारण थी। फिर भी, यदि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों का निबल आंकलित किया जाये तो विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में उच्च एवं विविध में 312.91 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि निक्षेपों एवं अग्रिमों में 5,208.05 करोड़ रुपये एवं प्रेषणों में 195.57 करोड़ रुपये की कमी हुई।

1.2.2 राज्य बजट से इतर राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित धनराशियाँ

विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को धनराशियाँ सीधे हस्तान्तरित करती है। चूँकि, ये धनराशियाँ राज्य के बजट के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती हैं जिसके कारण वित्त लेखा उक्त सीमा तक धनराशियों को अभिग्रहित नहीं करता है। फलस्वरूप, इससे उद्भूत राज्य की प्राप्तियाँ, व्यय एवं अन्य राजकोषीय चर/प्राचल का मूल्यांकन सही रूप से नहीं हो पाता है। राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को राज्यांश के साथ भारत सरकार द्वारा सीधे हस्तान्तरित धनराशियों की स्थिति सारणी 1.3 में प्रस्तुत है।

सारणी 1.3 : राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित धनराशियाँ

(करोड़ रुपये में)



क्र.सं.; विवरण	विवरण	2007&08			2008&09		
		करोड़	लाक	रुपये	करोड़	लाक	रुपये
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	उ. प्र. राज्य स्वास्थ्य सौसायटी, लखनऊ	876.96	88.00	964.96	1,047.80	225.00	1,272.80
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	पंचायती राज विभाग	150.85	74.70	225.55	381.40	144.27	525.67
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	उ. प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	1,219.20	शून्य	1,219.20	1,649.82	शून्य	1,649.82
इंदिरा आवास योजना	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	467.21	159.36	626.57	1,041.51	222.89	1,264.40
ग्रामीण पेयजल- त्वरित पेयजल आपूर्ति योजना	उ. प्र. जल निगम, लखनऊ	401.50	430.13	831.63	537.78	408.93	946.71
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/जिला विकास अधिकारी	1,682.71	296.81	1,979.52	3,820.28	340.71	4,160.99
कुल		4,798.43	1,049.00	5,847.43	8,478.59	1,341.80	9,820.39

स्रोत : राज्य के नोडल अभिकरण

वर्ष 2008-09 की अवधि में भारत सरकार ने सीधे तौर पर राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को छः परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 8,479 करोड़ रुपये हस्तान्तरित किये जिसमें वर्ष 2007-08 के 4,798 करोड़ रुपये के सापेक्ष 77 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई। महत्वपूर्ण वृद्धियाँ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत; (2,138 करोड़ रुपये; 127 प्रतिशत) एवं उसके बाद इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत (574 करोड़ रुपये; 123 प्रतिशत) थी। इन अभिकरणों द्वारा जब तक एक ही लेखा प्रणाली के साथ-साथ उचित अभिलेखों के रख-रखाव एवं व्ययों की समयबद्ध रिपोर्टिंग नहीं की जाती, तब तक इन सीधे तौर पर हस्तान्तरित धनराशियों का अनुश्रवण कठिन होगा।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के विवरण-11 में सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण दिया है। राजस्व प्राप्तियों में स्व कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण तथा भारत सरकार के सहायक अनुदान सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2004-09 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटकों एवं प्रवृत्ति का विवरण परिशिष्ट 1.3 एवं क्रमशः चार्ट 1.4 तथा 1.5 में प्रदर्शित है।



वर्ष 2004-09 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में, इसके संघटकों में मामूली परिवर्तनों के साथ, वृद्धियों की प्रवृत्तियाँ थीं। इसी अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति सारणी 1.4 में प्रस्तुत है।

सारणी 1.4 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

fooj.k	2004&05	2005&06	2006&07	2007&08	2008&09
jktLo ckfir;k %djkl+ #i ; ae%	37,617	45,349	60,600	68,672	77,831
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.90	20.55	33.63	13.32	13.34
राजस्व प्राप्तियों / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.12	16.37	19.56	19.94	19.42
mRlykodrk vuqkr					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	1.961	1.819	2.833	1.196	0.815
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य की स्व कर उत्प्लावकता	1.595	1.785	1.849	0.766	0.905
राज्य के स्व कर के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	1.229	1.019	1.532	1.562	0.901


वर्ष 2008-09 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धियों के साथ सुसंगत नहीं थीं।

1.3.1 राज्य के स्व संसाधन

राज्य के स्व संसाधनों में कर एवं करेतर राजस्व सम्मिलित हैं। ये संसाधन वर्ष 2004-05 में 18,413 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 35,426 करोड़ रुपए (वृद्धि : 92 प्रतिशत) हो गये। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत इसका अंश वर्ष 2004-09 की अवधि में 45 प्रतिशत तथा 49 प्रतिशत के बीच था।

कर राजस्व

विगत वर्ष के कर राजस्व (24,959 करोड़ रुपये) की तुलना में वर्ष 2008-09 में कर राजस्व (28,659 करोड़ रुपये) 15 प्रतिशत बढ़ गया। यह बढ़ोत्तरी राजस्व प्राप्तियों के अंश में मात्र 0.47 प्रतिशत थी। कर राजस्व में व्यापार कर का महत्वपूर्ण योगदान 61 प्रतिशत का था जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। राज्य उत्पाद (17 प्रतिशत), स्टाम्प एवं निबन्धन (14 प्रतिशत) तथा वाहनों पर कर (चार प्रतिशत) राज्य के स्व कर राजस्व के मुख्य घटक थे। कर राजस्व के अन्तर्गत 2004-09 की अवधि में घटक-वार विवरण चार्ट 1.6 में दिया गया है।



वर्ष 2008-09 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर करों में वृद्धि, व्यापार कर पर अधिभार एवं कच्चे तेल पर करारोपण के कारण थी। इसी प्रकार, देशी मदिरा की भट्टियों पर दंड की अधिक वसूली, देशी शराब एवं मदिरा पर शुल्क तथा शराब के ठेकों पर अनुज्ञापति शुल्क की अधिक उगाही के कारण राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि हुई। उसी प्रकार, न्यायिक एवं गैर न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री, बिल आफ एक्सचेंज एवं अभिलेखों के पंजीकरण पर शुल्कों की अधिक वसूली के कारण स्टाम्प एवं निबन्धन के अन्तर्गत वृद्धि हुई। भू राजस्व में वृद्धि दाखिल-खारिज पर दण्ड एवं हैचरीज पर करों की अधिक प्राप्तियों के कारण मुख्य रूप से थी।

करेतर राजस्व

वर्ष 2008-09 की अवधि में 6,767 करोड़ रुपये के करेतर राजस्व की प्राप्ति हुई जिसमें वर्ष 2007-08 की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। करेतर राजस्व की प्राप्ति मुख्य रूप से शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (1,081 करोड़ रुपये; 16 प्रतिशत), ब्याज प्राप्तियाँ (964 करोड़ रुपये; 14 प्रतिशत), विविध सामान्य सेवायें (1,699 करोड़ रुपये; 25 प्रतिशत), अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (427 करोड़ रुपये; छः प्रतिशत) पावर (462 करोड़ रुपये; सात प्रतिशत) तथा कृषि एवं अन्य सम्बद्ध क्रिया-कलापों (384.19 करोड़ रुपये; छः प्रतिशत) में हुई। चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत मरीजों, चिकित्सकीय सेवाओं, इत्यादि के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण पर्याप्त वृद्धि हुई।

*समेकित ऋणों के पुनर्भुगतान पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 1,064 करोड़ रुपये ऋण राहत सम्मिलित है।

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

वर्ष 2008-09 में बजट अनुमानों की तुलना में राज्य के अपने संसाधनों से वसूलियाँ सारणी 1.5 में दी गयी हैं।

सारणी 1.5: बजट अनुमानों की तुलना में संसाधन संग्रहण

(करोड़ रुपये में)

fooj.k	ctV es fu/kj.k	okLrfod	fopyu ¼/kf/kD; \$,oadeh &½ çfr'kr dkBd ea
dj jktLo			
भू राजस्व	170.11	5,49.28	(+) 379.17 (223)
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	5,370.54	4,138.27	(-) 1,232.27 (23)
राज्य उत्पाद	5,040.00	4,720.01	(-) 319.99 (6)
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	19,705.00	17,482.05	(-) 2,222.95 (11)
djrj jktLo			
ब्याज प्राप्ति	1588.58	963.87	(-)624.71 (39)
विविध सामान्य सेवाएं	1144.92	1,698.79	(+)553.87 (48)
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	79.81	1,080.62	(+) 1000.81 (1254)
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	73.62	618.84	(+)545.22 (741)
ऊर्जा	1485.00	462.25	(-)1022.75 (69)
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	448.96	427.31	(-)21.65(5)

स्रोत : राज्य बजट एवं वित्त लेखे

कर राजस्व के अन्तर्गत बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य उत्पाद, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क तथा करेतर राजस्व के अन्तर्गत विविध सामान्य सेवायें, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग, ऊर्जा तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य से प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई। राजस्व संग्रहण में वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में कमी रही जोकि पाँच प्रतिशत और 69 प्रतिशत के मध्य थी। करेतर राजस्व के अन्तर्गत शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत हुई प्राप्तियों में क्रमशः 1,254 प्रतिशत तथा 741 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धियां हुई। बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में वृहद् अन्तर बजट तैयार करने के स्तर पर अशुद्ध अनुमानों का द्योतक था।

1.3.2 राजस्व बकाया

कुछ प्राप्ति शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2009 को राजस्व बकाया की स्थिति का विवरण सारणी 1.6 में प्रदर्शित है।

सारणी 1.6 : राजस्व का बकाया

(करोड़ रुपये में)

jktLo dk 'M'k	cdk; k dh /kujk'k	ikp o'k svf/kd vof/k scdk; k	fvli .kh
वाणिज्यिक कर	15,389.85	9,210.00	बकाया 15,389.85 करोड़ रुपये में से 926.75 करोड़ रुपये भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित की गयी। अन्य राज्यों को 869.84 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। न्यायालय/सरकार द्वारा धनराशि 2050.13 करोड़ रुपये की वसूली को स्थगित किया गया था। सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों के विरुद्ध धनराशि 230.25 करोड़ रुपये की वसूली लम्बित थी। 74.51 करोड़ रुपये ट्रांसपोर्टों से बकाया थे। वसूली प्रमाण पत्र के अंतर्गत अनाच्छादित बकाया धनराशि 11,238.37 करोड़ रुपये थी।
मनोरंजन कर	10.26	4.86	कुल बकाया 10.26 करोड़ रुपये में से 4.70 करोड़ रुपये भू राजस्व के बकाया की वसूली के मांग के रूप में प्रमाणित किया जा चुका था। न्यायालय/ सरकार द्वारा धनराशि 5.24 करोड़ रुपये की वसूली को स्थगित किया जा चुका था। अवशेष 32 लाख रुपये हेतु नोटिस निर्गत किये जा चुके थे।
स्टाम्प एवं निबंधन	249.67	विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया	कुल बकाया 249.67 करोड़ रुपए में से 95.09 करोड़ रुपये भू राजस्व के बकाया की वसूली की मांग के रूप में प्रमाणित किया जा चुका था। धनराशि 154.58 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित की जा चुकी थी।
भू राजस्व	9.90	विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया	9.90 करोड़ रुपये वसूली हेतु लम्बित थे।
वाहन, माल एवं यात्री पर कर	72.06	विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया	बकाया धनराशि 72.06 करोड़ रुपये में से क्रमशः 31 लाख एवं 1.18 करोड़ रुपए क्रमशः न्यायालयों एवं सरकार द्वारा स्थगित किया जा चुका था। अवशेष 70.57 करोड़ रुपये वसूली हेतु लम्बित थे।

स्रोत : संबंधित विभाग

1.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्य व्यय का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अंतर्गत घाटे या उधारी द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय प्रतिबंध है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया व्यय की कीमत पर विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित व्यय के कीमत पर न किया जाए।

1.4.1 व्यय के संघटक एवं उसमें वृद्धियाँ

वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि में कुल व्यय एवं उसके संघटक सारणी 1.7 में प्रस्तुत हैं।


सारणी 1.7: कुल व्यय एवं इसके संघटक

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
कुल व्यय	50,892	56,012	70,571	82,915	99,122
राजस्व व्यय	44,610	46,617	55,699	65,223	75,969
आयोजनेतर राजस्व व्यय	39,512	40,172	46,000	53,479	58,678
पूंजीगत व्यय	5,653	8,711	13,984	16,950	22,346
ऋण एवं अग्रिम	629	684	888	742	807

स्रोत : वित्त लेखे



चार्ट 1.7 पांच वर्ष की अवधि (2004-09) में कुल व्ययों की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।



वर्ष 2004-09 की अवधि में कुल व्यय में सतत् रूप से वृद्धि हुई। वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 में यह वृद्धि 16,207 करोड़ रुपए की थी जिसमें राजस्व व्यय का भाग 10,746 करोड़ रुपए (66 प्रतिशत), पूंजीगत व्यय का भाग 5,396 करोड़ रुपये (33 प्रतिशत) तथा ऋण एवं अग्रिमों का भाग 65 करोड़ रुपए (एक प्रतिशत) था। व्ययों में वृद्धि की प्रवृत्ति यह संकेत करती है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय के हिस्से में कमी हुई एवं पूंजीगत व्यय

का हिस्सा बढ़ गया। कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा वर्ष 2004-05 में 88 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008-09 में 77 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय का हिस्सा वर्ष 2004-05 में 11 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 22 प्रतिशत हो गया।

‘आर्थिक वर्गीकरण’ एवं ‘क्रियाकलापवार व्यय’ के मदों में कुल व्यय के संघटक क्रमशः चार्ट 1.8 एवं 1.9 में प्रदर्शित है।



वर्ष 2004-09 की अवधि में क्रियाकलापवार व्यय इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि सामान्य सेवाओं (जिसमें घटोत्तरी की प्रवृत्ति थी) के अंतर्गत हुए व्ययों को छोड़कर अन्य सेवाओं के अंतर्गत हुए वर्षवार व्ययों में मामूली अन्तर था। फिर भी, वर्ष 2008-09 की अवधि में बारहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों के साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य सेवाओं में व्यय की तुलना करने पर संज्ञान में आया कि इन सेवाओं में व्यय प्रक्षेपणों से अधिक था जो सारणी 1.8 में अंकित है।

सारणी 1.8: बारहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों की तुलना में व्यय

(करोड़ रुपये में)

व्यय	2004-05	2007-08	2008-09
सामान्य सेवायें	22,717.46	29,557.38	6,839.92 (30)
सामाजिक सेवायें	13,239.21	16,961.79	3,722.58 (28)
आर्थिक सेवायें	4,935.77	8,654.17	3,718.40 (75)

स्रोत: बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों, वित्त लेखे

1.4.2 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व खाते से वचनबद्ध व्यय के अन्तर्गत मुख्यतया ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा सब्सिडी है। सारणी 1.9 एवं चार्ट 1.10 में इन घटकों में वर्ष 2004-09 की अवधि में व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत है।

सारणी 1.9: वचनबद्ध व्यय के संघटक

(करोड़ रुपये में)


व्यय का विवरण	2004&05	2005&06	2006&07	2007&08	2008&09	
					वैतन एवं मजदूरी	अन्य व्यय
कुल व्यय	14,333 (38)	15,653 (34)	17,946 (30)	19,352 (28)	22,386 (26)	23,857 (31)
आयोजनेतर शीर्ष	13,768	15,125	17,204	18,624	21,564	22,834
आयोजनागत शीर्ष**	565	528	742	728	822	1,023
कुल व्यय	11,873 (32)	9,098 (20)	10,477 (17)	10,820 (16)	11,427 (13)	11,375 (14)
वैतन एवं मजदूरी	3,561 (9)	3,991 (9)	4,850 (8)	6,136 (9)	6,712 (8)	6,926 (9)
अन्य व्यय	-	-	-	-	4,362 (5)	3,819 (5)
कुल व्यय	29,767 (79)	28,742 (63)	33,273 (55)	36,308 (53)	44,887 (52)	45,977 (59)

कोष्ठक में अंकित अंक राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत

*सहायक अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित

**आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत भुगतानित वेतन एवं मजदूरी सम्मिलित

स्रोत: वित्त लेखे



वेतन एवं मजदूरी

वर्ष 2004-09 की अवधि में आयोजनेतर शीर्षों के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी पर हुए व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति थी एवं आयोजनागत शीर्षों के अन्तर्गत इसी मद में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। आयोजनेतर शीर्षों के अंतर्गत व्यय वर्ष 2004-05 में 13,768 करोड़ रुपये से 66 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2008-09 में 22,834 करोड़ रुपये हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। आयोजनागत शीर्षों के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2004-05 में 565 करोड़ रुपये से 81 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2008-09 में 1,023 करोड़ रुपये हुआ, जिसमें वर्ष 2005-06 में यह व्यय गिरकर 528 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2007-08 में 728 करोड़ रुपये था। हालांकि, यह वेतन व्यय राजकोषीय सुधार पथ में प्रक्षेपित व्यय (18,318 करोड़ रुपए) से 5,539 करोड़ रुपए अधिक था। वर्ष 2008-09 में कुल वेतन भुगतान राजस्व व्यय के निबल ब्याज एवं पेंशन भुगतान का 41 प्रतिशत था जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुति 35 प्रतिशत के मानक से अधिक था।

पेंशन भुगतान

वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 में पेंशन भुगतान में 790 करोड़ रुपए (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो मुख्यतया पेंशनरों की संख्या में वृद्धि (5,538) के फलस्वरूप थी। राज्य

सरकार एवं बारहवें वित्त आयोग के अनुमानों/प्रक्षेपणों से वास्तविक पेंशन भुगतान के तुलनात्मक अध्ययन से संज्ञान में आया कि वास्तविक पेंशन भुगतान बारहवें वित्त आयोग के अनुमान से 860 करोड़ रुपए (14 प्रतिशत) एवं राजकोषीय सुधार पथ में अनुमान से 1,253 करोड़ रुपए (22 प्रतिशत) अधिक था। 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गये कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ी हुई पेंशन देयताओं के प्रभाव को कम करने हेतु अंशदायी पेंशन योजना लागू किया है।

ब्याज भुगतान

राज्य सरकार के लिए ऋणों का मुख्य स्रोत बाजार था जहाँ से उसने 5.60 प्रतिशत से 12.50 प्रतिशत तक परिवर्तनशील ब्याज दरों पर ऋण लिये। कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान वर्ष 2004-05 में 32 प्रतिशत से वर्ष 2008-09 में 14 प्रतिशत आ गया जबकि राजस्व व्यय की तुलना में यह 15 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत के मध्य था। विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2008-09 में 555 करोड़ रुपये का अधिक ब्याज भुगतान बाजार से अधिक ऋण लेने के कारण था। वर्ष 2008-09 की अवधि में 11,375 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान किया गया जो राज्य के स्व राजकोषीय सुधार पथ (13,630 करोड़ रुपये) एवं मध्य कालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (11,426.67 करोड़ रुपये) के अनुमानों से कम था जबकि यह बारहवें वित्त आयोग के अनुमानों (10,989.05 करोड़ रुपये) से ज्यादा था।

सब्सिडी

यद्यपि सरकार विभिन्न मदों के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान कर रही थी फिर भी, बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के बावजूद वर्ष 2007-08 तक राज्य बजट में इसे अलग मद में प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था।

वर्ष 2008-09 की अवधि में सरकार ने 3,819 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान किया था जोकि कुल व्यय का चार प्रतिशत था। ऊर्जा (1,382 करोड़ रुपये; 36 प्रतिशत), ग्राम्य विकास (1,206 करोड़ रुपये; 32 प्रतिशत), कृषि एवं अन्य सम्बद्ध क्रिया कलाप (811 करोड़ रुपये; 21 प्रतिशत) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (339 करोड़ रुपये; नौ प्रतिशत) सब्सिडी प्राप्त करने वाले मुख्य क्षेत्र थे।

कुल सब्सिडी का भुगतान सरकार के राजकोषीय सुधार पथ में प्रक्षेपणों से अधिक था परन्तु मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत था जैसा कि सारणी 1.10 में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 1.10 मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति एवं राजकोषीय सुधार पथ के प्रक्षेपणों के संदर्भ में सब्सिडी भुगतान

fooj.k	e/; dlfyd jkt dkslh; i q l j̄puk ulfr ea ç(ki.k %djkm+#i; se%z	jkt dkslh; l qkj iFk eaç(ki.k		okrfod	
		/kujkf'k %djkm+#i; se%z	l dy jkt; ?kjsyw mRikn dk çfr'kr	/kujkf'k %djkm+#i; se%z	l dy jkt; ?kjsyw mRikn dk çfr'kr
ऊर्जा	1,342	1,700	0.47	1,382	0.35
सामान्य	3,020	172	0.05	2,437	0.61
; lsk	4,362	1,872		3,819	

स्रोत : वित्त लेखे, राज्य बजट

ऊर्जा क्षेत्र में दी गई वास्तविक सब्सिडी राजकोषीय सुधार पथ के प्रक्षेपणों से 19 प्रतिशत कम (318 करोड़ रुपये) थी जबकि सामान्य क्षेत्रों में दी गई सब्सिडी प्रक्षेपणों से 1,317 प्रतिशत अधिक (2,265 करोड़ रुपये) थी जो यह प्रदर्शित करता है कि सामान्य क्षेत्र को ऊर्जा क्षेत्र की अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता दी गई।

1.4.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

विगत वर्षों की अपेक्षा वर्ष 2008-09 में स्थानीय निकायों एवं अन्य को अनुदानों एवं ऋणों के रूप में सहायता की धनराशि सारणी 1.11 में सारांशिकृत है।

सारणी 1.11 : स्थानीय निकायों; इत्यादि को वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

वर्ग	2004&05	2005&06	2006&07	2007&08	2008&09
शिक्षण संस्थायें (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय इत्यादि)	6,363.18	7,622.34	9,146.53	10,503.38	10,642.76
नगर निगम एवं नगर पालिकाएं/विकास संस्थायें	230.53	153.03	350.32	948.61	1,262.59
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थायें	1,782.93	2,331.92	2,742.25	3,549.49	3,504.21
हॉस्पिटल एवं अन्य चैरिटेबुल संस्थायें	112.46	104.56	96.10	130.18	121.76
अन्य संस्थायें ⁵	67.62	70.73	149.11	228.73	291.16
कुल	8,556.72	10,282.58	12,484.31	15,360.39	15,822.48
वर्ष	19	22	22	24	21

स्रोत: वित्त लेखे

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता वर्ष 2007-08 में 15,360.39 करोड़ रुपये से बढ़कर (तीन प्रतिशत) वर्ष 2008-09 में 15,822.48 करोड़ रुपये हो गयी। राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता के अंतर्गत वर्ष 2004-05 से 2007-08 की अवधि में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति थी। फिर भी, यह सहायता विगत वर्ष में राजस्व व्यय की तुलना में 24 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008-09 में 21 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2008-09 की अवधि में प्रदत्त सहायता के मुख्य प्राप्तकर्ता शिक्षण संस्थायें तत्पश्चात् जिला पंचायत एवं अन्य पंचायती राज संस्थायें थीं।

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर एक डाटा बेस तैयार किया जाना था जो कि कम्प्यूटर एवं इसके बहुत ही सूक्ष्म द्वारक सिरे से जुड़ाव के द्वारा आसानी से उपलब्ध होना था। इस डाटा बेस को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित⁶ मानक प्रारूप में एकत्रित एवं संकलित किया जाना था। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में यह डाटा बेस और अधिक महत्वपूर्ण था। बारहवें वित्त आयोग ने यह पाया कि नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के आवश्यकतानुरूप आकलनों हेतु उनके वित्त से संबंधित सही सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु डाटा बेस का अनुरक्षण आवश्यक था। फिर भी, जून 2009 तक डाटा बेस तैयार नहीं किए गए थे।

⁵कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा : 2008-09 - 188.83 करोड़ रुपये; सहकारिता : 2008-09 - 54.58 करोड़ रुपये।

⁶पंचायती राज संस्थायें (नवम्बर 2002) एवं नगरीय स्थानीय निकायें (जून 2003)।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना सामान्यतः राज्य के व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मुख्य रूप से तीन बातों में निहित होता है, जैसे व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थ : लोक सेवा की उपलब्धता हेतु पर्याप्त प्रावधान); व्यय के उपयोग की दक्षता एवं उसकी प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु लागत-परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्रों एवं आर्थिक अधोसंरचना से संबंधित व्यय का दायित्व अधिकांशतया राज्य सरकारों का है। मानव विकास की वृद्धि हेतु राज्यों को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्ययों को बढ़ाना चाहिए। किसी क्षेत्र में राज्य विशेष द्वारा कम व्यय के स्तर का कारण या तो राज्य सरकार की न्यून राजकोषीय प्राथमिकता या राज्य सरकार की न्यून राजकोषीय क्षमता या दोनों के कारण हो सकती है। यदि किसी क्षेत्र विशेष में राजकोषीय प्राथमिकता (वर्ग में व्यय का सकल व्यय से अनुपात) यदि राष्ट्रीय औसत से कम है तो उस क्षेत्र में न्यून राजकोषीय प्राथमिकता है जबकि राजकोषीय प्राथमिकता के राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे अधिक होने के बावजूद यदि राज्य का प्रति व्यक्ति व्यय संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है तो न्यून राजकोषीय क्षमता होगी। विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र में व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित राजकोषीय प्राथमिकता एवं क्षमता को सारणी 1.12 में विश्लेषित किया गया है।

सारणी 1.12 : राज्य की वर्ष 2005-06 एवं 2008-09 में राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता

राज्य/राष्ट्रीय औसत* (अनुपात) 2005-06	19.50	61.44	30.41	14.13
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2005-06	21.60	57.84	29.89	15.53
सभी राज्य/राष्ट्रीय औसत* (अनुपात) 2008-09	19.16	67.68	33.90	16.87
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात)* 2008-09	24.74	65.31	31.77	22.54
सभी राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति व्यय 2005-06 (रुपये में)	3,010	1,490	692	
उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति व्यय (रुपये में) 2005-06 में	1,788	924	480	
समायोजित प्रति व्यक्ति** व्यय (रुपये में) 2005-06 में	1,899	940	आवश्यकता नहीं	
सभी राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति व्यय 2008-09 (रुपये में)	5,030	2,520	1,254	
उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति व्यय (रुपये में) 2008-09 में	3,372	1,640	1,164	
समायोजित प्रति व्यक्ति** व्यय (रुपये में) 2008-09 में	3,394	1,750	आवश्यकता नहीं	

*सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में।

**बाक्स 1.3 (पृष्ठ 17) में व्याख्यायित विधि के अनुसार आगणित।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या : वर्ष 2005-06 में 18.15 करोड़ एवं वर्ष 2008-09 में 19.20 करोड़।

#विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकासन्तर्गत पूंजीगत व्यय एवं वितरित ऋण एवं अग्रिम।

1.12 %

(1) सकल राज्य घरेलू उत्पाद की सूचना राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से एकत्र की गयी

(2) जनसंख्या के आंकड़े भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त के 2001-2026 के प्रक्षेपणों से ली गयी

(वेबसाइट : <http://www.censusindia.gov.in>)

जनसंख्या = वर्ष 2005 एवं 2006 के जनसंख्या के प्रक्षेपणों का औसत

एन आर : समायोजन की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस वर्ग में व्यय हेतु यथेष्ट राजकोषीय प्राथमिकता है।

सभी राज्यों के औसत में अरुणाचल प्रदेश के आंकड़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 1.12 में वर्ष 2005-06 (बारहवें वित्त आयोग के पंचाट अवधि का प्रथम वर्ष) एवं वर्तमान वर्ष 2008-09 में उत्तर प्रदेश की राजकोषीय क्षमता एवं विभिन्न वर्गान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर राजकोषीय प्राथमिकताओं की तुलना की गयी है। वर्ष 2005-06 एवं 2008-09 की अवधियों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुल व्यय एवं पूंजीगत व्यय को यथेष्ट राजकोषीय प्राथमिकता दी गयी क्योंकि कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं पूंजीगत व्यय/कुल व्यय का अनुपात उत्तर प्रदेश के प्रकरण में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा था। फिर भी, उत्तर प्रदेश में विकास व्यय एवं सामाजिक क्षेत्र में व्यय को यथेष्ट प्राथमिकता नहीं दी गयी क्योंकि उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश का विकास व्यय/कुल व्यय अनुपात तथा सामाजिक क्षेत्र पर व्यय/कुल व्यय का अनुपात सभी राज्यों के औसत से कम था।

उक्त दोनों वर्षों में विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र में व्यय तथा पूंजीगत व्यय का प्रति व्यक्ति व्यय इन वर्गों के अन्तर्गत राष्ट्रीय औसत से कम था। यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय औसत के बराबर विकास व्यय एवं सामाजिक क्षेत्र में व्यय किया होता तो भी विकास व्यय एवं सामाजिक क्षेत्र पर समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय (बाक्स 1.3 में दिए गए विधि के आधार पर आगणित) राष्ट्रीय औसत से कम होता। इसका अभिप्राय यह है कि उत्तर प्रदेश में अवशोषी क्षमता⁷ कम है अतः कम से कम अन्य राज्यों के लोगों के बराबर उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ सुनिश्चित कराने हेतु एक प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता है।

बाक्स 1.3

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गई विधि

राज्य सरकार के राजकोषीय क्षमता के आकलन हेतु, बारहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में दी गयी निम्नलिखित विधि अपनायी गई:

स्टेप 1: ए ई-जी एस डी पी एवं सी ई/डी ई/एस एस ई-ए ई के राष्ट्रीय औसत का गणना किया।

स्टेप 2: ए ई-जी एस डी पी के राष्ट्रीय औसत के आधार पर, कुल व्यय इस प्रकार प्राप्त किया कि किसी भी राज्य का ए ई - जी एस डी पी अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम नहीं है, अर्थात्, यदि

$$\text{ए ई/जी एस डी पी} = \text{एक्स}$$

ए ई = एक्स* जी एस डी पी..... (1), जहाँ एक्स, ए ई - जी एस डी पी अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।

जहाँ भी राज्य का ए ई - जी एस डी पी अनुपात राष्ट्रीय औसत से उच्च है, वहाँ कोई समायोजन नहीं किया गया। जहाँ भी यह अनुपात औसत से कम था, इसे राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

स्टेप 3: डी ई - ए ई, एस एस ई - ए ई तथा सी ई - ए ई के राष्ट्रीय औसत के आधार पर, क्रमशः डी ई, एस एस ई तथा सी ई इस प्रकार प्राप्त किये गये जिससे कि किसी भी राज्य के ये अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम नहीं थे, अर्थात्, यदि

$$\text{डी ई/ए ई} = \text{वाई}$$

डी ई = वाई* ए ई (2), जहाँ वाई, डी ई - ए ई अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।

समीकरण (1) को (2) में प्रतिस्थापित करने पर हमने पाया

$$\text{डी ई} = \text{वाई* एक्स* जी एस डी पी (3)}$$

⁷इस प्रकरण में अवशोषी क्षमता का अभिप्राय राज्य द्वारा उपलब्ध संसाधनों को प्रयोग करते हुए विकास योजना को इस प्रकार क्रियान्वित करना है जिससे जनता को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। यह प्रायः तभी प्राप्त किया जा सकता है जब योजनायें जोखिम में सावधानी के साथ अच्छी तरह योजनाबद्ध हो, प्रशमन योजना यथास्थान हो, प्रशासनिक व्यय कम हो, संचालन, अनुरक्षण, अनुश्रवण एवं नियोजन यथोचित हो, इत्यादि, जिससे कि राज्य लक्ष्यों को प्रभावकारी ढंग से प्राप्त कर सके।

जहाँ भी राज्य का डी ई-ए ई, एस एस ई - ए ई एवं सी ई - ए ई का अनुपात राष्ट्रीय औसत से उच्च है, कोई समायोजन नहीं किया गया जहाँ भी ये अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम थे इसे राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

स्टेप 4: समीकरण (3) के आधार पर प्राप्त डी ई, एस एस ई एवं सी ई से संबंधित प्रति व्यक्ति व्यय आगणित किया गया, अर्थात्,
पी सी डी ई = डी ई/पी (4), जहाँ पी सी डी ई प्रति व्यक्ति विकास व्यय है एवं पी जनसंख्या है।
 समीकरण (4) में समीकरण (3), को प्रतिस्थापित किया तब
पी डी ई = (वाई* एक्स* जी एस डी पी)/पी (5)
 समीकरण (5) समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय को प्रस्तुत करता है। यदि समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति के औसत व्यय से कम है, तो निम्न राजकोषीय क्षमता के कारण राज्य का निम्न स्तर का व्यय है। जब सभी राज्य सरकारें इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय औसत के समतुल्य राजकोषीय प्राथमिकता दे रही है तब यह वास्तविक स्तर के व्यय को प्रतिबिम्बित करता है।

1.5.2 व्ययों में दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से लोक व्ययों की महत्ता के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार बुद्धिसंगत मानकों के साथ उपयुक्त व्यय करे और कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स की व्यवस्था पर जोर दे। विकास व्यय हेतु आवंटन में सुधार करने के अतिरिक्त, वर्तमान वर्षों में विशेष रूप से ऋण सेवा में गिरावट के कारण उत्पन्न राजकोषीय विस्तार के परिप्रेक्ष्य में, व्ययों में दक्षता, पूंजीगत व्यय का कुल व्यय (और/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद से) से अनुपात एवं वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संचालन एवं अनुरक्षण पर किये गये राजस्व व्यय का समानुपात परिलक्षित होता है। इन मदों के अंतर्गत किये गये व्यय का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात (और/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद से) होगा उतना ही अच्छे व्यय की गुणवत्ता होगी।

बजट अनुमानों एवं विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2008-09 की अवधि में राज्य के कुल व्ययों के सापेक्ष विकास व्यय की प्रवृत्ति सारणी 1.13 में प्रस्तुत है।

सारणी 1.13 : विकास व्यय

(करोड़ रुपये में)


fodkl 0; ; ds?kVd	2004&05	2005&06	2006&07	2007&08	2008&09	
					ctV vuøku	okLrfod 0; ;
विकास व्यय (अ से स)	26,040 (51)	32,304 (58)	42,661 (60)	52,102 (63)	63,812 (57)	64,737 (65)
(अ) विकास राजस्व व्यय	20,066	23,366	28,657	35,123	41,797	42,695
(ब) विकास पूंजीगत व्यय	5,398	8,398	13,330	16,375	21,593	21,504
(स) विकास ऋण एवं अग्रिम	576	540	674	604	422	538

कोष्ठक में आंकड़े कुल व्यय का प्रतिशत प्रस्तुत करता है।

स्रोत : वित्त लेख, राज्य बजट

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2008-09 की अवधि में विकास व्यय में डेढ़ गुना की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 में 12,635 करोड़ रुपये (24 प्रतिशत) की वृद्धि थी। विकास व्यय के अन्तर्गत हुई वृद्धि में राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में अनुपात क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत था। विगत चार वर्षों में पूंजीगत व्यय में वृद्धि गुणवत्तापरक व्यय में सुधार दर्शाता है एवं यह इंगित करता है कि सम्पत्ति के सृजन को महत्व दिया गया था।

वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों की तुलना में विकास व्यय की स्थिति ग्राफ के रूप में चार्ट 1.11 में प्रदर्शित है। जिससे यह स्पष्ट है कि विकास राजस्व व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम संबंधित अनुमानों से क्रमशः 898 करोड़ रुपये एवं 116 करोड़ रुपये अधिक था जबकि विकास पूंजीगत व्यय अनुमानों से 89 करोड़ रुपये कम था।



चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर किए गए पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के घटकों का विवरण सारणी 1.14 में प्रदर्शित है।

सारणी 1.14: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

I kelftd@vkkfkd v/kd jpk	2007-08			2008-09		
	i thxr 0; ; dk dy 0; ; eavak	jktLo 0; ; ea		i thxr 0; ; dk dy 0; ; eavak	jktLo 0; ; ea	
		oru ,oa etnjh dk vak	l pkyu ,oa ejfer dk vak		oru ,oa etnjh dk vak	l pkyu ,oa ejfer dk vak
I kelftd l sk; a						
सामान्य शिक्षा	0.83	73.13	1.02	0.31	80.45	0.19
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	25.74	60.71	3.90	24.94	64.22	3.89
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा नगरीय विकास	9.97	0.78	1.26	11.37	0.23	0.69
; lsk %/kelftd l sk; %	8.39	46.52	1.14	9.35	45.81	0.73
vkkfkd l sk; a						
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	28.83	38.84	0.52	47.14	34.67	0.47
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	47.62	41.16	30.90	48.95	41.43	29.20
पावर एवं ऊर्जा	73.16	0.32	-	78.79	0.55	--
परिवहन	75.74	2.74	91.66	77.69	2.97	94.02
; lsk %/kelftd l sk; %	54.23	22.76	17.20	56.74	23.49	16.70
dy ; lsk %/kelftd l sk; a \$ vkkfkd l sk; ;	31.80	38.37	6.65	33.50	38.42	6.02

स्रोत: वित्त लेखे एवं वीएलसी आंकड़े

पूंजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात विगत वर्ष के 31.80 प्रतिशत की तुलना में वर्तमान वर्ष में 33.50 प्रतिशत हो गया जिससे 1.70 प्रतिशत का सुधार हुआ जो कि आर्थिक सेवाओं में 2.51 प्रतिशत तथा सामाजिक सेवाओं में 0.96 प्रतिशत था। फिर भी, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत पूंजीगत व्यय का कुल व्यय के अनुपात में केवल जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास (1.4 प्रतिशत) में ही सुधार हुआ।

आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सुधार केवल कृषि एवं अन्य सम्बद्ध क्रिया कलापों (18.31 प्रतिशत) तत्पश्चात् पावर एवं ऊर्जा (5.63 प्रतिशत), परिवहन (1.95 प्रतिशत) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (1.33 प्रतिशत) के क्षेत्रों में था।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता को महत्व देते हुए बारहवें वित्त आयोग ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में अधिक व्यय प्रोत्साहित करने हेतु अनुशंसित करते हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में वेतन घटक में क्रमशः छः प्रतिशत तथा पांच प्रतिशत का सामान्य वृद्धि दर एवं गैर-वेतन घटक में 30 प्रतिशत का अत्यधिक वृद्धि दर निर्धारित किया। फिर भी, व्यय की प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि वेतन एवं मजदूरी घटक में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 21 प्रतिशत तथा चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि गैर-वेतन एवं मजदूरी घटक में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 20 प्रतिशत की कमी एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई। आगामी वर्षों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों के अंतर्गत बारहवें वित्त आयोग के मानकों के अनुरूप, व्यय की प्रवृत्ति को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

सामाजिक क्षेत्रों के सभी मुख्य घटकों के अन्तर्गत राजस्व व्यय के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय का अंश विगत वर्ष के 1.14 प्रतिशत के स्तर से घटकर वर्तमान वर्ष के 0.73 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। उसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय में संचालन एवं अनुरक्षण का कुल अंश विगत वर्ष के 17.20 प्रतिशत के स्तर से घटकर वर्तमान वर्ष में 16.70 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। फिर भी, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में 2.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.5.3 व्यय की प्रभावकारिता अर्थात् लागत-परिणाम संबंध

मुख्य सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने के अलावा, मानव विकास में वृद्धि हेतु सरकार के लिए यह आवश्यक है कि इच्छित परिणाम प्राप्त करने हेतु आपूर्ति की रचनातंत्र में सुधार करे। तीन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में चिन्हित चयनित सूचकों के सन्दर्भ में उत्पादन/परिणाम में व्यय की प्रभावकारिता का आकलन **परिशिष्ट 1.4** में है तथा योजनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण **बाक्स 1.4** में दिया गया है।

बाक्स 1.4

त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना के छः योजनाओं के अन्तर्गत 2021.06 करोड़ रुपये की लागत से मार्च 2009 तक 4.86 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जानी थी। फिर भी, लक्षित तिथि तक 2000 करोड़ रुपये के व्ययोपरान्त मात्र 3.64 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता (74 प्रतिशत) ही सृजित की गई थी। पुनः सृजित 3.64 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में से, अल्पिकाओं एवं रजवाहों के निर्माण न होने के कारण मात्र 2.34 लाख हेक्टेयर (64 प्रतिशत) सिंचित क्षमता का ही प्रयोग हो सका।

किसान हित योजना/भूमि सेना योजना के अन्तर्गत 526.25 करोड़ रुपये की लागत से ऊसर, खड्ड एवं बंजर भूमि के 5.10 लाख हेक्टेयर (2005-09) के उपचार के लक्ष्य के विरुद्ध 526.21 करोड़ रुपये की लागत से 5.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया था जिसमें से 9,426 हेक्टेयर ऊसर भूमि का अपूर्ण उपचार जिप्सम को मिलाने के लिए जल की उपलब्धता न होने एवं जल भराव क्षेत्र में अपूर्ण कार्य के कारण 4.40 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

वृद्धवस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-09 की अवधि में 120.86 लाख पेंशनरो को कुल 3175.18 करोड़ रुपये के वितरण के लक्ष्य के विरुद्ध 116.43 लाख पेंशनरो को मात्र 3,068.39 करोड़ रुपये वितरित किये गये थे। तीन जनपदों में वर्ष 2008-09 में 62,208 पेंशनरो को 2.49 करोड़ रुपये अधिक भुगतान किये गये थे। नमूना जाँच के अंतर्गत लिये गये 17 जनपदों में 6,672 अयोग्य पेंशनरो को 2.62 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गयी थी।

1.6 सरकार के व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के पारित होने के उपरान्त सरकार से यह अपेक्षित है कि वह अपने राजकोषीय घाटों (और उधारी) को न केवल निम्न स्तर पर रखे बल्कि पूंजीगत व्ययों/निवेशों (ऋणों एवं अग्रिमों को मिलाकर) की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के संक्रमण काल में सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह अन्तर्निहित सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता के स्थान पर अपने निवेशों पर यथेष्ट लाभ अर्जित करने एवं उधार ली गयी धनराशियों के मूल्यों के वसूलने हेतु आवश्यक कदम उठाए जिससे कि वह अपने वित्तीय संचालन में पारदर्शिता ला सके। इस भाग में विगत वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष में सरकार के निवेशों एवं अन्य पूंजीगत व्ययों के वृहद वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है।

1.6.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

सिंचाई परियोजनाओं के वाणिज्यिक व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने हेतु बारहवें वित्त आयोग ने सिंचाई प्राप्तियों के आकलन हेतु रख-रखाव व्यय के सापेक्ष लागत वसूली दर निर्धारित किया था।

वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से वर्ष 2008-09 की अवधि में प्राप्तियाँ (295 करोड़ रुपये) उनके संचालन एवं अनुरक्षण पर किये गये 2,520 करोड़ रुपये के व्यय का मात्र 12 प्रतिशत थी जो कि इस वर्ष के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा आकलित 80 प्रतिशत की लागत वसूली से काफी कम थी। वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव हेतु वर्ष 2005-09 की अवधि के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली दर के मानकों के अनुरूप सरकार लागत की वसूली नहीं कर सकी जो कि निम्नलिखित सारणी 1.15 से स्पष्ट है।

सारणी 1.15 : बारहवें वित्त आयोग के मानकों के सन्दर्भ में लागत वसूली दर एवं रख-रखाव व्यय

वर्ष	व्यय (रुपये)	निवेश (रुपये)	वसूली दर (%)	वसूली दर (%)	वसूली दर (%)
2005-06	1,261	199	16	50	34
2006-07	1,776	182	10	60	50
2007-08	2,263	353	16	70	54
2008-09	2,520	295	12	80	68

स्रोत: वित्त लेखे एवं बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसायें

वर्ष 2005-09 की पूरी अवधि में बारहवें वित्त आयोग के आकलन की तुलना में लागत वसूली की कमी में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। वर्ष 2005-06 में यह कमी 34 प्रतिशत के स्तर से दो गुना होकर वर्ष 2008-09 में 68 प्रतिशत हो गयी जो कि सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहारिकता में संशय को सूचित करता है।

16 वृहद् सिंचाई परियोजनायें जिन पर मार्च 2009 तक 4,925 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय किया गया था, के वित्तीय परिणाम यह दर्शाते हैं कि इन परियोजनाओं से वर्ष 2008-09 की अवधि में की गयी राजस्व वसूली (181.10 करोड़ रुपये⁸) पूंजीगत परिव्यय के

⁸विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में राजस्व प्राप्ति 108.84 करोड़ रुपये कम हो गया जो कि विगत वर्ष में घाघरा नहर (265.14 करोड़ रुपये) द्वारा अतिरिक्त राजस्व प्राप्तियों के अंकन के कारण था।

प्रतिशत के रूप में विगत वर्ष के 6.26 प्रतिशत से घटकर 3.68 प्रतिशत हो गयी थी जो कि पूंजीगत निवेशों पर वर्ष 2008-09 की अवधि के ब्याज (254 करोड़ रुपये) को वहन करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। कार्यशील एवं अनुरक्षण व्यय (551 करोड़ रुपये) को पूरा करने के उपरान्त योजनाओं पर विगत वर्ष के 432 करोड़ रुपये के घाटे के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में 623 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ।

1.6.2 अपूर्ण परियोजनायें

मार्च 2009 तक पूर्ण होने वाली एवं एक करोड़ रुपये की लागत से अधिक की अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति सारणी 1.16 में दी गयी है।

सारणी 1.16: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

विभाग	वर्ष 2008-09 की अवधि के अंत में	वर्ष 2008-09 की अवधि के अंत में	वर्ष 2008-09 की अवधि के अंत में	वर्ष 2008-09 की अवधि के अंत में	वर्ष 2008-09 की अवधि के अंत में
सिंचाई विभाग	38	1,105.95	4,382.35 ⁹	3,835.63 ¹⁰	4,294.99
लोक निर्माण विभाग	60	483.92	विभाग से अप्राप्त	विभाग से अप्राप्त	302.71
योग	98	1,589.87	4,382.35	3,835.63	4,597.70

*राज्य सरकार द्वारा अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की कुल पुनरीक्षित लागत

स्रोत: वित्त लेखे

इन 98 परियोजनाओं पर 4,598 करोड़ रुपये (मार्च 2009) का व्यय अधिकांशतः अलाभकारी रहा। पुनः, राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पूर्णता में 27 वर्षों तक की समय वृद्धि हुई। इन परियोजनाओं की लागत एवं समय में वृद्धि निधियों की कमी, कार्य क्षेत्र एवं रूपरेखा में बदलाव, कार्य की धीमी प्रगति, परियोजनाओं के लिए भूमि की अनुपलब्धता, सामग्री एवं श्रम की लागत में वृद्धि, इत्यादि के फलस्वरूप थी। सिंचाई विभाग की सरयू नहर परियोजना 2,420 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद अपूर्ण थी तथा पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर परियोजना की लागत 2,443 करोड़ रुपये बढ़ गयी थी। पूर्वी गंगा नहर परियोजना 759 करोड़ के व्यय के बावजूद भी अपूर्ण थी। ठीक उसी प्रकार, चौधरी चरण सिंह लहचुरा बाँध का आधुनिकीकरण 104 करोड़ रुपये व्यय के बावजूद भी अपूर्ण था। ऐसे ही, देवबन्ध शाखा पोषक वहिका का निर्माण 262 करोड़ रुपये व्यय के बावजूद अपूर्ण था। परियोजनाओं का निर्धारित समयावधि में पूर्ण न होने से न केवल लागत में वृद्धि हुई अपितु यह इस बात का भी सूचक है कि पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने की कीमत पर एवं ऋण सेवा के प्रतिफलों की कीमत पर नई परिसम्पत्तियों के सृजन को प्राथमिकता दी गयी।

1.6.3 निवेश एवं प्रतिफल

सरकार ने 31 मार्च 2009 तक 14,866.13 करोड़ रुपये का निवेश सांविधिक निगमों (431.41 करोड़ रुपये), सरकारी कम्पनियों (13,954.82 करोड़ रुपये), संयुक्त पूंजी कम्पनियों (10 लाख रुपये) तथा सहकारिता (479.80 करोड़ रुपये) में किया था। विगत तीन वर्षों की अवधि में इन निवेशों पर औसत प्रतिफल मात्र 0.007 प्रतिशत था जबकि सरकार ने अपने लिये गये ऋणों पर वर्ष 2006-09 की अवधि में 6.49 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से ब्याज का भुगतान किया (सारणी 1.17)।

⁹38 परियोजनाओं में से 15 परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत को प्रस्तुत करता है।

¹⁰38 परियोजनाओं में से 15 परियोजनाओं के लागत वृद्धि को प्रस्तुत करता है।

सारणी 1.17: निवेशों पर प्रतिफल

fuosk@i frQy@m/kjh dh ykxr	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
वर्ष के अंत तक निवेश (करोड़ रुपये में)	9535.57	15464.60	18545.82	12188.76	14866.13 ¹¹
प्रतिफल (करोड़ रुपये में)	-	0.15	0.85	1.05	1.26
प्रतिफल (प्रतिशत)	-	0.001	0.005	0.009	0.008
सरकार द्वारा लिये गये ऋण पर औसत ब्याज ¹² का दर (प्रतिशत)	9.47	6.49	6.74	6.43	6.29
ब्याज दर एवं प्रतिफल में अंतर (प्रतिशत)	9.47	6.49	6.74	6.42	6.28

स्रोत: वित्त लेखे

सरकार ने वर्ष 2008-09 की अवधि में तापीय विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रेषण एवं वितरण निगमों के शेयर पूँजी में तथा ग्रामीण विद्युतीकरण, इत्यादि में मुख्य रूप से निवेश किया था। निवेश इस तथ्य के बावजूद किया गया था कि इन निगमों ने 14,858 करोड़ रुपये¹³ की संचित हानि के कारण विगत तीन वर्षों से सरकार को निवेशों पर कोई लाभांश नहीं दिया था।

1.6.4 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रम भी निष्पादित करते हैं। विभागवार सरकार द्वारा इन विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में, उन वर्षों तक किये गये निवेश जिन वर्षों तक के प्रोफार्मा लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, निबल लाभ/हानि एवं इन उपक्रमों में निवेशित पूँजी पर प्रतिफल का विवरण परिशिष्ट 1.5 में दिया गया है। सरकार ने दस उपक्रमों में 544.76 करोड़ रुपये निवेशित किया था। इन दस में से सात उपक्रमों ने 6.55 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश के विरुद्ध 67 लाख रुपये का निबल लाभ अर्जित किया था, जिसमें सिंचाई विभाग के अंतर्गत झांसी, बरेली, इलाहाबाद एवं मेरठ में स्थित सिंचाई कार्यशाला खण्ड मुख्य लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम थे। शेष तीन उपक्रम जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग¹⁴, पशुपालन¹⁵, तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग¹⁶ के अधीन थे विगत तीन वर्षों से लगातार घाटे में थे। इनमें कुल निवेश 538 करोड़ रुपये के विरुद्ध 62.42 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई थी।

कुछ उपक्रमों में अत्यधिक घाटे के परिप्रेक्ष्य में सरकार को उनके कार्य प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए जिससे कि कम अवधि में उनके घाटों को समाप्त किया जा सके और मध्यम से दीर्घ अवधि में उन्हें स्व-संवहनीय बनाया जा सके।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त इनमें से कई संस्थानों/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर चुकी है। विगत तीन वर्षों में ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज की प्राप्तियाँ तथा 31 मार्च 2009 तक बकाया ऋण एवं अग्रिमों की स्थिति सारणी 1.18 में प्रस्तुत है।

¹¹वर्ष 2008-09 एवं विगत वर्षों के समाधान के अंतर्गत 13,262.56 करोड़ रुपये सम्मिलित नहीं है।

¹²आगणन की विधि के लिए पृष्ठ 98 पर शब्दावली देखें।

¹³अन्तिम उपलब्ध लेखों के अनुसार।

¹⁴खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

¹⁵राज्य पशुधन एवं कृषि फार्म।

¹⁶स्टेट फार्मसी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन्स।

सारणी 1.18 : सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	
			अप्रैल-2008	मार्च-2009
प्रारम्भिक अवशेष	8,160	8,692	-	8,985
वर्ष की अवधि में प्रदत्त अग्रिम की धनराशि	888	742	711	807
वर्ष की अवधि में प्राप्त अग्रिम की धनराशि	356	449	589	778
वर्ष के अंत में	8,692	8,985	-	9,014
जिसमें से अप्राप्त अवशेष जिनके शर्तों को निपटारा ¹⁷ जा चुका है	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
निबल वृद्धि	532	293	122	29
ब्याज प्राप्ति	48	31	-	53
अप्राप्त ऋण एवं अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	0.55	0.35	-	0.59
राज्य सरकार के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	6.46	6.20	-	6.06
भुगतानित ब्याज एवं ब्याज प्राप्ति में अंतर (प्रतिशत)	(-) 5.91	(-) 5.85	-	(-) 5.47

स्रोत : वित्त लेख, राज्य बजट

वर्ष 2008-09 की अवधि में दी गयी अग्रिमों की धनराशि बजट प्रावधान से 96 करोड़ रुपये (14 प्रतिशत) तथा ऋणों की वापसी बजट अनुमान से 189 करोड़ रुपये (32 प्रतिशत) अधिक थी।

आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत उपभोक्ता उद्योगों (171 करोड़ रुपये) एवं उत्तर प्रदेश प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन (138 करोड़ रुपये) तथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अन्य उपक्रमों (189 करोड़ रुपये) को मुख्य रूप से ऋण दिया (2008-09) गया था।

31 मार्च 2009 को 9,014 करोड़ रुपये धनराशि के ऋण एवं अग्रिम अवशेष थे (सारणी 1.18) जोकि आर्थिक सेवाओं (6,522 करोड़ रुपये), सामाजिक सेवाओं (1,619 करोड़ रुपये) एवं सामान्य सेवाओं (832 करोड़ रुपये) तथा सरकारी कर्मचारी (41 करोड़ रुपये) से अदत्त थे। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत अदत्त ऋण मुख्यतया ऊर्जा (3,161 करोड़ रुपये), उद्योग एवं खनिजों (2,596 करोड़ रुपये) एवं कृषि तथा अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों (519 करोड़ रुपये) से सम्बंधित थे। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ऋणों के मुख्य प्राप्तकर्ता ऊर्जा से वर्ष 2006-09 की अवधि में ऋणों की वसूली शून्य रही।

उधार ली गयी धनराशियों पर भुगतानित ब्याज दर (6.06 प्रतिशत एवं 6.46 प्रतिशत के बीच) के विरुद्ध वर्ष 2006-09 की कुल अवधि में अदत्त ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज की प्राप्ति एक प्रतिशत से भी कम थी जो यह इंगित करता है कि ब्याज प्राप्ति ऋण सेवा हेतु आवश्यक ब्याज के दायित्वों को पूरा करने हेतु भी पर्याप्त नहीं थी।

1.6.6 नगद अवशेषों एवं नगद अवशेषों का निवेश

वर्ष में राज्य सरकार द्वारा नगद अवशेषों से किये गये निवेशों एवं नगद अवशेषों को सारणी 1.19 में दर्शाया गया है।

¹⁷सरकार ने सूचना उपलब्ध नहीं करायी।

सारणी 1.19 : नगद अवशेषों एवं नगद अवशेषों का निवेश

(करोड़ रुपये में)

fooj.k	1 viay 2008 dks	31 ekpZ 2009 dks	of) @deh
uxn vo'kSk	15,200.16	9,067.14	(-) 6,133.02
uxn vo'kSk l s fuoSk ½ v , oac½			
अ-भारत सरकार के ट्रेजरी बिल	14,945.56	8,961.19	(-)5,984.37
ब-भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	45.20	45.20	शून्य
bZ j ekdZ vo'kSk ea l s fuf/kokj fuoSk dk fo?kVu			
भारत सरकार के प्रत्याभूतियों से निवेश	45.20	45.20	शून्य
प्राप्त ब्याज	889.71	581.53	(-)308.18

स्रोत : वित्त लेखे

वर्ष 2008-09 में नगद अवशेषों के निवेश से 4.08 प्रतिशत¹⁸ ब्याज प्राप्त हुआ था जबकि सरकार ने उधार ली गयी धनराशियों पर वर्ष में 6.06 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया।

राज्य सरकार के सामान्य बैंकिंग लेनदेनों को पूरा करने के लिए नगद अवशेषों को बनाये रखने की आवश्यकता का मूल्यांकन सरकार द्वारा मासिक औसत दैनिक नगद अवशेषों की प्रवृत्ति के अनुश्रवण द्वारा किया जा सकता है। विगत तीन वर्षों (2006-09) की अवधि में मासिक औसत दैनिक नगद अवशेषों, ट्रेजरी बिलों में निवेश एवं ट्रेजरी बिलों की रीडिस्काउंटींग की प्रवृत्ति सारणी 1.20 में प्रस्तुत है।

सारणी 1.20: मासिक औसत दैनिक नगद अवशेषों, 14 दिनों के ट्रेजरी बिलों में निवेशों एवं उनकी रीडिस्काउंटींग की प्रवृत्ति

(करोड़ रुपये में)

ekg	ekfl d vKl r nSud uxn vo'kSk			14 fnuakds VSt jh fcykaea fuoSk			VSt jh fcykadh jhfMLdkmVax		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
अप्रैल	143.38 (Cr)	59.57(Cr)	108.06(Dr)	6606.49	10161.89	15520.53	8473.59	12254.01	19976.93
मई	45.41(Dr)	290.99(Cr)	544.13(Dr)	10550.43	11421.50	11149.04	7580.36	9289.08	9824.62
जून	48.60(Dr)	31.93(Dr)	87.88(Dr)	17148.01	31315.04	18475.15	16574.36	29859.57	18081.23
जुलाई	2.72(Dr)	56.76(Dr)	44.70(Dr)	22543.67	14111.02	11423.33	22442.70	14807.50	14239.89
अगस्त	61.29(Dr)	3.29 (Dr)	16.75(Cr)	22011.95	8725.71	11225.73	22540.66	9081.61	12168.40
सितम्बर	696.27(Cr)	4.19(Cr)	5.80(Dr)	22062.93	11411.43	13941.73	22349.06	12248.03	14207.75
अक्टूबर	182.19(Dr)	12.82(Cr)	15.87(Dr)	17732.54	10223.42	13748.16	18906.14	13100.86	17342.79
नवम्बर	210.61(Dr)	51.72(Cr)	27.09(Dr)	19281.81	9188.03	10546.62	18766.77	10486.77	10275.29
दिसम्बर	213.23(Dr)	66.95(Cr)	94.07(Dr)	24638.18	12089.59	15113.86	24154.81	12325.60	14067.99
जनवरी	52.60(Dr)	26.02(Cr)	11.51(Cr)	19148.42	10629.75	14037.74	20054.01	10800.51	14065.27
फरवरी	223.78(Dr)	24.56(Cr)	74.08(Cr)	19700.72	4207.22	11429.08	17960.88	3824.51	13142.31
मार्च	947.45(Cr)	61.90(Dr)	113.87(Cr)	39107.52	19418.80	18443.20	34091.65	16205.06	14204.63

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

नगद अवशेषों को मुख्यतः (8,961.19 करोड़ रुपये) भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों में निवेशित किया गया था। अग्रेतर, 45.20 करोड़ रुपये की धनराशि भारत सरकार के प्रत्याभूतियों में निवेशित किये गये थे। वर्ष 2008-09 की अवधि में भारत सरकार की 1,65,054.16 करोड़ रुपये मूल्य के ट्रेजरी बिलों तथा 56.03 करोड़ रुपये मूल्य की प्रत्याभूतियों को क्रय किया

¹⁸वर्ष 2008-09 में रीडिस्काउन्टेड ट्रेजरी बिलों एवं भारत सरकार की लम्बी अवधि के प्रतिभूतियों की औसत धनराशि पर आगणित ब्याज दर।

गया था एव क्रमशः 1,71,038.52 करोड़ रुपये एवं 56.03 करोड़ रुपये के मूल्य के ट्रेजरी बिलों एवं प्रत्याभूतियों को बेचा गया था जिससे 581.53 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में अर्जित हुए।

1.7 परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें



1.7.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धियाँ एवं संघटक

राज्य सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में सरकारी भूमि, भवनों इत्यादि जैसी अचल परिसम्पत्तियों को समग्र रूप से लेखाबद्ध नहीं किया जाता है। फिर भी, राज्य सरकार के लेखे वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। **परिशिष्ट 1.6** में 31 मार्च 2008 के सापेक्ष 31 मार्च 2009 को ऐसी ही देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। हाँलाकि, **परिशिष्ट 1.6** में अंकित देयताओं के अंतर्गत मुख्य रूप से आन्तरिक ऋणों, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं रक्षित निधियों से प्राप्तियाँ दर्शायी गयी है जबकि परिसम्पत्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ अवशेषों का विवरण दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 में कुल देयताओं के रूप में राज्य के लोक लेखे एवं राज्य के समेकित निधि के अंतर्गत देयताओं को परिभाषित किया गया है। हालाँकि, इसमें पेंशन राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अन्य सेवानिवृत्ति लाभ/गारन्टी/राज्य सरकार द्वारा निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट्स सम्मिलित नहीं होते।

1.7.2 राजकोषीय देयतायें

राज्य की अदत्त राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत है फिर भी, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 में राजकोषीय देयताओं के संघटकों को **चार्ट 1.12** एवं **1.13** में प्रस्तुत किया गया है।



वर्ष 2004-05 में राज्य की कुल राजकोषीय देयतायें 1,31,401 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 1,87,411 करोड़ रुपये हो गयी। समेकित निधि (1,17,703 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत राज्य की राजकोषीय देयताओं में बाजार ऋण (97,339 करोड़ रुपये) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण (20,364 करोड़ रुपये) सम्मिलित थे। लोक लेखा देयताओं

(69,708 करोड़ रुपये) में लघु बचतें, भविष्य निधि (25,359 करोड़ रुपये), ब्याज धारित देयतायें (4,447 करोड़ रुपये) और ब्याज रहित देयतायें (39,902 करोड़ रुपये) सम्मिलित थी। विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2008-09 में राजकोषीय देयताओं में 7.55 प्रतिशत की वृद्धि दर थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं का अनुपात वर्ष 2004-05 में 53 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008-09 में 47 प्रतिशत हो गया। यह देयतायें वर्ष 2008-09 के अंत में राजस्व प्राप्तियों से 2.41 गुना तथा राज्य के अपने संसाधनों की 5.29 गुना थी। वर्ष की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष इन देयताओं की उत्प्लावकता 0.46 थी जो यह प्रदर्शित करती है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि होने पर राजकोषीय देयतायें 0.46 प्रतिशत बढ़ी।

राज्य सरकार ने खुले बाजार के ऋणों के परिशमन के लिए सिंकिंग फंड स्थापित किया है जिसमें प्रति वर्ष निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज एवं राजस्व से योगदान किया गया। 31 मार्च 2009 को सिंकिंग फंड में 24,655.11 करोड़ रुपये¹⁹ अवशेष था।

1.7.3 गारण्टी की स्थिति-आकस्मिक देयतायें

गारण्टी राज्य के समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिए गारण्टी दी गयी थी द्वारा अदायगी न करने पर उपभोग की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 में यह प्रावधान होते हुए भी कि राज्य सरकार किसी नियम या विधि के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि की गारण्टी नहीं देगी, राज्य सरकार ने कोई ऐसी विधि या नियम नहीं बनाये थे जोकि राज्य सरकार द्वारा गारण्टी दिये जाने की सीमा निर्धारित करें। बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आकस्मिक देयताओं जो कि गारण्टी के भुगतान करने पर उत्पन्न हों, उसकी प्रतिपूर्ति हेतु कोई निधि भी स्थापित नहीं की गयी थी। सरकार द्वारा गारण्टी हेतु लिये गये शुल्क को निर्दिष्ट निधि में जमा करने के स्थान पर राजस्व प्राप्तियों में जमा किया गया जिसका कि उपयोग राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारण्टी के उपयोग की परिस्थिति में किया जाना था।

वित्त लेखे के विवरण-6 के अनुसार अधिकतम धनराशि जिसके लिए सरकार द्वारा दी गयी गारण्टी एवं विगत तीन वर्षों में बकाया गारण्टी का विवरण सारणी 1.21 में दी गयी है।

सारणी 1.21: सरकार द्वारा प्रदत्त गारण्टी

(करोड़ रुपये में)

xkjUVh	2006-07	2007-08	2008-09
गारण्टी की अधिकतम धनराशि	12,235	18,144	27,892
अवशेष गारण्टी की धनराशि	11,056	12,736	16,084
कुल राजस्व प्राप्तियों से गारण्टी की अधिकतम धनराशि की प्रतिशतता	20.19	26.42	35.84

स्रोत : वित्त लेखे

गारण्टी की अधिकतम धनराशि वर्ष 2006-07 के स्तर 12,235 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 27,892 करोड़ रुपये (128 प्रतिशत) हो गयी। बकाया गारण्टी की धनराशियाँ भी वर्ष 2006-07 के 11,056 करोड़ रुपये के स्तर से वर्ष 2008-09 में बढ़कर (45 प्रतिशत) 16,084 करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष 2006-07 की राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष दी गयी अधिकतम गारण्टी 20.19 प्रतिशत के स्तर से वर्ष 2008-09 में बढ़कर 35.84 प्रतिशत हो

¹⁹वर्ष 2008-09 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 16 के 8222-01-101 के अंतिम अवशेष से 191.48 करोड़ रुपये का अंतर समाधान के अन्तर्गत है। 24,655.11 करोड़ रुपये में 6,166.40 करोड़ रुपये अविभाजित उत्तर प्रदेश का क्रेडिट अवशेष सम्मिलित है।

गयी। 31 मार्च 2009 को 13 सांविधिक निगमों और परिषदों (11,725.51 करोड़ रुपये), तीन सरकारी कम्पनियों (2.31 करोड़ रुपये), दो सहकारी बैंकों (2,624.73 करोड़ रुपये), तीन प्रकम बाजार सहकारी समितियों एवं संघों (1,712.78 करोड़ रुपये) और दो नगर निगमों/विकास प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों (18.66 करोड़ रुपये) से गारण्टी की धनराशि बकाया थी। यह प्रासंगिक होगा यदि अवशेष गारण्टी के कारण उत्पन्न दायित्वों को राज्य सरकार के राजकोषीय दायित्वों में चालू वर्ष के अन्त में जोड़ा जाए तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कुल दायित्वों से अनुपात 47 प्रतिशत से बढ़कर 51 प्रतिशत हो जायेगा। इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2018 तक इसे 25 प्रतिशत तक कम किया जाना था, इसके परिप्रेक्ष्य में यह उच्च स्तर पर प्रतीत हुआ।

1.8 ऋण संवहनीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य की ऋण संवहनीयता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। यह भाग राज्य सरकार के ऋण की संवहनीयता का आकलन ऋण स्थिरता, गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता, उधार ली गई धनराशियों की निबल उपलब्धता, ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात से माप) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रक्षेपण के संदर्भ में करता है। वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ होने वाले पाँच वर्षों की अवधि में इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण संवहनीयता सारणी 1.22 में विश्लेषित की गयी है।

सारणी 1.22 : ऋण संवहनीयता-सूचकांक और प्रवृत्ति

(करोड़ रुपये में)

सूचकांक	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार + प्राथमिक घाटा)	(-) 2,161	8,152	8,424	4,664	8,426
गैर-ऋण प्राप्तियों की प्रचुरता (संसाधन में अंतराल)	3,650	2,919	463	(-) 4,179	(-) 6,719
उधार ऋणों की निबल उपलब्धता	263	8,394	2,811	1,272	1,788
ब्याज भुगतान का भार (आई पी/आर आर अनुपात)	32	20	17	16	14

स्रोत : वित्त लेखे

प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा विस्तार 2004-05 की अवधि में ऋणात्मक रहा जो कि ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2005-06 से प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा धनात्मक हो गया जोकि ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में घटोत्तरी की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। ये प्रवृत्तियाँ संकेत करती हैं कि राज्य सरकार आगामी वर्षों में अपने ऋणों में स्थिरता लाने में सक्षम हो सकती है बशर्ते राज्य सरकार अपने राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों को संवहनीय सीमा तक सीमित रखे।

संसाधन में धनात्मक अंतराल राज्य सरकार के मध्यावधि से दीर्घावधि में ऋणों की संवहनीयता में मजबूती प्रदान करता है जबकि संसाधनों में ऋणात्मक अंतराल इसका विपरीत संकेत देता है। वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 की अवधि में ऋणात्मक संसाधन अंतराल यह प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2007-08 एवं उसके बाद मध्यम और दीर्घकालिक अवधि में राज्य के ऋणों की संवहन क्षमता कमजोर हुई।

वर्ष 2004-09²⁰ की अवधि में ब्याज एवं ऋणों के पुनर्भुगतान के पश्चात आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों से प्राप्त धनराशियों की शुद्ध

20

(करोड़ रुपये में)


	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
प्राप्ति	35,676	37,441	34,683	37,584	49,193
पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	35,413	29,047	31,872	36,312	47,405
धनराशियों की शुद्ध उपलब्धता	263	8,394	2,811	1,272	1,788
धनराशियों की शुद्ध उपलब्धता (प्रतिशत में)	0.74	22.42	8.10	3.38	3.64

उपलब्धता 0.74 प्रतिशत से 22.42 प्रतिशत के मध्य रही। वर्ष 2008-09 की अवधि में सरकार ने 5,577 करोड़ रुपये के आंतरिक ऋण, भारत सरकार के 1,199 करोड़ रुपये के ऋणों का पुनर्भुगतान किया तथा साथ ही साथ 11,375 करोड़ रुपये ब्याज सहित 29,254 करोड़ रुपये के अन्य दायित्वों का भी भुगतान किया। परिणामस्वरूप, उधार धनराशियों की उपलब्धता विगत वर्ष के 3.38 प्रतिशत से मामूली बढ़कर वर्ष 2008-09 में 3.64 प्रतिशत हो गयी। ऋण विमोचन अनुपात की प्रवृत्ति वर्ष 2005-06 के 78 प्रतिशत एवं वर्ष 2008-09 के 96 प्रतिशत के मध्य रही। विगत दो वर्षों में राज्य के ऋण दायित्वों को पूरा करने हेतु उधार ली गयी धनराशियों का लगभग 96 से 97 प्रतिशत प्रयोग किया गया।

सारिणी 1.23: राज्य के ऋण की परिपक्वता का प्रक्षेप

वर्ष	ऋण (करोड़ रुपये)	परिपक्वता (प्रतिशत)
0-1 वर्ष	5,843	4.96
1-3 वर्ष	12,870	10.93
3-5 वर्ष	15,166	12.89
5-7 वर्ष	17,562	14.92
7 वर्ष और अधिक	63,381	53.85
सूचना सरकार द्वारा नहीं दी गयी	2,881	2.45
कुल	1,17,703	100

स्रोत: वित्त लेखे



सारिणी 1.23 में दर्शाये गये आँकड़ों के अनुसार ऋण स्टाक के 2.45 प्रतिशत की परिपक्वता प्रक्षेप के संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गयी। एक वर्ष एवं सात वर्षों के उपरान्त ऋणों के भुगतान का भार एकत्रित हो जाएगा जिससे पुनर्भुगतान की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जाएगी। ऋण भुगतान के लिए एक सोची समझी नीति के अंतर्गत यह सुनिश्चित करना होगा कि इन वर्षों में परिपक्व होने वाले अतिरिक्त ऋणों को न लिया जाए।



1.9 राजकोषीय असंतुलन

एक निश्चित अवधि में तीन मुख्य प्राचल-राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे राज्य के वित्त में सकल राजकोषीय असंतुलन की सीमा प्रदर्शित करते हैं तथा सरकार के लेखों में प्राप्तियों और व्ययों का अन्तर घाटे को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सूचक है। इसके अतिरिक्त जिस विधि से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है तथा सृजित संसाधनों का उपयोग किया जाता है वे राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह भाग इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और वित्त पोषण करने के तरीकों को प्रस्तुत करता है एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों

में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटों की वास्तविक स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है।

1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2004-09 की अवधि में चार्ट 1.15 और 1.16 घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है।



2004-06 की अवधि में राजस्व लेखे में अत्यधिक घाटे की स्थिति थी। वर्ष 2006-07 में यह घाटा 4,901 करोड़ रुपये के आधिक्य में परिवर्तित हो गया जो कि वर्ष 2007-08 के दौरान घटकर 3,449 करोड़ रुपये हो गया एवं वर्ष 2008-09 की अवधि में यह आधिक्य 1,862 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2008-09 की अवधि में 9,158 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में 10,746 करोड़ रुपये बढ़ जाने के फलस्वरूप विगत वर्ष की तुलना में राजस्व अधिकता में मुख्य रूप से कमी हुई। वर्ष 2008-09 की अवधि में पूंजीगत व्यय में 5,396 करोड़ रुपये (32 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा वर्ष 2007-08 में 13,794 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 20,513 करोड़ रुपये हो गया। परिणामस्वरूप, संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के 3.5 प्रतिशत के मानक से राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष

2007-08 में 4.01 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान वर्ष में 5.12 प्रतिशत हो गया। विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2008-09 में राजकोषीय घाटे में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 2007-08 में प्राथमिक घाटा 2,974 करोड़ रुपये से तीन गुना 9,138 करोड़ रुपये हो गया।

राजस्व आधिक्य में गिरावट की प्रवृत्ति को योजनाबद्ध तरीके से सीमित किया जा सकता है जैसे बकाया करों की वसूली, सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव लागत की वसूली कर, सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं को समय से पूर्ण कर एवं इन परियोजनाओं को राजस्व के स्रोत के रूप में विकसित कर। वृद्धिमान राजकोषीय घाटे-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को, अनुत्पादक व्ययों में कटौती कर एवं अधिक लागत वाले बाजार ऋणों को तब तक न लिया जाय जब तक इसका अर्थव्यवस्था हेतु आर्थिक एवं वित्तीय उपादेयता स्पष्ट न हो, द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्यों तक सीमित रखा जा सकता है।

1.9.2 राजकोषीय घाटे और इसके वित्तीय पद्धति के घटक

राजकोषीय घाटे की वित्तीय पद्धति सारणी 1.24 में प्रदर्शित है।

सारणी 1.24: राजकोषीय घाटे और इसके वित्तीय पद्धति के घटक

(करोड़ रुपये में)

fooj.k	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
jkt dkskh; ?kVs dk fo?kVu					
jkt dkskh; ?kVk ¼ I s 3½	12,997	10,078	9,615	13,794	20,513
	(5.22)	(3.64)	(3.10)	(4.01)	(5.12)
1 राजस्व घाटा/आधिक्य (-)	6,993	1,268	(-) 4,901	(-) 3,449	(-) 1,862
2 निबल पूंजीगत व्यय	5,653	8,711	13,984	16,950	22,346
3 निबल ऋण एवं अग्रिम	351	99	532	293	29
jkt dkskh; ?kVs dh foUkh; i) fUk*					
1 बाजार उधारी	3,292	2,007	2,219	2,628	10,296
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 3,413	(-) 855	(-) 1,795	(-) 821	(-) 778
3 एन. एस. एस. एफ. को निर्गत विशेष प्रत्याभूतियां	7,181	7,625	5,831	1,423	426
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,246	229	131	1,068	628
5 लघु बचते, भविष्य निधि इत्यादि	1,810	1,960	2,733	2,451	2,944
6 निक्षेप एवं अग्रिम	(-) 207	3,338	1,794	2,683	(-) 2,525
7 उचन्त एव विविध	1,003	755	2,277	654	973
8 प्रेषण	94	140	407	273	78
9 अन्य (जैसे आकस्मिकता निधि के अंतर्गत लेन-देन, आरक्षित निधि, नगद अवशेष निवेश)	1,991	(-) 5,121	(-) 3,982	3,435	8,471
; lxx	12,997	10,078	9,615	13,794	20,513

कोष्ठक में दी गयी संख्या सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत है
*ये सभी आंकड़े वर्ष के अंतर्गत संवितरणों/व्ययों का निबल हैं

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2004-09 की अवधि में राजकोषीय घाटा 9,615 करोड़ रुपये (2006-07) और 20,513 करोड़ रुपये (2008-09) के मध्य था। राजकोषीय घाटा विगत वर्ष की तुलना में 13,794 करोड़ रुपये से 49 प्रतिशत बढ़कर 20,513 करोड़ रुपये हो गया। पूंजीगत व्यय में 5,396 करोड़ रुपये (32 प्रतिशत) की वृद्धि और राजस्व अधिक्य में वर्ष 2008-09 में कमी राजकोषीय घाटे में वृद्धि के प्रमुख कारक थे।

1.9.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए) में अपघटन राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करेगा। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार की निधियों का उपयोग चालू व्ययों को पूरा करने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात का लगातार उच्च रहना यह इंगित करता है कि राज्य के सम्पत्ति का आधार लगातार कम हो रहा है एवं उधारी (राजकोषीय देयताओं) के कुछ भाग हेतु पूंजी का आधार उपलब्ध नहीं था। प्राथमिक घाटे का द्विशाखन (सारणी 1.25) उस सीमा की ओर इंगित करेगा जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण घाटा हुआ। पूंजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकता है।

सारणी 1.25 : प्राथमिक घाटा/अधिक्य-घटकों का द्विशाखन

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्राथमिक राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	पूँजीगत व्यय	अग्रिम	प्राथमिक राजस्व घाटे से अनुपात	राजकोषीय घाटे से अनुपात	पूँजीगत व्यय से अनुपात
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2004-05	37,895	32,737	5,653	629	39,019	(+) 5,158	(-) 1,124
2005-06	45,934	37,519	8,711	684	46,914	(+) 8,415	(-) 980
2006-07	60,956	45,222	13,984	888	60,094	(+) 15,734	(+) 862
2007-08	69,121	54,403	16,950	742	72,095	(+) 14,718	(-) 2,974
2008-09	78,609	64,594	22,346	807	87,747	(+) 14,015	(-) 9,138

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2006-07 की अवधि में पहली बार सरकार को 862 करोड़ रुपये का प्राथमिक आधिक्य हुआ। उतरोत्तर वर्षों में यह घाटे में परिवर्तित हो गया क्योंकि गैर-ऋण प्राप्तियाँ बढ़े हुए पूंजीगत व्यय की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थीं। यदि यह प्रवृत्ति बनी रही तो ऋण संवहनीयता को जोखिम में डाल देगी क्योंकि आदर्श रूप में गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्रत्येक वर्ष न केवल प्राथमिक व्यय को बल्कि वृद्धिमान ब्याज भार को भी वहन करेगी।

1.9.4 राज्य के स्व राजस्व एवं घाटे में सुधार

यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि राज्य द्वारा अपने संसाधनों में वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप किस सीमा तक घाटों में सुधार हुआ जो घाटे के सूचकों में सुधार की स्थिरता का सूचक है। विगत तीन वर्षों में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में बदलाव और घाटे में सुधार की स्थिति सारणी 1.26 में प्रदर्शित है।

सारणी 1.26: राजस्व प्राप्तियों और घाटे के सुधार में बदलाव

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में)

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	
			राज्य के स्व कर राजस्व	राज्य के स्व करेतर राजस्व
राज्य के स्व कर राजस्व	19.56	19.94	22.00	19.42
राज्य के स्व करेतर राजस्व	7.42	7.25	8.30	7.15
राज्य का केन्द्रीय करो एवं शुल्कों में अंश	2.11	1.69	1.60	1.69
सहायक अनुदान	7.49	8.51	8.91	7.71
राज्य के स्व कर राजस्व	2.53	2.50	3.26	2.87
राज्य के स्व करेतर राजस्व	17.98	18.94	19.22	18.96
राज्य का केन्द्रीय करो एवं शुल्कों में अंश	1.58	1.00	2.80	0.46
सहायक अनुदान	3.10	4.01	2.98	5.12

स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात और राजस्व व्ययों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में इन वर्षों में बहुत कम बदलाव हुआ। फिर भी राजस्व आधिक्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात कम हुआ एवं राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात बढ़ रहा था।

1.10 निष्कर्ष

राज्य की राजकोषीय स्थिति में मूल राजकोषीय प्राचलो के संदर्भ में विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2008-09 में गिरावट आयी। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 में न केवल राजस्व आधिक्य 1,587 करोड़ रुपये (46 प्रतिशत) से कम हो गया, बल्कि राजकोषीय घाटा 6,719 करोड़ रुपये (49 प्रतिशत) तथा प्राथमिक घाटा 6,164 करोड़ रुपये (207 प्रतिशत) से बढ़ गया।

सरकार के वर्ष 2008-09 के राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति एवं बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राज्य के राजकोषीय निष्पादन का वर्ष की अवधि में निराशाजनक प्रदर्शन रहा।

वर्ष 2008-09 में राजस्व प्राप्तियों में निम्न वृद्धि दर प्रथमतया गत वर्ष के सापेक्ष राज्य के स्व कर राजस्व में केवल 15 प्रतिशत (3,700 करोड़ रुपये) की कम वृद्धि दर के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष वर्ष 2007-08 के 3,449 करोड़ रुपये के स्तर से घटकर (1,587 करोड़ रुपये; 46 प्रतिशत) वर्ष 2008-09 में 1,862 करोड़ रुपये हो गया।

राज्य के व्ययों की पद्धति यह इंगित करती है कि वर्ष 2004-09 की अवधि में राजस्व व्यय कुल व्यय के 77-88 प्रतिशतों के मध्य था तथा वर्ष 2008-09 में यह 77 प्रतिशत था जिसके फलस्वरूप उपलब्ध संसाधन सेवाओं के विस्तार एवं सम्पत्तियों के सृजन हेतु अपर्याप्त थे।

वर्ष 2008-09 में राजस्व व्यय के अंतर्गत आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 58,678 करोड़ रुपये था जो कि वर्ष के लिए बारहवें वित्त आयोग के द्वारा अनुमानित मानक 44,675 करोड़ रुपये से पर्याप्त रूप से अधिक था। पुनः वचनबद्ध व्यय यथा-वेतन व्यय, पेंशन दायित्व, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2008-09 की अवधि के आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 78 प्रतिशत था।

बारहवें वित्त आयोग के पंचाट अवधि के प्रारम्भ वर्ष 2005-06 की अवधि में सरकार ने कुल व्यय एवं पूंजीगत व्यय को यथोचित प्राथमिकता दी क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रकरण में कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं पूंजीगत व्यय/कुल व्यय अनुपात राष्ट्रीय औसत से उच्च था। उत्तर प्रदेश में विकास व्यय एवं सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय यथोचित नहीं था क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास व्यय/कुल व्यय अनुपात तथा सामाजिक क्षेत्र पर व्यय/कुल व्यय अनुपात सभी राज्यों के औसत से कम था। वर्ष 2008-09 में भी सभी राज्यों के औसत की तुलना में विकास व्यय एवं सामाजिक क्षेत्रों पर निम्न राजकोषीय प्राथमिकता दी गयी।

राजकोषीय घाटे के लगातार बने रहने के साथ-साथ राज्य सरकार के निवेशों पर मामूली प्रतिफलों एवं सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक बने रहने के लिये बारहवें वित्त आयोग के आकलन की तुलना में की जा रही अपर्याप्त लागत वसूली के कारण राज्य के वित्त पर दबाव बढ़ा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं का अनुपात वर्ष 2008-09 में 47 प्रतिशत था जो विशेषकर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन में निर्धारित लक्ष्यों जिसके अनुसार वर्ष 2018 के अंत तक इस अनुपात को 25 प्रतिशत तक लाना है, के परिप्रेक्ष्य में उच्च प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 38 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण करने में असमान्य विलम्ब हुआ जिसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं पर 3,836 करोड़

रूपये लागत वृद्धि हुयी। राज्य सरकार को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। विगत दो वर्षों में लगभग 96 से 97 प्रतिशत उधार ली गयी धनराशियों का उपयोग ऋण देयताओं को पूरा करने हेतु किया गया जो कि राज्य को ऋण जाल में ले जा रहा था। सरकार द्वारा समेकित निधि पर दी गई गारंटी की सीमा सुनिश्चित करने हेतु कोई अधिनियम या नियम नहीं बनाया गया। सरकार द्वारा आकस्मिक देयताओं की पूर्ति हेतु किसी निधि की स्थापना नहीं की गयी थी जो बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार गारंटी की धनराशि प्राप्त न होने की स्थिति में उत्पन्न हो सकती है।

भारत सरकार से सीधे धनराशियों को प्राप्त करने वाले अभिकरणों द्वारा उचित अभिलेखीकरण एवं व्यय की समयबद्ध रिपोर्टिंग के साथ एकरूप लेखी प्रणाली नहीं अपनायी गयी जिससे इन सीधे हस्तान्तरित धनराशियों के अंतिम प्रयोग के अनुश्रवण में कठिनाई होती है।

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थानों के वित्त पर सही सूचना उनकी आवश्यकताओं के आकलन के लिए रखने हेतु डाटाबेस विकसित नहीं किया गया।

1.11 संस्तुतियाँ

राजकोषीय सुधार : करों की प्राप्ति पर केन्द्रित विशेष प्रयास के साथ उत्तर प्रदेश सरकार, बकाये करों को प्राप्त करके, सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव की लागत वसूली करके, लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की परियोजनाओं को समय पर पूरा कर एवं उन्हें राजस्व का स्रोत बनाकर, बाजार ऋणों को हतोत्साहित कर एवं अनुत्पादक पूंजीगत व्यय में कटौती करके राजकोषीय निष्पादन को गति प्रदान कर सकेगी (प्रस्तर 1.9.1)।

लोक व्ययों को प्रमुख वरीयता: न्यून प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय तथा विकास व्ययों के परिप्रेक्ष्य में सरकार लोक व्ययों की वरीयता पर पुनर्विचार कर सकती है (प्रस्तर 1.5.1)।

सरकार के निवेशों की समीक्षा: सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों और सहकारी संस्थाओं में सरकार द्वारा किये गये निवेशों पर औसत प्रतिफल, इसके द्वारा लिए गये ऋणों पर प्रदत्त ब्याज की तुलना में बहुत ही कम था। यह असंवहनीय स्थिति है। राज्य सरकार को निवेशों पर लगाये धन का अच्छा अर्जन करना चाहिए अन्यथा कम वित्तीय उपादेयता वाली परियोजना पर लगायी गयी अधिक लागत वाली ऋण की धनराशि, अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाये रखेगी। ऐसी परियोजनायें जो कि कम वित्तीय एवं उच्च सामाजिक-आर्थिक उपादेयता पर उचित ठहरती हो एवं उच्च लागत ऋणों के लिए वरीयता के आधार पर पूरी तरह से न्यायोचित ठहरायी जा सके को चिन्हित किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा परिचालित सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनायें जो कि अत्यधिक हानि में हैं, की समीक्षा करनी चाहिए एवं उन्हें बन्द करने अथवा उनके महत्व एवं पुनर्जीवन की संभाव्यता के आधार पर सही निर्णय लेना चाहिए।

रोकड़ का कुशल प्रबन्धन : अतिरिक्त रोकड़ अवशेषों को रखने की लागत अधिक थी। वर्ष 2008-09 में भारतीय रिजर्व बैंक के ट्रेजरी बिलों में रोकड़ अवशेषों के निवेशों से अर्जित ब्याज केवल 4.08 प्रतिशत था जबकि सरकार द्वारा 6.06 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण लिया गया था (प्रस्तर 1.6.6)। अग्रिम योजना के माध्यम से उचित ऋण प्रबंधन अत्यधिक रोकड़ अवशेषों की आवश्यकता को कम कर सकेगा।

ऋण संवहनीयता : उत्तर प्रदेश सरकार को राजकोषीय सुधार अधिनियम में निर्दिष्ट वर्ष 2018 तक कुल देयताओं एवं अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत के मानक को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा (प्रस्तर 1.7.3)। विगत दो वर्षों में उधार ली गयी धनराशियों का लगभग 96 से 97 प्रतिशत उपयोग ऋण दायित्वों को कम करने में किया

गया जो कि राज्य को ऋण जाल की ओर ले जा रहा है। जहाँ तक संभव हो सरकार उधारी निधियों का उपयोग केवल पूंजीगत व्यय हेतु करे तथा राजस्व व्ययों की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से करे। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय वर्ष के अंत में ऋणों को इक्वटा होने से बचाने हेतु लिए गए ऋणों के कैलेण्डर का रख-रखाव किया जाये तथा ऋणों के भुगतान की परिपक्वता के प्रक्षेप्य का स्पष्ट अनुश्रवण किया जाये जो ऋणों का दूरगामी कुशल प्रबंधन होगा।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में विनियोग लेखों के लेखापरीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्वों एवं बजट सम्बंधी प्रक्रियाओं का रेखांकन किया गया है। विनियोग लेखापरीक्षा इस तथ्य को सुनिश्चित करता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तविक रूप से किया गया व्यय विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत धनराशियों की सीमा तक ही है एवं भारित किया जाना वाला व्यय संविधान के अंतर्गत भारित है। विनियोग लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करता है कि किया गया व्यय विधि, सम्बंधित नियमों, नियमनों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

बाक्स 2.1

विनियोग लेखे

विनियोग लेखे सरकार द्वारा प्रति वर्ष किये गये दत्तमत्त एवं भारित व्ययों का लेखा-जोखा है, जिसकी तुलना विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न की गयी सूचियों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु निर्धारित अनुदानों एवं विनियोगों से की जाती है। इन लेखों में विनियोग लेखों द्वारा प्राधिकृत बजट के विनियोग एवं दत्तमत्त दोनों मदों की धनराशियों के सापेक्ष मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोगों की धनराशियों को सुयुक्त किया गया है। इस प्रकार विनियोग लेखे, वित्त प्रबंधन एवं बजट के प्रावधानों के अनुश्रवण को सुसाध्य बनाता है एवं इसलिए यह वित्त लेखों का पूरक भी है।

2.2 विनियोग लेखों का सार

वर्ष 2008-09 की अवधि के दौरान 91 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध किया गया वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति सारणी 2.1 में सारांशीकृत की गयी है।

सारणी 2.1 : वास्तविक/अनुपूरक प्रावधानों के विरुद्ध किये गये वास्तविक व्ययों की संक्षिप्त स्थिति

(करोड़ रुपये में)

	0; ; dk Lo: i	ew vuqku@ fofu; lx	vuqjd vuqku@ fofu; lx	; lx	okLrfod 0; ;	cpra
nrer	1 राजस्व	61,630.43	7,434.66	69,065.09	62,403.86	6,661.23
	2 पूंजीगत	28,659.00	3,096.54	31,755.54	31,423.40	332.14
	3 ऋण तथा अग्रिम	711.38	197.42	908.80	807.01	101.79
; lx nrer		91]000-81	10]728-62	1]01]729]43	94]634-27	7]095-16
Hkfj r	4 राजस्व	14,911.69	82.39	14,994.08	14,656.66	337.42
	5 पूंजीगत	10.54	—	10.54	7.09	3.45
	6 लोक ऋण-पुनर्भुगतान	16,775.37	2.79	16,778.16	6,776.49	10,001.67
; lx Hkfj r		31]697-60	85-18	31]782-78	21]440-24	10]342-54
dy ; lx		1]22]698-41	10]813-80	1]33]512-21	1]16]074-51	17]437-70

नोट:- वास्तविक व्यय के ओकडे जिसमें दत्तमत राजस्व व्यय (1,091.63 करोड़ रुपये) तथा पूंजीगत व्यय (9,084.77 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

स्रोत: विनियोग लेखा

अनुदानों एवं विनियोगों के राजस्व खण्डों के 111 प्रकरणों, पूंजीगत खण्डों के 57 प्रकरणों तथा ऋण के चार प्रकरणों (लोक ऋण-पुनर्भुगतान) के अन्तर्गत 21,790.88 करोड़ रुपये की बचतों के परिणामस्वरूप 17,437.70 करोड़ रुपये की कुल बचतें थीं जो अनुदानों एवं विनियोगों के राजस्व अनुदानों एवं विनियोग मद के 17 प्रकरणों में 675.55 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत अनुदान मदों के 10 प्रकरणों में 3,677.63 करोड़ रुपये के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।

बचतों/आधिक्यों के ब्योरे (ब्योरेवार विनियोग लेखा) नियंत्रण अधिकारियों को महत्वपूर्ण विचलनों की व्याख्या के लिये भेजे गये थे (अगस्त 2009) जो अभी तक (अक्टूबर 2009) अप्राप्त थे।

खाद्य एवं रसद (पूंजीगत दत्तमत : 409.16 करोड़ रुपये), लोक निर्माण (भवन) (पूंजीगत दत्तमत: 769.50 करोड़ रुपये), लोक निर्माण (संचार-सड़क) (पूंजीगत दत्तमत : 1,697.88 करोड़ रुपये), वित्त (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) (राजस्व दत्तमत: 521.24 करोड़ रुपये) एवं सिंचाई-वर्क्स (पूंजीगत दत्तमत: 670.11 करोड़ रुपये) विभागों द्वारा प्रावधानित धनराशियों से बहुत अधिक धनराशि व्यय किया गया था। उसी प्रकार ऊर्जा (राजस्व दत्तमत: 302.76 करोड़ रुपये, पूंजीगत दत्तमत : 2,176.69 करोड़ रुपये), कृषि (राजस्व दत्तमत: 460.99 करोड़ रुपये), पंचायती राज (राजस्व दत्तमत: 379.24 करोड़ रुपये), चिकित्सा-एलोपैथी (राजस्व दत्तमत: 369.51 करोड़ रुपये), लोक निर्माण (अधिष्ठान) (राजस्व दत्तमत: 496.58 करोड़ रुपये) वित्त (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) (राजस्व दत्तमत:1,278.98 करोड़ रुपये) तथा पूंजीगत भारित: 10,001.56 करोड़ रुपये), शिक्षा (बेसिक शिक्षा) (राजस्व दत्तमत: 646.21 करोड़ रुपये) तथा समाज कल्याण (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष धटक योजना) (राजस्व दत्तमत: 470.38 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत दत्तमत: 399.73 करोड़ रुपये) विभागों ने बहुत अधिक बचतें की।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

2.3.1 आबंटनीय प्राथमिकतायें के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्रत्येक 121 प्रकरण में बचत 10 करोड़ रुपये या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट 2.1)। 21,648.40 करोड़ रुपये की कुल बचतों के सापेक्ष 44 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में 50 करोड़ रुपये से अधिक) जो 29 अनुदानों एवं विनियोगों से सम्बंधित थीं में 20,566.15 करोड़ रुपये (95 प्रतिशत) की बचतें पायीं जिनका विवरण सारणी 2.2 में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 2.2: पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची
(करोड़ रुपये में)

Øe l ; k	vunku dk uke , oa l ; k	ew	vuijd	; kx	okLrfod 0 ;	cpr
jkt Lo&nllker						
1	7-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	186.74	10.19	196.93	57.97	138.96
2	9-ऊर्जा विभाग	2,288.70	0.98	2,289.68	1,986.92	302.76
3	11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,335.26	58.46	2,393.72	1,932.73	460.99
4	14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	1,170.00	427.50	1,597.50	1,218.26	379.24
5	21-खाद्य तथा रसद विभाग	141.72	19.29	161.01	31.59	129.42
6	24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	64.52	561.35	625.87	501.07	124.80
7	26-गृह विभाग (पुलिस)	3,628.84	467.91	4,096.75	4,032.01	64.74
8	31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	823.68	43.83	867.51	771.05	96.46

9	32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1,741.71	139.38	1,881.09	1,511.59	369.50	
10	33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	243.12	26.20	269.32	216.91	52.41	
11	35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	815.80	67.78	883.58	827.33	56.25	
12	36-चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	257.81	28.39	286.20	212.11	74.09	
13	42-न्याय विभाग	534.16	53.58	587.74	430.65	157.09	
14	45-पर्यावरण विभाग	88.50	0.12	88.62	2.93	85.69	
15	47-प्राविधिक शिक्षा विभाग	161.94	18.24	180.18	120.87	59.31	
16	48-मुस्लिम वक्फ विभाग	221.15	479.64	700.79	421.39	279.40	
17	49-महिला एव बाल कल्याण विभाग	2,027.63	170.74	2,198.37	2,060.21	138.16	
18	51-राजस्व विभाग (देवी आपदा राहत)	1,134.47	12.63	1,147.10	1,089.43	57.67	
19	52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	925.68	107.29	1,032.97	967.98	64.99	
20	54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	716.76	71.23	787.99	291.41	496.58	
21	61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	4,784.82	शून्य	4,784.82	3,505.84	1,278.98	
22	71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	8,955.75	644.35	9,600.10	8,953.88	646.22	
23	72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	3,042.61	700.42	3,743.03	3,540.82	202.21	
24	73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	885.16	86.07	971.23	806.72	164.51	
25	83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4,068.97	407.46	4,476.43	4,006.05	470.38	
26	95-सिचाई विभाग (अधिष्ठान)	1,081.00	120.45	1,201.45	1,122.80	78.65	
		; lxx	42,326.50	4,723.48	47,049.98	40,620.52	6,429.46
in hxr & nker							
1	9-ऊर्जा विभाग	7,778.46	98.00	7,876.46	5,699.77	2,176.69	
2	11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	239.14	79.60	318.74	164.14	154.60	
3	14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	631.23	शून्य	631.23	570.95	60.28	
4	15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	109.24	शून्य	109.24	37.76	71.48	
5	24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	30.00	291.39	321.39	156.11	165.28	
6	26-गृह विभाग (पुलिस)	291.20	16.63	307.83	238.21	69.62	
7	32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	433.48	213.81	647.29	524.50	122.79	
8	38-नागरिक उद्‌डयन विभाग	59.00	56.80	115.80	73.10	42.70	
9	42-न्याय विभाग	207.50	शून्य	207.50	96.34	111.16	
10	45-पर्यावरण विभाग	80.65	शून्य	80.65	शून्य	80.65	
11	48-मुस्लिम वक्फ विभाग	27.27	200.00	227.27	59.41	167.86	
12	49-महिला एव बाल कल्याण विभाग	60.08	शून्य	60.08	0.55	59.53	
13	51-राजस्व विभाग (देवी आपदा राहत)	100.00	शून्य	100.00	29.93	70.07	
14	62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	50.00	50.00	100.00	46.98	53.02	
15	83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2,946.83	277.26	3,224.09	2,824.36	399.73	
		; lxx	13,044.08	1,283.49	14,327.57	10,522.11	3,805.46
jkt Lo & nker							
1	21-खाद्य तथा रसद विभाग	205.01	शून्य	205.01	शून्य	205.01	
2	61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	14,425.77	शून्य	14,425.77	14,301.11	124.66	
		; lxx	14,630.78	शून्य	14,630.78	14,301.11	329.67
in hxr & Mj							
1	61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	15253.03	शून्य	15253.03	5251.47	10001.56	
		; lxx	15,253.03	शून्य	15,253.03	5,251.47	10,001.56
		dy ; lxx	85,254.39	6,006.97	91,261.36	70,695.21	20,566.15

स्रोत : विनियोग लेखा

2.3.2 अनवरत बचतें

विगत पाँच वर्षों से निम्न चार अनुदानों के अंतर्गत प्रत्येक चार प्रकरणों में चार करोड़ रुपये तथा कुल अनुदान का चार प्रतिशत या अधिक की अनवरत बचतें थी:

सारणी 2.3: वर्ष 2004-09 अवधि में अनवरत बचतों वाली अनुदानों की सूची

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं. I ; k	विवरण vunku dk uke , oa I ; k	अवधि cprkadh /kujk'k				
		2004&05	2005&06	2006&07	2007&08	2008&09
जिला						
01	40-नियोजन विभाग	4.41	6.71	9.27	11.43	32.71
02	49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	62.64	37.33	200.47	116.12	138.16
महानगर						
01	26-गृह विभाग(पुलिस)	108.80	135.55	157.87	46.18	69.62
02	61-वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय)	38.61	25.97	138.40	149.72	21.69

स्रोत : विनियोग लेखा

विगत पाँच वर्षों में अनवरत बचतें यह दर्शाती हैं कि बजट आकलन उचित रूप से नहीं किया गया था।

2.3.3 आधिक्य व्यय

अट्टारह प्रकरणों में किया गया 28,135.48 करोड़ रुपये के व्यय की धनराशि अनुमोदित प्रावधान से 4,328.06 करोड़ रुपये अधिक थी। इन प्रत्येक प्रकरणों में 10 करोड़ रुपये से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक का व्यय था जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है। इनमें से **सारणी 2.4** के विवरणानुसार निम्न अनुदानों में लगातार पाँच वर्षों में 20 प्रतिशत से अधिक का व्यय पाया गया।

सारणी 2.4: वर्ष 2004-09 की अवधि में अनवरत अधिक व्यय से सम्बन्धित अनुदानों की सूची

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं. I ; k	विवरण vunpukadh uke , oa I ; k	2004&05	2005&06	2006&07	2007&08	2008&09
जिला						
1	58 लोक निर्माण विभाग (संचार - सड़कें)	9.55	58.63	41.05	24.32	58.62
महानगर						
2	55- लोक निर्माण विभाग (भवन)	132.17	198.34	436.24	644.60	769.50
3	58- लोक निर्माण विभाग (संचार- सड़कें)	1.63	502.05	861.52	1,427.82	1,697.88

स्रोत : विनियोग लेखा

2.3.4 विगत वर्षों के प्रावधानों से अधिक हुए व्ययों के नियमन की आवश्यकता

भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य व्ययों को राज्य विधान मंडल से नियमित कराये। वर्ष 2005-08 तक के 7,121.90 करोड़ रुपये का आधिक्य व्यय का नियमन अपेक्षित था जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है। अनुदानों/विनियोगों के वर्षवार आधिक्य व्यय जो नियमन हेतु लंबित थे **सारणी 2.5** में सारांशीकृत हैं।

सारणी 2.5 : विगत वर्षों के प्रावधानों से आधिक्य व्ययों के नियमन की आवश्यकता
(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आधिक्य व्यय		नियमन की आवश्यकता
	व्यय	आधिक्य	
2005-06	25	04	1,026.78
2006-07	18	06	2,484.47
2007-08	12	02	3,610.65
कुल	55	12	7,121.90

स्रोत : विनियोग लेखा

2.3.5 वर्ष 2008-09 की अवधि में प्रावधान से अधिक हुए व्यय के नियमन की आवश्यकता

राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत वर्ष 2008-09 की अवधि में अनुदानों/विनियोगों के छः प्रकरणों में कुल व्ययाधिक्य 3,399.42 करोड़ रुपये का सार **सारणी 2.6** में दिया गया है जिनका संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमन अपेक्षित है।

सारणी 2.6: वर्ष 2008-09 की अवधि के प्रावधानों से आधिक्य व्ययों के नियमन की आवश्यकता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	आधिक्य व्यय	नियमन की आवश्यकता	व्यय	आधिक्य
वित्त विभाग					
1	62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	5,065.74	5,586.98	521.24	521.24
2	96-सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य)	1,420.30	1,450.35	30.05	30.05
	कुल	6,486.04	7,037.33	551.29	551.29
लोक निर्माण विभाग					
3	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	46.55	816.05	769.50	764.08 ¹
4	58-लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़कें)	2,961.35	4,659.23	1,697.88	1,412.85 ²
5	96-सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य)	2,364.29	3,034.41	670.12	670.12
	कुल	5,372.19	8,509.69	3,137.50	2,847.05
राजस्व विभाग					
6	52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	0.46	1.54	1.08	1.08
	कुल	0.46	1.54	1.08	1.08
	कुल	11,858.69	15,548.56	3,689.87	3,399.42

स्रोत : विनियोग लेखा

2.3.6 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष की अवधि में प्रत्येक 51 प्रकरणों में 50 लाख या अधिक का अनुपूरक अनुदान (कुल 2,323.20 करोड़ रुपये) प्राप्त किया गया जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की धनराशि को ही व्यय नहीं किया जा सका था जिसके विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है। 12 प्रकरणों में 1,646.04 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान जो कि प्रत्येक प्रकरण में 2 करोड़ रुपये से अधिक था अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके कारण अनाच्छादित व्यय 2,791.21 करोड़ रुपये अधिक था (**परिशिष्ट 2.5**)।

¹5.42 करोड़ रुपये का प्रो-राटा द्वारा समायोजन किया गया (4.12 करोड़ रुपये) तथा अकस्मिकता निधि से पोषित (1.30 करोड़ रुपये)। ²285.03 करोड़ रुपये प्रो-राटा द्वारा समायोजित।

2.3.7 आधिक्य/अनावश्यक निधियों का पुनर्विनियोग

अनुदान के अंतर्गत धनराशि का एक इकाई से जहाँ पर बचतें पूर्वानुमानित हो का दूसरे इकाई में हस्तान्तरण जहाँ पर अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो, पुनर्विनियोग है। कुछ प्रकरणों में 670.73 करोड़ रुपये की बचतें तथा अन्य प्रकरणों में 1,636.57 करोड़ रुपये का अधिक व्यय जो कि अधिक या अपर्याप्त था, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग है जिसका कि विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है।

2.3.8 अव्याख्यायित पुनर्विनियोग

बजट मैनुवल के प्रस्तर 158 के अनुसार अतिरिक्त व्ययों तथा बचतों को पुनर्विनियोग विवरण में व्याख्यायित किया जाना चाहिये। फिर भी, वित्त विभाग द्वारा निर्गत 327 पुनर्विनियोग आदेशों की जाँच में यह पाया गया कि पुनर्विनियोग आदेशों में प्रावधानों के विरुद्ध आहरण/अतिरिक्त प्रावधान के कारणों की व्याख्या पुनर्विनियोग के आदेशों में नहीं की गई थी।

2.3.9 अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण

116 उपशीर्षों से अत्यधिक धनराशियों का योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वित न होने या धीमी गति से कार्यान्वयन के कारण अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत या अधिक) करना पड़ा। 116 योजनाओं में कुल प्रावधानित धनराशि 4,981.14 करोड़ रुपये में से 3,506.26 करोड़ रुपये (70 प्रतिशत) अभ्यर्पित कर दिये गये जिसमें 57 योजनाओं में शत-प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित है (566.84 करोड़ रुपये)। इस प्रकार के प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है। जो यह दर्शाता है कि बजट उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था।

2.3.10 वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण

सत्तरह प्रकरणों में वास्तविक बचतों से अधिक की धनराशि (प्रत्येक प्रकरण में 50 लाख रुपये या अधिक) अभ्यर्पित की गयी थी जोकि यह दर्शाता है कि इन विभागों में उपयुक्त बजट नियंत्रण में कमी थी। इन प्रकरणों में 794.03 करोड़ रुपये की बचतों के विरुद्ध समर्पण किया गया 943.92 करोड़ रुपये की धनराशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप 149.89 करोड़ रुपये अधिक थी। इसका विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिया गया है।

2.3.11 अभ्यर्पित न की गई पूर्वानुमानित बचतें

बजट मैनुअल के अनुसार व्यय करने वाले विभागों द्वारा प्रत्याशित अनुदान/विनियोग या आंशिक बचतों को जैसे ही संज्ञान में आए वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। फिर भी, वर्ष 2008-09 के अन्त में 47 अनुदानों/विनियोगों के प्रकरणों में बचतें थी लेकिन उसका कोई भी भाग सम्बन्धित विभागों द्वारा वित्त विभाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था। इन प्रकरणों में 4,790.49 करोड़ रुपये की (कुल बचतों का 22 प्रतिशत) धनराशि निहित थी (**परिशिष्ट 2.9**)।

इसी प्रकार 76 प्रकरणों में कुल बचतें 8,356.17 करोड़ रुपये (एक करोड़ रुपया एवं अधिक की बचतें) में से कुल धनराशि 6,869.88 करोड़ रुपये (कुल बचत का 82 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 41 प्रकरणों में 15,003.81 करोड़ रुपये मार्च 2009 के दो अंतिम कार्य दिवसों में अभ्यर्पित किये गये थे (**परिशिष्ट 2.11**) (10 करोड़ रुपये से अधिक की निधियों का अभ्यर्पण) यह इस तथ्य का द्योतक था कि निधियों का उपभोग अन्य विकास उद्देश्यों हेतु नहीं किया जा सका जो यह दर्शाता है कि वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त था।

2.3.12 व्यय का बाहुल्य

बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(ई) के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के माह में व्यय के बाहुल्य से बचना चाहिये। मुख्य शीर्षों जहाँ वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह या अन्तिम तिमाही में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया था उसे सारणी 2.7 में दर्शाया गया है जोकि व्यय पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

सारणी 2.7 : व्यय का बाहुल्य

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	अनुदान संख्या	वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय का प्रतिशत		वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में व्यय का प्रतिशत	
			अनुदान संख्या	अनुदान राशि	अनुदान संख्या	अनुदान राशि
1	2015- निर्वाचन	95.47	73.59	77	60.81	64
2	2052- सचिवालय सामान्य सेवारत	673.92	547.11	81	506.29	75
3	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	239.16	182.15	76	160.37	67
4	4217- नगरीय विकास पर पूंजीगत परिव्यय	366.64	310.85	85	259.83	71
5	4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	75.42	73.79	98	59.25	79
6	5053- नगर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	71.36	70.29	98	68.28	96
7	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	37.92	33.65	89	30.85	81
	कुल	1559.89	1291.43	83	1145.68	73

स्रोत : वी.एल.सी. डाटा

2.4 ए.सी. बिलों के विरुद्ध डी. सी. सी. बिलों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक ए.सी. बिल में यह सत्यापित करेंगे कि चालू माह के प्रथम तिथि के पूर्व में आहरित सभी आकस्मिक व्यय हेतु डी.सी.सी. बिल सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षरित कराने एवं महालेखाकार को प्रेषित कराने की व्यवस्था करेंगे। फिर भी, मुख्यतः वाहन के रखरखाव, पेट्रोल के क्रय, आदि से सम्बन्धित 225.80 करोड़ रुपये के 16,140 ए.सी. बिल मार्च 2009 के अन्त में लम्बित थे जोकि वित्तीय कु-प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। अवधिवार विवरण सारणी 2.8 में दिया गया है।

सारणी 2.8 : लम्बित आकस्मिक बिल सार

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अनुदान संख्या	अनुदान राशि
वर्ष 2006-07 से पूर्व के वर्षों से संबंधित	8,398	55.79
2006-07	2,776	36.82
2007-08	2,458	89.91
2008-09	2,508	43.28
कुल	16,140	225.80

स्रोत : वित्त लेखा

वर्ष 2008-09 तक लम्बित डी.सी.सी. बिलों का कार्यालयावार विवरण परिशिष्ट 2.12 में दिया गया है।

2.5 असमाधानित व्यय

नियंत्रण अधिकारियों को बजटीय अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत व्यय पर नियंत्रण हेतु समर्थ बनाने एवं लेखों की शुद्धता हेतु वित्तीय नियम में यह प्रावधान है कि उनके अभिलेखों में अंकित व्यय का समाधान प्रत्येक माह महालेखाकार के अभिलेखों से किया जाय। फिर भी,

21 नियंत्रण अधिकारियों ने धनराशि 2,083.19 करोड़ रुपये का समाधान नहीं किया था (2008-09)। प्रत्येक प्रकरण में 21 में से 11 नियंत्रण अधिकारियों ने 10 करोड़ रुपये से अधिक का समाधान नहीं किया था जिसे कि सारणी 2.9 में दिया गया है।

सारणी 2.9 : नियंत्रण अधिकारियों की सूची जिसके प्रत्येक प्रकरण में 10 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि 2008-09 की अवधि में असमाधानित थी

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	नाम	धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	आयुक्त, दुग्ध, उ. प्र. लखनऊ	82.38
2	मुख्य लेखा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायते, उ. प्र. लखनऊ	159.01
3	निबंधक, सहकारी समितियाँ, उ. प्र. लखनऊ	119.06
4	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, उ. प्र. लखनऊ	438.71
5	निदेशक, उद्यान, उ. प्र. लखनऊ	123.01
6	निदेशक, कृषि, उ. प्र. लखनऊ	199.06
7	निदेशक, समाज कल्याण, उ. प्र. लखनऊ	115.97
8	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उ. प्र. लखनऊ	87.27
9	निदेशक, पेंशन, उ. प्र. लखनऊ	10.98
10	निदेशक, विकलांग कल्याण, उ. प्र. लखनऊ	295.06
11	सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ. प्र. लखनऊ	418.50
	कुल	2,049.01

स्रोत : वी.एल.सी. डाटा

2.6 वैयक्तिक खाता लेखें

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वैयक्तिक खाता लेखा नियम वर्ष 1998 में बनाया जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें, निर्माण संस्थायें एवं कम्पनी, निगमों, परिषदों तथा स्वायत्त निकायों इत्यादि को सहायक अनुदान की अप्रयुक्त धनराशियों के जमा हेतु सरकार के कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों एवं अन्य के पक्ष में शासन की विशेष स्वीकृति तथा महालेखाकार के प्राधिकार द्वारा कोषागारों में वैयक्तिक खाता लेखें खोले जाने थे।

निदेशक, आर्थिक सांख्यिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय आंकड़ों की समीक्षा एवं निदेशक, बेसिक शिक्षा तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2009) में निम्न तथ्य संज्ञान में आए:

2.6.1 विधान मण्डलीय वित्त नियंत्रण के विरुद्ध वैयक्तिक खाता लेखें में धनराशियों को अवरुद्ध कर रखना

प्रदेश के वित्तीय नियमों के अनुच्छेद 340 (बी) में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में वैयक्तिक लेखों के अवशेषों को ऋणात्मक डेबिट द्वारा समेकित निधि में अन्तरित कर बन्द किया जाएगा फिर भी यह प्रावधान पूर्वोक्त वैयक्तिक खाता लेखे नियमों 1998 में सम्मिलित नहीं किया गया था। पुनः शासन ने अगस्त 1999 में निर्देशित किया कि वैयक्तिक खाता लेखे के अवशेषों को सरकारी विभाग के पक्ष में खोले गये वैयक्तिक खाता लेखे के प्रकरणों को छोड़कर, अगले वित्तीय वर्ष में आगे ले जाया जा सकेगा।

परिणामस्वरूप, निगमों, विश्वविद्यालयों एवं उसी प्रकार की संस्थायें, परिषदों एवं स्थानीय निकायों ने प्रत्येक वर्ष के अन्त में अपने वैयक्तिक खाता लेखों को बन्द नहीं किया जिसके फलस्वरूप राज्य में 4,298 वैयक्तिक खाता लेखों में 5,754.49 करोड़ रुपये की एक विशाल धनराशि मार्च 2009 के अन्त में एकत्र रही। 4,298 वैयक्तिक खाता लेखों में से 1,735 (मार्च 2009 के अन्त में 425.22 करोड़ रुपये अवशेष के साथ) 2008-09 के दौरान परिचालित नहीं

किये गये थे। पन्द्रह जिलों में 4.03 करोड़ रुपये के संचित अवशेषों के साथ 109 वैयक्तिक खाता लेखें मार्च 2009 के पूर्व तीन वर्षों से परिचालित नहीं किये गये थे। वैयक्तिक खाता लेखों में विशाल धनराशि का संचय विधायी वित्तीय नियंत्रण के सिद्धान्तों के विरुद्ध था जिसके अन्तर्गत विधायिका में पारित किये गये विनियोग केवल एक वित्तीय वर्ष के लिये मान्य थे।

2.6.2 महालेखाकार के प्राधिकार के बिना जमा/आहरण

उपरोक्त वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग के आदेश (अगस्त 1999) के अनुसार राज्य सरकार के विभाग समेकित निधि से धनराशि आहरित कर अपने वैयक्तिक खाता लेखों में अन्तरित कर सकते थे परन्तु वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशियाँ व्यपगत हो जानी थी जिससे कि धनराशि का दुरुपयोग न हो सके। ऐसे वैयक्तिक खाता लेखों के संचालन अगले वित्तीय वर्ष के संचालन हेतु महालेखाकार के प्राधिकार की आवश्यकता थी जबकि स्वायत्त निकाय, सरकार की कम्पनियाँ/निगम आदि धनराशियाँ अपने वैयक्तिक खाता लेखे में रख सकती थी एवं वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशियों को अगले वित्तीय वर्ष में ले जा सकती थी तथा खाते के संचालन हेतु महालेखाकार के प्राधिकार के बिना ही धनराशियाँ आहरित कर सकती थी।

निदेशक, बेसिक शिक्षा, इलाहाबाद एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, इलाहाबाद ने अपने पक्ष में वैयक्तिक खाता लेखा नहीं खोला था और धनराशियों को वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद (स्वायत्त निकाय) के वैयक्तिक खाता लेखों में धनराशियाँ अन्तरित की जिससे की आगामी वित्तीय वर्षों में महालेखाकार के प्राधिकार के बिना ही धनराशियाँ आहरित की जा सके जैसा की सारणी 2.10 में दिया गया है।

सारणी 2.10 : जमा एवं आहरण

(करोड़ रुपये में)

o"Z	i kjfllkd vo'k'k	tek	vH; fi Z /kujk'k	0; ; /kujk'k	dy vkgfjr /kujk'k	vfire 'k'k
	1	2	3	4	5(4+5)	6
cfi d f'k'k						
2008-09	24.48	शून्य	24.32	0.15	24.47	0.01
ek/; fed f'k'k						
2008-09	68.15	शून्य	7.95	शून्य	7.95	60.20
; kx	92.63	'k'	32.27	0.15	32.42	60.21

स्रोत : निदेशक, बेसिक शिक्षा और निदेशक माध्यमिक शिक्षा

वर्ष 2006-07 (असेवित योजना : 10 लाख रुपये) एवं 2007-08 (60.11³ करोड़ रुपये) की कुल 60.21 करोड़ रुपये की धनराशि वैयक्तिक खाता लेखों में अनुपयोगी होकर अवरुद्ध थी जो इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि योजनाओं/क्रियाकलापों हेतु उपलब्ध निधियों के कार्यान्वयन/क्रियान्वयन में ढुलमुल प्रयास किये गये।

अनुदान/विनियोगों का भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वास्तविक रूप से व्यय नहीं किया गया था जबकि विनियोग लेखों में वास्तविक रूप से व्यय दर्शाया गया था। समेकित निधि से धनराशियों को वैयक्तिक खाता लेखों में अन्तरण के द्वारा विनियोग लेखे में दर्शाये गये वास्तविक अनुदानों/विनियोगों को विकृत कर दिया था।

³बी. टी. सी. प्रशिक्षुओं को मानदेय (1.20 लाख रुपये), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का स्थापना व्यय (10 लाख रुपये), माध्यमिक विद्यालयों में सूचना एवं संचार तकनीकी योजना (50 करोड़ रुपये) शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खंडों में माध्यमिक विद्यालयों की अवस्थापना (10 करोड़ रुपये)

2.6.3 विभाग की प्राप्तियों का बढ़ाया जाना

वित्तीय वर्ष 2008-09 के प्रारम्भ में निदेशक, बेसिक शिक्षा एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पास 92.63 करोड़ रुपये की धनराशि अप्रयुक्त हो कर पड़ी हुई थी। रुपये 92.63 करोड़ से 23.71 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (1.94 करोड़ रुपये), आपरेशन ब्लैक बोर्ड (8.84 करोड़ रुपये), मिड-डे मील-कन्वर्जन चार्ज (3.36 करोड़ रुपये) एवं मिड-डे-मील ट्रांसपोटर चार्ज (9.57 करोड़ रुपये) की धनराशियाँ अप्रयुक्त हो कर विगत 3 से 8 वर्षों तक अप्रयुक्त हो कर पड़ी थी। निदेशक, बेसिक शिक्षा एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने वर्ष 2008-09 की अवधि में वित्त विभाग के आदेश (अगस्त 2008) के अनुपालन में 32.27 करोड़ रुपये जिसमें केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं का 23.71 करोड़ रुपये सम्मिलित था सम्बन्धित प्राप्ति मदों में जमा कर दिया था जिससे उतनी धनराशि से सरकार के राजस्व में वर्ष 2008-09 की अवधि में वृद्धि हुई।

2.7 बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ

बजट मैनुवल के प्रस्तर 32 के अनुसार बजट में वास्तविक रूप से कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते पर वास्तविक रूप से व्यय की जाने वाली धनराशि प्राकलित की जानी चाहिये न कि उनकी स्वीकृति पदों के संख्या के आधार पर।

वर्ष 2008-09 की अवधि में मुख्यतः उच्च शिक्षा निदेशक के कार्यालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों, राजकीय विद्यालयों, सहायता प्राप्त संस्थानों में पद रिक्त थे। इसके बावजूद, वर्ष 2008-09 की अवधि में 669.53 करोड़ रुपये की धनराशि का बजट में प्रावधान वास्तविक कार्यरत कर्मचारियों के स्थान पर उनकी स्वीकृति पदों की संख्या के आधार पर किया गया था जिसके फलस्वरूप 669.53 करोड़ रुपये कि प्रावधानित धनराशि में से 617.08 करोड़ रुपये की धनराशि ही व्यय की गई एवं 52.45 करोड़ रुपये अप्रयुक्त रहा।

2.8 चयनित अनुदान की समीक्षा

निदेशक उच्च शिक्षा (निदेशक) द्वारा वर्ष (2008-09) में शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) को अनुदान संख्या 73 के अंतर्गत 1,008.73 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी जिसके विरुद्ध 825.24 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी एवं 183.49 करोड़ रुपये की बचतें मार्च 2009 तक हुई जिसका विवरण सारणी 2.11 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.11 : अनुदान संख्या-73 के अंतर्गत बचत

fooj.k	/kujkf'k	;ks	okLrfod 0; ;	cpr	yfks dh 'W'W
(#i;sgtkj e)					
jktLo nRrer					
मूल	8,85,16,14	9,71,23,16	8,06,71,91	1,64,51,25	2013- मंत्री परिषद, 2202- सामान्य शिक्षा और 2204- खेलकूद एवं युवा सेवाएं
अनुपूरक	86,07,02				
i thxr nRrer					
मूल	37,50,00	37,50,00	18,52,59	18,97,41	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
अनुपूरक	...				
dy ;ks	10,08,73,16	1,00,87,316	8,25,24,50	1,83,48,66	
vH; fiR /kujkf'k :jktLo nRrer				1,78,38,56	
i thxr nRrer				17,12,15	

उपरोक्त अनुदान की समीक्षा से निम्न तथ्य प्रकाश में आये

राजस्व दत्तमत के अंतर्गत किये गये 806.72 करोड़ रुपये के व्यय में अवधि 2000-01 से सम्बंधित 28.52 करोड़ रुपये का समायोजन शामिल था जोकि लेखा शीर्ष 8658-1111 विभागीय समायोजन लेखे में पड़ा हुआ था। 164.51 करोड़ रुपये की अंतिम बचत को दृष्टिगत रखते हुए 178.39 करोड़ रुपये का अभ्यर्पण इस तथ्य का सूचक था कि अनुदान के अंतर्गत व्यय का अनुमान गलत था।

बजट मैनुअल के प्रस्तर 140 एवं 141 के अनुसार नियंत्रण अधिकारियों द्वारा 25 जनवरी तक पूर्वानुमानित बचतों का एक विवरण वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना चाहिए एवं 25 मार्च तक अंतिम बचतें अभ्यर्पित की जानी चाहिए। फिर भी निदेशक द्वारा इस प्रावधान को ध्यान में नहीं रखा गया एवं 31 मार्च 2009 को 195.51 करोड़ रुपये की बचतें (राजस्व दत्तमत:178.39 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत दत्तमत : 17.12 करोड़ रुपये) अंतिम रूप से अभ्यर्पित की गयी।

बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत 30.75 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान राजकीय विद्यालयों में नेटवर्क केबिलिंग एवं विद्युत साज सज्जा हेतु किया गया था। बजट मैनुअल के प्रस्तर 174 जिसके अंतर्गत राजकोष से धनराशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए थी जब तक धनराशि का उपभोग तुरन्त न किया जाना हो, का उल्लंघन करते हुए 30.75 लाख रुपये की धनराशि 31 मार्च 2009 को व्यपगत से बचाने हेतु आहरित कर ली गयी थी। छः माह तक उस धनराशि को बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखने के पश्चात उसे पुनः कोषागार में सितम्बर 2009 में वापस कर दिया गया।

राज्य में विद्यालयों के शैक्षणिक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वेतन बकाया की धनराशि का भुगतान करने हेतु 86.07 करोड़ रुपये अनुपूरक अनुदान के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। चूंकि, मार्च 2009 तक वेतनों का निर्धारण नहीं किया जा सका, अतः 86.07 करोड़ रुपये की धनराशि को कोषागार से आहरित नहीं किया जा सका जो अन्ततः अभ्यर्पित कर दी गयी। इस प्रकार 86.07 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ विशेषकर इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष में समस्त मूल प्रावधान का उपभोग नहीं किया जा सका एवं मूल प्रावधान के सापेक्ष 78.44 करोड़ रुपये की बचतें हुई।

2.9 निष्कर्ष

वर्ष 2008-09 की अवधि में कुल अनुदानों एवं विनियोगों की 1,33,512.21 करोड़ रुपये की धनराशियों के सापेक्ष 1,16,074.51 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप 17,437.70 करोड़ रुपये की बचतें हुईं। 17,437.70 करोड़ रुपये की कुल बचतें 21,790.88 करोड़ रुपये की बचत का शुद्ध परिणाम थीं जोकि 4,353.18 करोड़ रुपये के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था। वर्ष 2008-09 की अवधि में किये गये प्रावधानों के विरुद्ध 3,399.42 करोड़ रुपये का व्ययाधिक्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005-08 की अवधि में किये गये 7,121.90 करोड़ रुपये के व्ययाधिक्य के भी नियमन की आवश्यकता है। 51 प्रकरणों में किया गया 2,323.20 करोड़ रुपये की धनराशि का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था जबकि 41 प्रकरणों में 15,003.81 करोड़ रुपये की धनराशि मार्च 2009 के अंतिम दो दिनों में

अभ्यर्पित की गयी थी। इन सबके अतिरिक्त, ऐसे भी प्रकरण थे जिनमें वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीनों में या मार्च 2009 माह में ही व्ययों का 50 प्रतिशत या इससे अधिक व्यय किया गया था। ए.सी. बिलों पर आहरित धनराशियों के विरुद्ध एक बड़ी धनराशि के विस्तृत बिल प्रस्तुत नहीं किये गये थे। वैयक्तिक खाता लेखों में भी एक बड़ी धनराशि अवरुद्ध पड़ी थी।

2.10 संस्तुतियाँ

उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त विभागों में बजट की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाना चाहिये विशेष कर उन चार विभागों में जहां पर बचतें विगत पाँच वर्षों में सतत रूप से हुईं। अत्यधिक/अनावश्यक रूप से निधियों के पुनर्विनियोग से बचना चाहिये। पुर्विनियोग के आदेशों में अतिरिक्त प्रावधान/पुनर्विनियोग द्वारा आहरण के कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिये। मदवार व्ययों पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिये एवं पूर्वानुमानित बचतों को वित्त विभाग को अभ्यर्पित की जानी चाहिये जिससे कि निधियों का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सके। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निधियों का पुनर्विनियोग कम से कम करना चाहिये।

अध्याय-3

वित्तीय रिपोर्टिंग

वित्तीय नियमों के पालन पर आधारित स्वस्थ वित्तीय रिपोर्टिंग अच्छे शासकीय तंत्र के गुण हैं। इस अध्याय में सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों के वर्तमान वर्ष में पालन किये जाने की स्थिति एवं उसका विहंगावलोकन दिया गया है।

3.1 उपभोग प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियम के प्रस्तर 369-एच के अनुसार विभागीय अधिकारी द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ता से विशेष प्रयोजनों हेतु दिये अनुदानों के उपभोग प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर अनुदान के स्वीकृत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार को अग्रसारित कर देना चाहिए।

फिर भी, कुल धनराशि 1,013 करोड़ रुपये (2007-08 तक भुगतानित) हेतु 1,909 उपभोग प्रमाण पत्र सितम्बर 2009 तक प्राप्त किये जाने हेतु अवशेष थे। अवशेष उपभोग प्रमाण पत्रों का विभागवार विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है तथा उनके प्रेषण में हुए विलम्ब का अवधिवार विवरण **सारणी 3.1** में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.1 : अवधिवार अवशेष प्रमाण पत्र

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	उपलब्ध		अवशेष	
		₹	₹	₹	₹
1	0-1	4,684	14,801.02	1,376	898.83
2	1-3	1,085	560.89	443	101.55
3	3-5	438	44.60	उपलब्ध नहीं	5.00
4	5-7	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	89	6.79
5	7-9	शून्य			
6	9 तथा उससे ऊपर	2	0.74	1	0.49
	कुल	6]209	15]407-25	1]909	1]012-66

स्रोत: सम्बन्धित विभाग

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने वर्ष 2001-02 की अवधि में गन्ना मिलों को कुल अनुदान 6.79 करोड़ रुपये का भुगतान किया था जिनके उपभोग प्रमाण पत्र सात वर्षों के उपरान्त भी अवशेष थे। इसी प्रकार, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत वर्ष 2005-06 की अवधि में शक्कर विशेष निधि को हस्तान्तरित 60 करोड़ रुपये का भी उपभोग प्रमाण पत्र 3 वर्ष के उपरान्त भी अवशेष था। वर्ष 1998-99 की अवधि में परिवहन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम को नानकमत्ता बस डिपो (अब उत्तरांचल में) बनाने के लिये 49 लाख रुपये का भुगतान किया गया था जिसका उपभोग प्रमाण पत्र 10 वर्षों के पश्चात् भी अवशेष था। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (316.58 करोड़ रुपये), नगरीय विकास विभाग (238.83 करोड़ रुपये), मत्स्य विभाग (199.42 करोड़ रुपये), उद्योग विभाग (40.20 करोड़ रुपये) और सहकारी समितियाँ (15.74 करोड़ रुपये) द्वारा भी अनुदान प्राप्तकर्ता से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने थे।

3.2 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

आठ स्वायत्त निकायों¹ के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दी गयी हैं। लेखापरीक्षा को सौंपने की स्थिति, लेखाओं को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को निर्गत एवं विधान मण्डल में प्रस्तुत करने का विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है। लेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब की स्थिति सारणी 3.2 में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.2 : लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

युक्त निकायों की संख्या	लोक निर्माण विभाग	विलम्ब
1-6	4	अनुस्मारक देने के बावजूद झाँसी, इलाहाबाद, वाराणसी और चित्रकूट में स्थित जल संस्थानों द्वारा वर्ष 2008-09 के लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये।
12-18	2	अनुस्मारक देने के बावजूद कानपुर एवं लखनऊ में स्थित जल संस्थानों द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये।
24 और इससे अधिक	2	अनुस्मारक देने के बावजूद जल संस्थान आगरा द्वारा वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुस्मारक देने के बावजूद खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के लेखों को उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।
कुल	8	

लेखों के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण गबन एवं निधियों के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

3.3 विभागीय वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रति वर्ष प्रोफार्मा लेखा बनाया जाता है जिसमें वित्तीय लेन-देनों एवं व्यवसायों में दक्षता दर्शाया जाता है। यह लेखा, लेखापरीक्षा हेतु लेखा बन्दी के 3 माह के अन्दर महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य में मार्च 2009 तक 10 ऐसे उपक्रम थे जिनमें से पाँच उपक्रमों ने वर्ष 2007-08 तक के प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये थे। विभागवार प्रोफार्मा लेखे न बनाये जाने वाले उपक्रमों की स्थिति परिशिष्ट 3.3 में दी गयी है। स्टेट फार्मसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन तथा क्रीमीनल ट्राइब्स सेटलमेन्ट टेलरिंग फैक्टरी जिनमें शासन द्वारा 13 लाख रुपये का निवेश किया गया था (उपलब्ध लेखों के आधार पर) ने अपने-अपने लेखे क्रमशः वर्ष 1988-89 एवं 1980-81 से तैयार नहीं किये थे। इसी तरह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें शासन द्वारा 531.10 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था, के भी लेखे 2006-07 से तैयार नहीं किये गये थे। फलस्वरूप, शासन द्वारा निवेशित धनराशियाँ लेखापरीक्षा/राज्य विधायिका की

¹झाँसी, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, बाँदा, लखनऊ में स्थित जल संस्थान एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।

जाँच की परिधि से दूर रहे। लेखों को तैयार न किये जाने के कारण शासकीय धन के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

3.4 दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि

वित्तीय नियमों के प्रस्तर 82 के अनुसार हानियाँ, गबन के प्रकरण महालेखाकार को तुरन्त प्रेषित किया जाना चाहिए, चाहे उसकी प्रतिपूर्ति उस दोषी व्यक्ति के द्वारा कर भी दिया गया हो।

वर्ष 2008-09 तक 159 प्रकरणों जिसमें कि 7.19 करोड़ रुपये की धनराशि निहित थी, प्रेषित किये गये थे। विभागवार अवशेष प्रकरणों एवं अवधिवार विश्लेषण परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है एवं उनकी प्रकृति परिशिष्ट 3.5 में दी गयी है। चोरी, दुर्विनियोग/हानि के वर्गों में अवशेष प्रकरणों के अवधि प्रक्षेप्य को सारणी 3.3 में सांराशीकृत किया गया है।

सारणी 3.3: दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि की रूप-रेखा

यफ़े़र इज़.क़ाध वफ़/क ध #i&jइक			यफ़े़र इज़.क़ाध इड्र		
वफ़/क १०'क़ेइ	इज़.क़ाध Iइ;क	फुग़र /कुजक'क १/क [क #i;सेइ	इज़.क़ाध इड्र@फो'क़क	इज़.क़ाध Iइ;क	फुग़र /कुजक'क १/क [क #i;सेइ
0-5	30	221.10	चोरी	87	33.41
5-10	17	27.15			
10-15	44	77.22	दुर्विनियोग / सामग्रियों की हानि	72	685.77
15-20	22	25.64			
20-25	31	26.72		159	719-18
25 और इससे अधिक	14	340.94	वर्ष के दौरान अपलेखित प्रकरण	1	0.41
; क़	158	718-77	यफ़े़र इज़.क़ाध इड्र ; क़	158	718-77

स्रोत: सम्बन्धित विभाग

159 प्रकरणों में से जिनमें 7.19 करोड़ रुपये की धनराशि निहित थीं, वर्ष 2008-09 की अवधि में 41,000 रुपये का एक प्रकरण (परिशिष्ट 3.6) अपलेखित किया गया था और अवशेष 158 प्रकरण मार्च 2009 तक विभिन्न कारणों से अवशेष थे जैसाकि सारणी 3.4 में दिया गया है।

सारणी 3.4: दुर्विनियोग, गबन, हानि, इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का कारण

फोय़े़र@यफ़े़र इज़.क़ाध इड्र.क	इज़.क़ाध Iइ;क	/कुजक'क १/क [क #i;सेइ
(i) जिसमें विभागीय एवं अपराधिक जाँच प्रतीक्षित है	15	99.32
(ii) विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	99	109.51
(iii) जिनमें अपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही शेष है	1	0.67
(iv) जिनमें वसूली या अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित हैं	9	6.69
(v) न्यायालय में लम्बित हैं	34	502.58
; क़	158	718-77

3.5 निष्कर्ष

सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों के पालन किये जाने एवं उपभोग प्रमाण पत्रों के प्रेषण, स्वायत्त निकायों एवं शासकीय उपक्रमों द्वारा लेखों का तैयार किये जाने एवं दुर्विनियोग, हानि आदि के प्रकरणों के निस्तारण में कमियाँ थीं। अनुदान प्राप्तकर्ताओं से काफी बड़ी धनराशियों के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे। एक विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम ने 25 वर्षों से प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये थे। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में दुर्विनियोग आदि के प्रकरण जिसमें काफी बड़ी शासकीय धनराशि निहित थीं या तो वसूली अथवा अपलेखन हेतु अवशेष थीं।

3.6 संस्तुतियाँ

दुर्विनियोग, गबन, हानियाँ आदि के समस्त प्रकरणों में विभागीय जाँच में तेजी लायी जानी चाहिए जिससे कि दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। इसी उद्देश्य हेतु विभिन्न विभागों की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली भी सुदृढ़ की जानी चाहिए जिससे कि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा सभी अनुदान प्राप्तकर्ता को इस आशय का निर्देश जारी करना चाहिए कि वे उपभोग प्रमाण पत्र समयानुसार प्रेषित करें।

अ. ज. पटनायक

(अजित कुमार पटनायक)

प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)

उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद

दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ : प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 1)

वर्ष 2008-09 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(करोड़ रुपये में)

2007&08		2008&09		2007&08		2008&09		2008&09
I		II		I		II		
68,672.47		77,830.73		65,223.21		58,677.55	17,291.34	75,968.89
24,959.32	कर राजस्व	28,658.97		26,550.75		29,557.38	211.94	29,769.32
				23,085.57		16,961.79	11,584.22	28,546.01
5,816.01	करेतर राजस्व	6,766.55		11,675.68	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	10,712.20	2,232.14	12,944.34
				3,101.72	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,650.06	1,052.99	3,703.05
29,287.74	संघीय करों में राज्यांश	30,905.72		1,968.62	जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	150.83	3,726.44	3,877.27
				28.99	सूचना एवं प्रसारण	57.40	0.73	58.13
2,894.42	आयोजनेतर अनुदान	3,142.62		1,974.39	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,570.77	1,037.26	2,608.03
2,795.49	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	5,195.76		161.36	श्रम तथा श्रमिक कल्याण	150.73	36.58	187.31
				4,142.19	समाज कल्याण तथा पोषण	1,631.17	3,496.05	5,127.22
2,919.49	केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	3,158.61		32.62	अन्य	38.63	2.03	40.66
-	वाह्य सहायता अनुदान	2.50		12,037.40		8,654.17	5,495.18	14,149.35
				2,522.06	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	1,323.95	1,593.44	2,917.39
				2,936.27	ग्राम्य विकास	1,240.02	3,267.77	4,507.79
				53.70	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	22.37	0.50	22.87
				2,410.95	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,255.50	457.65	2,713.15
				1,914.11	ऊर्जा	1,642.29	8.54	1,650.83
				638.16	उद्योग एवं खनिज	589.20	148.79	737.99
				1,403.62	परिवहन	1,438.07	1.30	1,439.37
				35.14	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	6.23	13.01	19.24
				123.39	सामान्य आर्थिक सेवायें	136.54	4.18	140.72
				3,549.49		3,504.21	--	3,504.21
				65,223.21				75,968.89
	II	..		3,449.26	II			1,861.84
68,672.47		77,830.73		68,672.47				77,830.73

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

[k.M&c %vU];									
15,487.88	III	çkjFEHkd jkdM+ 'kSk LFkwbz vfxæ , oa jkdM+ 'kSk fuosk I fgr	15,200.16		III	Hkjrh; fjtcl çfd I s çkjFEHkd vkøjMMIV			
	IV	fofo/k i pthxr çkflr; ka	..	16,950.38	IV	i pthxr ifj0; ;	4,258.23	18,087.49	22345.72
				574.89		I kelU; I ok; a	560.82	280.53	841.35
				2,113.63		I kelftd I ok; a	31.61	2,913.83	2,945.44
				652.74		शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	13.18	874.07	887.25
				1,074.83		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13.70	1,216.76	1,230.46
				240.32		जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	10.30	511.50	521.80
				--		सूचना एवं प्रसारण	(-)6.59	--	(-)6.59
				100.28		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	170.95	170.95
				5.55		समाज कल्याण तथा पोषण	0.44	74.98	75.42
				39.91		अन्य	0.58	65.57	66.15
				14,261.86		vkfFkd I ok; a	3,665.80	14,893.13	18,558.93
				1,035.41		कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	2,339.56	286.15	2,625.71
				680.86		ग्राम्य विकास	--	736.13	736.13
				689.49		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	156.36	1,260.06	1,416.42
				2,192.08		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6.32	2,595.67	2,601.99
				5,216.91		ऊर्जा	1,102.56	5,029.30	6,131.87
				25.44		उद्योग एवं खनिज	--	(-)4.44	(-)4.44
				4,381.82		परिवहन	60.99	4,952.34	5,013.33
				39.85		सामान्य आर्थिक सेवायें	--	37.92	37.92
448.61	V	__kka , oa vfxæka dh ol yjh	778.09	741.96	V	I forfjr __.k rFk vfxæ	416.68	390.33	807.01
		विद्युत परियोजनाओं से	--	--		विद्युत परियोजनाओं को	--		
37.68		सरकारी कर्मचारियों से	43.79	67.34		सरकारी कर्मचारियों को	164.32		
121.82		अन्य से	734.30	312.34		अन्य को	642.69		
3,449.26	VI	v/kshur jktLo vf/k' kSk	1,861.84		VI	v/kshur jktLo ?kVv			
9,078.70	VII	ykdl __.k çkflr; k;	16,760.03	5,368.87	VII	ykdl __.k dh vnk; xh			6,776.49
..		वाह्य ऋण	-			वाह्य ऋण			--
8,709.73		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	16,339.09	4,178.70		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण			5,577.10
--		अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत शुद्ध लेन देन	--			अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत शुद्ध लेन-देन			--
--		ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन देन	--			ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन-देन	--		--
368.97		केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	420.94	1,190.17		केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			1,199.39
--	VIII	vkdfLedrk fuf/k dls fofu; kx	--		VIII	vkdfLedrk fuf/k dls fofu; kx			--

603.78	IX	vkdfLedrk fuf/k dls LFkukUrfjr /kujkf'k	170.92	116.72	IX	vkdfLedrk fuf/k l s 0; ;			--
77,870.18	X	ykdl y[kk çkflr; la	1,04,251.96	68,560.32	X	ykdl y[kk l ñorj.k			1,00,026.64
5,312.06		लघु बचते एवं भविष्य निधियाँ	6,510.78	2,860.70		लघु बचते एवं भविष्य निधियाँ	3,566.34		
4,019.02		आरक्षित निधियाँ	3,628.26	772.24		आरक्षित निधियाँ	868.39		
35,808.00		उचन्त एवं विविध	52,278.00	35,152.78		उचन्त एवं विविध	51,309.87		
13,280.85		प्रेषण	19,178.62	13,007.74		प्रेषण	19,101.08		
19,450.25		जमा तथा अग्रिम	22,656.30	16,766.86		जमा तथा अग्रिम	25,180.96		
	XI	kkjrh; fjtcl cdi l svkojMMV dk vfire vo'kSk		15,200.16	XI	vr ea jkdM+ 'kSk			9,067.14
				(-)3.66		कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	13.90		
				241.88		रिजर्व बैंक में जमा	81.06		
				16.38		स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	10.99		
				14,945.56		रोकड़ शेष निवेश	8,961.19		
1,06,938.41		; lsk	1,39,023	1,06,938.41		; lsk			1,39,023

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ : प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 4)

राज्य के अपने राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम

(करोड़ रुपये में)

en	2003-04 okLrfod	2004-05 iW&okLrfod	2005-06 ch bL	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10 ; lK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
v- jkT; dk jktLo yfK									
1. स्वयं का कर राजस्व	13601.22	15684.50	18290.58	19780.00	22640.00	25913.52	29660.36	33948.95	131942.83
2. स्वयं का करेतर राजस्व	2282.08	2718.86	2247.19	2247.19	2641.90	2782.47	2931.74	3090.27	13693.57
3. स्वयं का कर + करेतर राजस्व (1+2)	15883.30	18403.36	20537.77	22027.19	25281.90	28695.99	32592.10	37039.22	145636.40
4. केन्द्रीय कर एवं शुल्क का अंश	13272.97	14724.65	17046.23	18306.23	20167.93	23141.59	26612.77	30671.38	118899.90
5 आयोजनागत अनुदान	1912.47	3721.82	3848.46	3712.91	4046.84	4414.17	4818.22	5262.79	22254.83
6 आयोजनेतर अनुदान	569.22	317.12	1235.15	2019.45	3101.49	3232.02	3375.57	3533.47	15262.00
7 कुल केन्द्रीय हस्तांतरण (4 से 6)	15754.66	18763.59	22129.84	24038.59	27316.26	30787.78	34806.56	39467.54	156416.73
8 कुल राजस्व (3+7)	31637.96	37166.95	42667.61	46065.78	52598.16	59483.77	67398.66	76506.76	302053.13
9 आयोजनागत व्यय	3275.97	5016.97	7090.44	5641.91	6283.03	6996.64	7791.35	8676.71	35389.64
10 आयोजनेतर व्यय	34667.75	39612.59	40980.64	44021.08	47972.97	53599.48	58408.66	64170.77	268172.96
11 वेतन व्यय	12444.82	13679.64	16012.45	15380.20	16303.01	17281.19	18318.06	19417.14	86699.59
12 पेंशन	2900.10	3591.28	4149.58	4727.53	5021.87	5336.60	5673.30	6033.50	26792.80
13 ब्याज भुगतान	10123.60	11865.24	10792.08	10092.00	11299.00	12383.00	13630.00	14888.00	62292.00
14 परिदान-सामान्य	105.89	117.43	129.17	129.17	142.09	156.30	171.93	189.12	788.61
15 परिदान-ऊर्जा	935.00	1001.80	1287.00	1251.80	1501.80	1700.00	1700.00	1700.00	7853.60
16 कुल राजस्व व्यय (9+10)	37943.72	44629.56	48071.08	49662.99	54256.00	60596.12	66200.01	72847.48	303562.60
17 वेतन+ब्याज+पेंशन (11+12+13)	25468.52	29136.16	30954.11	30199.71	32623.88	35000.79	37621.36	40338.64	175784.39
18 राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत (17/8)	80.50	78.39	72.55	65.56	62.02	58.84	55.82	52.73	58.20
19 राजस्व अधिशेष/घाटा (8-16)	-6305.76	-7462.60	-5403.47	-3597.21	-1657.84	-1112.35	1198.65	3659.28	-1509.47
20 बकाया ऋण	106407.04	119926.10	129154.91	132311.50	144056.28	155781.36	166610.87	177228.00	775988.01
c- l esdr jktLo yfK									
1 ऊर्जा क्षेत्र के वास्तविक परिदान हस्तांतरण का शुद्ध घाटा/लाभ	1083.00	2108.00	2186.00	2186.00	2152.00	1776.00	1208.00	418.00	7740.00
2 वर्ष में ऊर्जा उपयोग लेखे के कर्जदारों में बढ़ोतरी [बढ़ोतरी(-)]	1070.00	1180.00	1170.00	1170.00	1031.00	854.00	617.00	309.00	3981.00
3 बजट से इतर ऋण पर ब्याज भुगतान एवं पी एस यू/एस पी यू द्वारा बजट से इतर एस पी वी ऋण	521.77	517.26	531.12	531.12	594.18	743.00	827.14	862.77	3558.21
4 ; lK (1 से 3)	2674.77	3805.26	3887.12	3887.12	3777.18	3373.00	2652.14	1589.77	15279.21
5 l esdr jktLo ?Mvk (अ 19+ब 4)	8980.53	11267.87	9290.59	7484.33	5435.02	4485.35	1453.49	-2069.51	16788.68
l - l esdr __.k									
1 बकाया ऋण एवं देयतायें	107490.04	122034.10	131340.91	134497.50	146208.28	157557.36	1678183.87	177646.00	783728.01
2 कुल बकाया प्रतिभूतियों जिनमें बजट से इतर ऋण की प्रतिभूति एवं एस पी वी ऋण शामिल है	10354.32	11154.32	11954.32	11954.32	12754.32	13544.32	14354.32	15154.32	67771.60
n- i tKx yfK									
1 पूंजीगत परिव्यय	3448.52	5652.10	7897.91	9154.47	9769.92	10278.31	11675.73	13905.41	54783.84
2 ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	1242.37	681.98	592.71	710.52	714.68	771.85	833.60	900.29	3930.94
3 ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	220.36	277.63	361.51	1076.80	397.66	437.43	481.17	529.29	2922.35
4 अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ	38540.58	37688.77	24464.98	26492.19	21818.14	21631.10	21277.25	20834.14	112052.82
5 ; - l dy jkt dKk; ; ?Mvk	10776.29	13519.06	13532.58	12385.40	11744.78	11725.08	10829.91	10617.13	57301.90
1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपये में) वर्तमान मूल्य पर	217673.14	229413.80	256943.46	256943.46	287776.67	322309.87	360987.06	404305.50	1632322.56
2 वास्तविक/कल्पित सामान्य वृद्धि दर (%)	---	---	---	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	---
3. dly 0; ;	42414.25	50686.01	56200.19	58451.18	64342.94	71208.85	78228.17	87123.89	359355.03

12,277.40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त (यू पी एस ई बी के बट्टे खाले की धनराशि) सहायता प्राप्त (शैक्षिक संस्थानों के अध्यापकों एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन (सहायता अनुदान) शामिल हैं। ऊर्जा बंधपत्र के 5,871.83 करोड़ रुपये

en	2003-04 okLrfod	2004-05 in&okLrfod	2005-06 ch bl	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10 ; lsk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 स्वयं का कर राजस्व की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	6.25%	6.84%	7.12%	7.70%	7.87%	8.04%	8.22%	8.40%	8.08%
2 स्वयं का करेत्तर राजस्व की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	1.05%	1.19%	0.87%	0.87%	0.92%	0.86%	0.81%	0.76%	0.84%
3 स्वयं का कर+करेत्तर राजस्व की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	7.30%	8.02%	7.99%	8.57%	8.79%	8.90%	9.03%	9.16%	8.90%
4 केन्द्रीय करों एवं शुल्कों के अश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	6.10%	6.42%	6.63%	7.12%	7.01%	7.18%	7.37%	7.59%	7.28%
5 आयोजनागत अनुदान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	0.88%	1.62%	1.50%	1.45%	1.41%	1.37%	1.33%	1.30%	1.36%
6 आयोजनेतर अनुदान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	0.26%	0.14%	0.48%	0.79%	1.08%	1.00%	0.93%	0.87%	0.93%
7 कुल केन्द्रीय हस्तांतरण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	7.24%	8.18%	8.61%	9.36%	9.49%	9.55%	9.64%	9.76%	9.58%
8 कुल राजस्व प्राप्तियों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	14.53%	16.20%	16.61%	17.93%	18.28%	18.46%	18.67%	18.92%	18.50%
9 आयोजनागत व्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	1.50%	2.19%	2.76%	2.20%	2.18%	2.17%	2.16%	2.15%	2.17%
10 आयोजनेतर व्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	15.93%	17.27%	15.95%	17.13%	16.67%	16.63%	16.18%	15.87%	16.43%
11 वेतन व्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	5.72%	5.96%	6.23%	5.99%	5.67%	5.36%	5.07%	4.80%	5.21%
12 पेंशन की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	1.33%	1.56%	1.61%	1.84%	1.75%	1.66%	1.57%	1.49%	1.64%
13 ब्याज भुगतान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	4.65%	5.17%	4.20%	3.93%	3.93%	3.84%	3.78%	3.68%	3.82%
14 परिदान-सामान्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
15 परिदान-ऊर्जा की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	0.43%	0.44%	0.50%	0.49%	0.52%	0.53%	0.47%	0.42%	0.48%
16 कुल राजस्व व्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	17.43%	19.45%	18.71%	19.33%	18.85%	18.80%	18.34%	18.02%	18.60%
17 वेतन+ब्याज +पेंशन की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	11.70%	12.70%	12.05%	11.75%	11.34%	10.86%	10.42%	9.98%	10.77%
18 राजस्व अधिशेष / घाटे की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	-2.90%	-3.25%	-2.10%	-1.40%	-0.58%	-0.35%	0.33%	0.51%	-0.09%
19 पूँजीगत परिव्यय की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	1.58%	2.46%	3.07%	3.56%	3.39%	3.19%	3.23%	3.44%	3.36%
20 ऋण एवं अग्रिम के संवितरण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	0.58%	0.30%	0.23%	0.28%	0.25%	0.24%	0.23%	0.22%	0.24%
21 ऋण एवं अग्रिम की वसूली की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	0.10%	0.12%	0.14%	0.42%	0.14%	0.14%	0.13%	0.13%	0.18%
22 अन्य पूँजीगत प्राप्तियों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	17.71%	16.43%	9.52%	10.31%	7.58%	6.71%	5.89%	5.15%	6.86%
23 सकल राजकोषीय घाटे की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	4.95%	5.89%	5.27%	4.82%	4.08%	3.64%	3.00%	2.63%	3.51%
24 बकाया लोक ऋण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	48.9%	52.3%	50.3%	51.5%	50.1%	48.3%	46.2%	43.8%	%
25 समेकित ऋण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	49.4%	53.2%	51.1%	52.3%	50.8%	48.9%	46.5%	43.9%	48.0%

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ : प्रस्तर 1.3 एवं 1.7.2; पृष्ठ 7 एवं 26)

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े

(करोड़ रुपये में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
HKx v- çkflr; k					
1- jktLo çkflr; k	37,617	45,349	60,600	68,672	77,831
¼½dj jktLo	15,693(42)	18,858(42)	22,998 (38)	24,959(36)	28,659 (37)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,888(57)	11,285(60)	13,279 (58)	15,023(60)	17,482 (61)
राज्य आबकारी	2,686(17)	3,089(16)	3,551 (15)	3,948(16)	4,720 (17)
वाहन पर कर	776(5)	965(5)	1,018 (4)	1,146(05)	1,125 (4)
स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	2,682(17)	2,997(16)	4,514 (20)	3,977(16)	4,138 (14)
भू-राजस्व	102(1)	109(1)	188 (1)	393(2)	549 (2)
माल तथा यात्री पर कर	82	105	109	110	266(1)
अन्य कर	477(3)	308(2)	339 (2)	362(1)	379 (1)
¼½djsj jktLo	2,720(7)	2,930(6)	6,533 (11)	5,816(08)	6,767 (8)
¼ii½ l ½k; djka, oa 'kçdka eajkT; kkk	15,055(40)	18,203(40)	23,218 (38)	29,288(43)	30,906 (40)
¼v½HKjr l jdkj l sl gk; d vuqku	4,149(11)	5,358(12)	7,851 (13)	8,609(13)	11,499 (15)
2- fofok i pthx çkflr; k	--	--	--	--	--
3- __.k , oavfxeladh ol yh	278	585	356	449	778
4- dy jktLo , oaxj __.k i pthx çkflr; k ¼\$2\$3½	37,895	45,934	60,956	69,121	78,609
5- ykd __.k çkflr; k	17,463	14,257	11,711	9,079	16,760
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर)	14,597(84)	13,931(98)	11,332 (97)	8,710(96)	16,339 (97)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन-देन	25(0)	----	-----	-----	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,841(16)	326(2)	379 (3)	369(04)	421 (3)
6- l esdr fuf/k eady çkflr; k ¼\$5½	55,358	60,191	72,667	78,200	95,369
7- vkdfledrk fuf/k çkflr; k	76	299	645	604	171
8- ykd yfk çkflr; k	45,213	52,529	63,075	77,870	1,04,252
9- jkT; dh dy çkflr; k ¼\$7\$8½	1,00,647	1,13,019	1,36,387	1,56,674	1,99,792
HKx c- 0; ; @l forj.k					
10- jktLo 0; ;	44,610(88)	46,617(83)	55,699 (79)	65,223(79)	75,969 (77)
आयोजनागत	5,098(11)	6,445(14)	9,699 (17)	11,744(18)	17,291 (23)
आयोजनेतर	39,512(89)	40,172(86)	46,000 (83)	53,479(82)	58,678 (77)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	22,761(51)	20,919(45)	24,300 (44)	26,551(41)	29,769 (39)
सामाजिक सेवायें	13,090(29)	15,610(33)	19,248 (35)	23,086(35)	28,546 (37)
आर्थिक सेवायें	6,976(16)	7,756(17)	9,409 (17)	12,037(18)	14,150 (19)
सहायक अनुदान एवं अंशदान	1,783(4)	2,332(5)	2,742(5)	3,549(6)	3,504 (5)
11- i pthx 0; ;	5,653(11)	8,711(16)	13,984 (20)	16,950 (20)	22,346 (22)
आयोजनागत	4,618(82)	8,172(94)	13,312 (95)	13,720(81)	18,088 (81)
आयोजनेतर	1,035(18)	539(6)	672 (5)	3,230(19)	4,258 (19)
सामान्य सेवायें	255(4)	313(4)	654 (5)	575(3)	841 (4)
सामाजिक सेवायें	496(9)	1,159(13)	2,180 (15)	2,113(13)	2,946 (13)
आर्थिक सेवायें	4,902(87)	7,239(83)	11,150 (80)	14,262(84)	18,559 (83)

12- <i>...k, oavfxekadk l forj.k</i>	629(1)	684(1)	888 (1)	742(1)	807 (1)
13- ; <i>lx 1/10\$11\$12½</i>	50,892	56,012	70,571	82,915	99,122
14- <i>ykdl ...k dk iqhlkkrku</i>	9,157	5,252	5,912	5,369	6,776
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	2,903(32)	4,045(7)	3,738 (63)	4,179(78)	5,577(82)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन-देन	----	25(0)	----	-----	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	6,254(68)	1,182(23)	2,174 (37)	1,190(22)	1,199 (18)
15- <i>vkdfledrk fuf/k l sfofu; lx</i>	----	----	----	----	--
16- <i>l esdr fuf/k l sdy l forj.k 1/3\$14\$15½</i>	60,049	61,264	76,483	88,284	1,05,898
17- <i>vkdfledrk fuf/k l forj.k</i>	43	183	10	117	--
18- <i>ykdl yf/k l forj.k</i>	40,262	43,172	52,901	68,560	1,00,027
19- <i>jkt; }kjk dy l forj.k 1/4\$17\$18½</i>	1,00,354	1,04,619	1,29,394	1,56,961	2,05,925
Hkx l - ?kVk					
20- <i>jktLo ?kVk 1/8½@vkf/kD; 1/8½ 1/4&10½</i>	(-) 6,993	(-) 1,268	(+) 4,901	(+)3,449	(+)1862
21- <i>jkt dkskh; ?kVk 1/8½@vkf/kD; 1/8½ 1/4&13½</i>	(-)12,997	(-)10,078	(-)9,615	(-)13,794	(-)20513
22- <i>çkjfEHkd ?kVk 1/21\$23½</i>	(-) 1,124	(-) 980	(+) 862	(-)2,974	(-)9138
Hkx n- vU; vkpMs					
23- <i>C; kt Hkkrku 1/2jktLo 0; ; eal fefyr½</i>	11,873	9,098	10,477	10,820	11375
24- <i>LFkuh; fuck; kabR; kfn dksfoUkh; l gk; rk</i>	8,557	10,283	12,484	15,360	15,822
25- <i>vFKk; vfxe@vkj MMIV dk mi Hkx 1/nol ka dh l 1/4; k½</i>					
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	324	48	-	-	-
ओवर ड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	98	11	-	-	-
26- <i>vFKk; vfxe@vkj MMIV ij C; kt</i>	49	5	Nil	Nil	Nil
27- <i>l dy jkt; ?krywRikn 1/4th, l -Mh-i-h½</i>	2,48,851	2,76,969	3,09,834 ¹	3,44,346 ²	4,00,711 ³
28- <i>cdk; k jkt dkskh; nkf; Ro 1/6"WR½</i>	1,31,401	1,48,868	1,62,156	1,74,248	1,87,411
29- <i>cdk; k çfrHkr; kW1/6"WR½ C; kt l fgr</i>	10,354	8,433	11,056	12,736	16,084
30- <i>xkj.Vh dh vf/kdre /kujkf'k 1/6"WR½</i>	22,770	15,073	12,235	18,144	27,892
31- <i>viwZ ifj; kukvka dh l 1/4; k</i>	35	27	58	53	98
32- <i>viwZ ifj; kstukvkaeavo#) inth</i>	5,804	3,551	5,407	5,863	4,598
Hkx ; - jkt dkskh; LokLk ds l pd					
I. l d k/kukadk l xg.k					
स्वकर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.31	6.81	7.42	7.25	7.15
करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.09	1.06	2.11	1.69	1.69
केन्द्रीय हस्तान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.05	6.57	7.49	8.51	7.71
II. 0; ; çcaku					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	20.45	20.22	22.78	24.08	24.74
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	135.29	123.51	116.45	120.74	127.36
राजस्व व्यय/कुल व्यय	87.66	83.23	78.93	78.66	76.64
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	27	30	30	30	32

¹2006-07 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अस्थाई आंकड़े है।²2007-08 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विक्क आंकड़े है।³2008-09 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम आंकड़े है।

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	23	27	29	32	33
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	11	16	20	20	23
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	11	15	19	20	22
III. jkt dkskh; vl rgyu dk çcaku					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.81	0.46	--	--	--
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5.22	3.64	3.10	4.01	5.12
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.45	0.35	--	0.86	2.28
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	53.80	12.58	--	--	--
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)7.58	(-)3.74	(-)1.80	(-)2.14	(-)2.37
IV. jkt dkskh; ns rkvk dk çcaku					
राजकोषीय देयतायें/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	53	54	52	51	47
राजकोषीय देयतायें/राजस्व प्राप्ति	349	328	268	254	241
प्राथमिक घाटा के साथ प्रमात्रा विस्तार	(-)2161	(+)8152	(+)8424	(+)4664	(+)8426
ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	99	78	92	97	96
V. vl; jkt dkskh; LokLF; dsl pd					
निवेश पर प्रतिफल	--	0.15	0.85	1.05	1.26
चालू राजस्व से अवशेष (करोड़ रुपए में)	(-)3,413	4,482	12,314	12,536	13,960
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयतायें	0.45	0.51	0.58	0.63	0.66

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।

@शासन द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के आंकड़ों को अपनाई गई है।

नोट : सरकार द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का पूर्वगामी पुनरीक्षण करने के कारण वर्ष 2004-05 से 2007-08 के प्रतिवेदनों में अंकित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े/अनुपात इस प्रतिवेदन में अंकित आंकड़ों/अनुपातों से भिन्न हैं।

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ : प्रस्तर 1.5.3; पृष्ठ 20)

आउटले-आउटकम में संबंध

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	वर्ष	आउटले (लाख रुपये)		आउटकम (लाख रुपये)			
			अनुमानित	वास्तविक	प्रकार	मात्रा	वैल्यू	वैल्यू
I- सिंचाई क्षमता								
1	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम ⁴	2004-09	2,021.06	2,000.06	सिंचाई क्षमता	हेक्टेयर	4.86 लाख	3-64 लाख
II- पेंशनर्स								
2	वृद्धावस्था पेंशन योजना	2004-09	3,175.18	3,068.39	पेंशनर्स	अंकों में	120.86 लाख	116.43 लाख
3	किसान हित योजना/भूमि सेना योजना	2005-09	526.25	526.21	भूमि का उपचार, इत्यादि	हेक्टेयर	5.10 लाख	5.47 लाख

⁴दस कार्यक्रमों में से छः कार्यक्रमों की स्थिति प्रस्तुत करता है।

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ : प्रस्तर 1.6.4; पृष्ठ 23)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के वित्तीय विवरण का सार

(लाख रुपये में)

Ø- l a	mi dēkē d k uke	y[ks dh vof/k	vk l r l jdkjh i th	gkfl r eW; ij vo#) i th	o"z dh vof/k eagkl	VuZ vkōj	'kō ykhk@gkfu ½½	i th ij c; kt	dy ifrQy ½\$9½	i th ij dy çfrQy dk çfr'kr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
v- fl pkbz folhx										
1	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2006-07	165.46	11.05	1.39	300.75	9.30	9.10	18.40	11.12
2	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झांसी	2007-08	(-) 521.07	71.92	5.01	443.97	19.36	Nil	19.36	-
3	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2007-08	(-) 1336.20	128.21	6.73	550.72	17.29	Nil	17.29	-
4	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2007-08	461.16	6.50	0.36	201.13	3.28	25.36	28.64	6.21
5	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	2006-07	366.95	108.02	1.90	274.14	14.20	20.18	34.38	9.37
6	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2007-08	605.03	213.09	10.72	177.68	2.39	33.28	35.67	5.90
	; l x		(-) 258.67	538.79	26.11	1948.39	65.82	87.92	153.74	
c&i 'kjkyu folhx										
7	राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म	2006-07	855.73	158.51	2.07	291.75	(-) 177.85	56.21	Nil	
l & [k] , oaukxfjd vki firz folhx										
8	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2005-06	66875.97	900.08	4.47	285001.23	(-) 6055.23	3678.18	Nil	
n&LokLF; folhx										
9	स्टेट फार्मसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1987-88	72.11	15.37	0.43	38.44	(-) 8.46	3.83	Nil	
; & l ekt dY; k.k folhx										
10	क्रिमिनल ट्राइब्स सेटलमेंट टेलरिंग फैक्ट्री (कानपुर)	1979-80	4.16	0.26	0.26	3.18	0.89	0.21	1.10	26.44

*ओसत पूंजी, प्रारम्भिक पूंजी वर्ष की अवधि में प्रेषण एवं अग्रिमों को घटाने के उपरान्त शुद्ध आहरण के 50 प्रतिशत को प्रदर्शित करता है।

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ : प्रस्तर 1.7.1; पृष्ठ 26)

31 मार्च 2009 को उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का सार

(करोड़ रुपये में)

31&3&08 dks	nş rk; a	31&3&09 dks
86,577.29	vlarfjd __.k	97,339.29
33,389.50	ब्याज भारत बाजार ऋण	43,686.02
(-)174.30	ब्याज भार रहित बाजार ऋण	(-)175.29
(-)24.30	जीवन बीमा निगम से ऋण	(-)30.56
53,417.08	अन्य संस्थानों से ऋण	53,889.81
(-)30.69	अर्थोपाय अग्रिम	(-)30.69
--	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	--
21,142.49	dkæ ljdkj l s __.k , oavfxæ	20,364.03
9.96	1984-85 से पहले का ऋण	9.96
130.29	आयोजनेतर ऋण	123.59
20,715.97	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	19,965.77
1.06	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.96
283.78	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए ऋण	262.32
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43
346.26	vidfledrk fuf/k	517.18
22414.46	y?lq cprj Hfo"; fuf/k; k vkn	25,358.90
18,641.39	tek	16,116.43
25,472.17	vkjff(kr fuf/k; k	28,232.04
194.54	çšk.k 'kšk	272.08
1,74,788.60	; kx	1,88,199.95
	ifj l Ei flk; k	
89,155.64	vpy l Ei flk; ka ij l dy i ptkr ifj0; ;	1,11,501.35
21,877.47	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	28,128.69
67,278.17	अन्य पूंजीगत परिव्यय	83,372.66
8,984.84	__.k , oavfxæ	9,013.76
3,160.89	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	3,160.89
5,903.66	अन्य विकास ऋण	5,812.05
(-)79.71	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	40.82
45.19	vkjff(kr fuf/k; ka ea fuošk	45.20
7.50	vfxæ	7.19
(-)3586.54	mplr , oafoko/k 'kšk	(-) 4,554.66
15200.16	jkclM+	9,067.14
(-)3.66	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	13.90
241.88	रिजर्व बैंक में जमा	81.06
16.03	विभागीय रोकड़ शेष सहित	10.64
0.35	स्थाई अग्रिम	0.35
14,945.56	रोकड़ शेष निवेश	8,961.19
64,981.81	ljdkjh yfkaea?kVk	63,119.97
(-)3449.26	(i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य घटाया	(-)1861.84
68,431.07	(ii) विविध घाटा	64,981.81
	वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	
1,74,788.60	; kx	1,88,199.95

परिशिष्ट 1.1 एवं 1.6 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती प्रदर्शकों में संक्षिप्त लेखों को विल्ट लेखों में दिये गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखों में घाटे जैसाकि **परिशिष्ट 1.6** में प्रदर्शित है रोकड़ की स्थिति अंकित है, संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भण्डार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखों में अंकित नहीं है। उच्च एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किये गये भुगतान एवं अन्य लम्बित समाधान सम्मिलित है। रिजर्व बैंक में निक्षेप के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच 64.33 करोड़ रुपये (निवल क्रेडिट) का अन्तर था।

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ 38)

अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग में बचत 10 करोड़ रुपये से अधिक अथवा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी

Øe l ; k	vuqku l ; k	vuqku@fofu; lx dk uke	dy vuqku@fofu; lx (djkl+ #i ; se)	cpra	ifr'krk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
v&jktLo nrer					
1	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	89.35	13.10	15
2	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	28.32	15.87	56
3	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	196.93	138.96	71
4	9	ऊर्जा विभाग	2,289.68	302.76	13
5	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	170.86	19.73	12
6	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,393.72	460.99	19
7	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,651.72	13.37	1
8	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	1,597.50	379.24	24
9	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	329.86	24.08	7
10	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	111.98	27.88	25
11	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	78.56	43.64	56
12	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	151.69	26.01	17
13	21	खाद्य एवं रसद विभाग	161.01	129.42	80
14	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	102.76	14.23	14
15	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	625.87	124.80	20
16	26	गृह विभाग (पुलिस)	4,096.75	64.74	2
17	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	867.51	96.46	11
18	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1,881.09	369.50	20
19	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	269.32	52.41	19
20	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	128.45	21.50	17
21	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	883.58	56.25	6
22	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	286.20	74.09	26
23	37	नगर विकास विभाग	3,156.61	300.97	10
24	40	नियोजन विभाग	102.17	32.71	32
25	42	न्याय विभाग	587.74	157.09	27
26	44	पर्यटन विभाग	18.57	3.66	20
27	45	पर्यावरण विभाग	88.62	85.69	97
28	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	5.59	1.72	31
29	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	180.18	59.31	33
30	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	700.79	279.40	40
31	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2,198.37	138.16	6
32	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	310.46	10.71	3
33	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	1,147.10	57.67	5
34	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	1,032.97	64.99	6
35	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1.68	1.44	86
36	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	787.99	496.58	63
37	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	4,784.82	1,278.98	27
38	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	9,600.10	646.22	7

39	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	3,743.03	202.21	5
40	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	971.23	164.51	17
41	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	76.48	13.19	17
42	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	133.87	18.20	14
43	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	270.69	32.23	12
44	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2,423.52	42.93	2
45	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	40.46	13.13	32
46	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	4,476.43	470.38	10
47	86	सूचना विभाग	105.75	46.17	44
48	87	सैनिक कल्याण विभाग	40.90	10.58	26
49	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	33.19	26.91	81
50	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	301.72	18.57	6
51	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	1,201.45	78.65	7
			56,915.19	7,221.99	
c&i nRer					
52	1	आबकारी विभाग	0.20	0.07	35
53	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	180.10	22.75	13
54	8	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	8.97	7.34	82
55	9	ऊर्जा विभाग	7,876.46	2,176.69	28
56	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	318.74	154.60	48
57	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	631.23	60.28	10
58	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	109.24	71.48	65
59	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	2.00	1.98	99
60	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	321.39	165.28	51
61	26	गृह विभाग (पुलिस)	307.83	69.62	23
62	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	9.62	7.21	75
63	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	647.29	122.79	19
64	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	10.22	3.88	38
65	37	नगर विकास विभाग	200.00	11.20	6
66	38	नागरिक उड्डयन विभाग	115.80	42.70	37
67	42	न्याय विभाग	207.50	111.16	54
68	44	पर्यटन विभाग	69.65	26.45	38
69	45	पर्यावरण विभाग	80.65	80.65	100
70	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	75.91	33.96	45
71	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	227.27	167.86	74
72	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	60.08	59.53	99
73	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	100.00	70.07	70
74	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	14.52	13.65	94
75	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.01	0.01	100
76	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	417.00	21.86	5
77	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	244.01	21.69	9
78	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशने)	100.00	53.02	53
79	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	1.12	0.32	29

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

80	65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि)	0.02	0.01	50
81	67	विधान परिषद सचिवालय	0.40	0.40	100
82	68	विधान सभा सचिवालय	0.84	0.52	62
83	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	40.55	15.17	37
84	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	37.50	18.97	51
85	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	1.30	1.30	100
86	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	24.82	24.82	100
87	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	28.01	9.09	32
88	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	9.44	8.87	94
89	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	3,224.09	399.73	12
90	86	सूचना विभाग	1.00	1.00	100
91	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	12.50	11.10	89
92	92	संस्कृति विभाग	225.93	10.68	5
		; lx&c	15,943.21	4,079.76	
I &jktLo Hkfjr					
93	1	आबकारी विभाग	0.10	0.10	100
94	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.04	0.04	100
95	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.12	0.12	100
96	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.11	0.03	27
97	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.14	0.13	93
98	21	खाद्य एवं रसद विभाग	205.01	205.01	100
99	22	खेल विभाग	0.01	0.01	100
100	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.01	0.01	100
101	25	गृह विभाग (कारागार)	0.08	0.05	62
102	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.65	0.65	100
103	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.20	0.20	100
104	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.15	0.15	100
105	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.01	0.01	100
106	42	न्याय विभाग	98.30	10.02	10
106	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	0.01	0.01	100
108	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	0.02	0.01	50
109	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.10	0.10	100
110	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.16	0.16	100
111	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	0.04	100
112	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क)	0.05	0.05	100
113	60	वन विभाग	0.14	0.12	86
114	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	14,425.77	124.66	1
115	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	0.04	0.04	100
116	67	विधान परिषद सचिवालय	0.45	0.14	31
117	68	विधान सभा सचिवालय	0.57	0.23	40
118	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.50	0.05	100
		; lx&l	14,732.78	342.14	
n&itlxr Hkfjr					
119	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.11	0.11	100
120	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क)	5.50	2.75	50
121	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	15,253.03	10,001.56	66
		; lx&n	15,258.64	10,004.42	
		dy ; lx (v+c+l +n)	1,02,849.82	21,648.31	

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.3; पृष्ठ 40)

अनुदोनों/विनियोगों का विवरण जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग में व्यय 10 करोड़ रुपये से अधिक अथवा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक था

Øe l ; k	vunku l ; k	vunku@fofu; ks dk uke	dy vunku@fofu; ks	0; ;	vf/kd 0; ; dh i fr'krk	
(1)	(2)	(3)	djkM+ # i ; sea	(4)	(5)	(6)
v&jktLo nrer						
1	5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	42.08	52.04	24	
2	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	1.26	1.52	21	
3	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क)	1300.20	1358.82	5	
4	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	86.51	96.72	12	
5	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तों तथा पेंशने)	5065.74	5586.98	10	
6	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1452.16	1471.28	1	
7	96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	1420.30	1450.35	2	
; ks			9,368.25	10,017.71		
c&i n hxr nrer						
1	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	684.98	716.40	5	
2	21	खाद्य एवं रसद विभाग	7552.62	7961.78	5	
3	40	नियोजन विभाग	65.24	113.68	74	
4	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	166.03	180.22	9	
5	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	46.55	816.05	1653	
6	57	लोक निर्माण विभाग (संचार-सेतु)	595.00	629.14	6	
7	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क)	2961.35	4659.23	57	
8	96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	2364.29	3034.41	28	
; ks			14,436.06	18,110.91		
I &jktLo Hkfjr						
1	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.46	1.54	235	
2	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	2.62	4.62	76	
3	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	0.70	2233	
; ks			3.11	6.86		
dy ; ks			23,807.42	28,135.48		

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.4; पृष्ठ 40)

पूर्व वर्षों में प्रावधान से अधिक के नियमितीकरण की आवश्यकता

वर्ष	वर्षावधि	विवरण	राशि
2005-06	29	राजस्व-दत्तमत 8, 12, 19, 53, 55, 57, 58, 72 पूंजीगत-दत्तमत 15, 16, 18, 23, 24, 33, 34, 37, 38, 40, 55, 56, 57, 58, 73, 75, 96 राजस्व-भारित 1, 52 पूंजीगत-भारित 52, 55	1,026.78
2006-07	24	राजस्व-दत्तमत 9, 13, 55, 58, 61, 62, 73, 91, 95 पूंजीगत-दत्तमत 3, 16, 31, 37, 55, , 57, 58, 89, 96 राजस्व-भारित 2, 3, 10, 52, 62, 89	2,484.47
2007-08	14	राजस्व-दत्तमत 51,55,57,58,62 पूंजीगत-दत्तमत 13,16,55,58,63,83,96 राजस्व-भारित 51,66	3,610.65
कुल			7,121.90

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 41)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में 50 लाख रुपये या उससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(हजार रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	अनुपूरक प्रावधान (₹)	अनुपूरक प्रावधान (₹)	अनुपूरक प्रावधान (₹)	अनुपूरक प्रावधान (₹)
वित्त विभाग (H&Jr)					
1	29- गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	4,75,63	4,50,23	25,40	60,32
2	42- न्याय विभाग	88,98,64	88,28,33	70,31	9,31,11
	कुल - व	93,74,27	92,78,56	95,71	9,91,43
उद्योग विभाग (H&Jr)					
3	3- उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	80,83,49	76,25,24	4,58,25	8,51,92
4	4- उद्योग विभाग (खाने एवं खनिज)	27,21,03	12,45,26	14,75,77	1,11,14
5	6- उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	44,96,91	42,76,44	2,20,47	1,08,18
6	7- उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,86,73,39	57,96,57	1,28,76,82	10,19,39
7	8- उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	80,46,85	77,79,70	2,67,15	6,16,33
8	9- ऊर्जा विभाग	22,88,70,02	19,86,91,67	3,01,78,35	97,91
9	10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	1,61,98,61	1,51,13,10	10,85,51	8,87,56
10	11- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	23,35,26,01	19,32,73,04	4,02,52,97	58,46,11
11	16- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	1,10,79,97	84,10,35	26,69,62	1,18,29
12	17- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	75,73,89	34,91,76	40,82,13	2,81,84
13	18- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1,42,21,59	1,25,68,03	16,53,56	9,47,22
14	19- कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	7,03,09	6,70,35	32,74	1,14,50
15	21- खाद्य एवं रसद विभाग	1,41,72,10	31,59,49	1,10,12,61	19,29,26
16	22- खेल विभाग	25,84,03	25,49,87	34,16	1,26,56
17	23- गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	92,44,87	88,52,90	3,91,97	10,30,96
18	28- गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	85,18,43	84,15,92	1,02,51	4,40,28
19	31- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	8,23,68,07	7,71,04,42	52,63,65	43,82,75
20	32- चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	17,41,71,36	15,11,58,64	2,30,12,72	1,39,37,82
21	33- चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2,43,11,55	2,16,90,93	26,20,62	26,20,06
22	34- चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	1,15,27,13	1,06,95,62	8,31,51	13,18,17
23	36- चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	2,57,80,61	2,12,10,47	45,70,14	28,39,22
24	39- भाषा विभाग	6,49,55	6,45,52	4,03	70,72
25	40- नियोजन विभाग	94,69,07	69,46,18	25,22,89	7,47,73
26	42- न्याय विभाग	5,34,16,00	4,30,65,07	1,03,50,93	53,58,27
27	44- पर्यटन विभाग	15,21,29	14,91,01	30,28	3,36,16
28	47- प्राविधिक शिक्षा विभाग	1,61,93,98	1,20,87,13	41,06,85	18,24,12
29	51- राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	11,34,46,78	10,89,42,84	45,03,94	12,63,22
30	54- लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	7,16,75,83	2,91,41,04	4,25,34,79	71,23,06
31	67- विधान परिषद सचिवालय	17,67,20	16,13,93	1,53,27	90,31
32	68- विधान सभा सचिवालय	49,86,12	49,79,82	6,30	1,93,17

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

33	70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	30,94,27	28,79,58	2,14,69	4,34,94
34	71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	89,55,75,24	89,53,88,45	1,86,79	6,44,34,69
35	73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	8,85,16,14	8,06,71,91	78,44,23	86,07,02
36	75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	69,85,21	63,29,37	6,55,84	6,62,92
37	76-श्रम विभाग	1,22,63,84	1,15,66,89	6,96,95	11,22,87
38	78-सचिवालय प्रशासन विभाग	2,44,20,46	2,38,46,04	5,74,42	26,49,00
39	81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	28,83,37	27,33,23	1,50,14	11,63,01
40	83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	40,68,96,57	40,06,04,81	62,91,76	4,07,46,29
41	90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर)	61,24,15	60,61,50	62,65	1,24,53
42	91- संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	81,18,03	81,04,11	13,92	3,46,62
	; kx&c	2,63,48,76,10	2,41,08,78,20	22,39,97,90	17,69,24,12
l & i t h r n r r e r					
43	7-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	160,00,00	1,57,34,68	2,65,32	20,10,00
44	9-ऊर्जा विभाग	77,78,46,42	56,99,77,17	20,78,69,25	98,00,02
45	11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,39,13,54	1,64,13,85	74,99,69	79,60,00
46	26-गृह विभाग (पुलिस)	2,91,20,02	2,38,20,66	52,99,36	16,62,26
47	33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	8,88,00	6,33,63	2,54,37	1,33,63
48	44-पर्यटन विभाग	67,26,28	43,20,25	24,06,03	2,38,92
49	62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशने)	50,00,00	46,98,04	3,01,96	50,00,00
50	79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	19,36,11	18,92,66	43,45	8,65,36
51	83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	29,46,83,23	28,24,35,91	1,22,47,32	2,77,25,77
	; kx&l	1,15,61,13,60	91,99,26,85	23,61,86,75	5,53,95,96
	clj ; kx	3,79,09,89,70	3,33,08,05,05	46,01,84,65	23,23,20,08

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 41)

अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक अनुदान/विनियोग में 2 करोड़ रुपये से अधिक थी, अपर्याप्त सिद्ध हुए

द० ल०;क	वृ० ल०;क	वृ०, ओ०, ए०; ल० क० उ०	ए० ल०/क०	वृ० ल०/क०	; ल०	०; ;	व०/क०;
(द०/ल०; ए०)							
ज० ल० न०							
1	5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	39.91	2.17	42.08	52.04	9.96
2	25	गृह विभाग (कारागार)	170.96	27.79	198.75	203.22	4.47
3	43	परिवहन विभाग	51.05	104.98	156.03	158.98	2.95
4	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	80.56	5.95	86.51	96.72	10.21
5	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने)	5,015.74	50.00	5,065.74	5,586.98	521.24
6	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1,177.21	274.95	1,452.16	1,471.28	19.12
		; ल०	6,535.43	465.84	7,001.27	7,569.22	567.95
इ० ल० न०							
7	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	667.79	17.19	684.98	716.40	31.42
8	21	खाद्य एवं रसद विभाग	6,502.62	1,050.00	7,552.62	7,961.78	409.16
9	40	नियोजन विभाग	59.63	5.61	65.24	113.68	48.44
10	57	लोक निर्माण विभाग (संचार-सेतु)	575.00	20.00	595.00	629.14	34.14
11	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क)	2,876.35	85.00	2,961.35	4,659.23	1,697.88
		; ल०	10,681.39	1,177.80	11,859.19	14,080.23	2,221.04
ज० ल० न०							
12	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	14.64	2.40	17.04	19.26	2.22
		; ल०	14.64	2.40	17.04	19.26	2.22
		द० ; ल०	17,231.46	1,646.04	18,877.50	21,668.71	2,791.21

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ 42)

अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुनर्विनियोग

(लाख रुपये में)

Øe I ; k	vupku I ; k	vupku dk uke	y[kk'k'k'	i qfoŕu; kx (+)	våire vkf/kD; (+)/cpr (-)
1.	1	आबकारी विभाग	2039-001-03	81.25	(-)2,94.27
2.	2	आवास विभाग	2052-800-03	2.70	(-) 36.47
3.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2205-800-03	97.26	(-) 97.26
4.			2851-102-01	100.64	(-)7,95.59
5.			2851-102-06	166.03	(+) 43.20
6.	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	2852-80-001-03	288.00	(-)2,31.71
7.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	2853-02-004-03	72.30	(+) 68.21
8.			2401-001-05	6.92	(-) 33.59
9.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2415-80-07	0.41	(+) 1.63
10.			2401-105-01	13.52	(-) 12.23
11.			2401-107-03	399.81	(-) 13.42
12.			2401-111-01	30.03	(-) 31.20
13.			2401-001-03	48.63	(+) 23.15
14.			2401-001-05	395.05	(-) 1.62
15.			2401-113-01	28.01	(-) 0.01
16.			2401-800-03	9181.54	(-) 3.05
17.			2402-102-10	5452.15	(+) 1.03
18.			2402-102-11	2753.76	(-) 2,26.83
19.			2415-80-120-03	838.61	(+) 37.50
20.	2415-80-120-09	75.00	(+)72.10		
21.	2415-80-120-27	2080.56	(-) 17,02.28		
22.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	4401-103 -04	8588.18	(+) 3,73.73
23.			2215-01-102-01	167.51	(-) 31,32.17
24.			2515-001-04	7.83	(+) 0.78
25.			2505-01-702-01	2192.70	(+) 24,44.55
26.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2515-001-03	20.60	(+) 3.12
27.			2515-102-06	497.61	(-) 1,00.42
28.			2515-800-10	260.14	(-) 6,85.68
29.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2515-800-13	167.86	(-) 5,38.83
30.			2515-800-07	9.36	(+) 6.80
31.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2403-800-06	266.62	(-)7.18
32.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2405-001-03	5.00	(+) 15.36
33.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	2049-01-200-03	16.59	(-)16.59
34.			2075-800-04	8.47	(-)28.23
35.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	4408-01-101-03	4500.00	(+) 7,79,39.61
36.	25	गृह विभाग (कारागार)	2401-108-04	19.63	(+) 18.17
37.			2056-001-03	8.04	(+) 6.04
38.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2056-101-03	1332.27	(+) 2,97.10
39.			2070-105-03	50.00	(-)0.52
40.			2055-001-03	954.46	(-)245.54
			2055-003-04	572.39	(+)76.26

41			2055-101-03	2706.51	(+)3,41.50
42			2055-101-04	422.76	(-)2.75
43			2055-104-03	3512.10	(+)91.70
44			2055-108-03	394.37	(+)1,48.76
45			2055-109-03	28055.17	(+)11,83.84
46			2055-109-04	563.00	(-)2,54.95
47			2055-109-05	2868.00	(-)12,97.34
48			2055-109-06	5.00	(+)14.00
49			2055-111-03	706.40	(+)0.64
50			2055-113-04	240.50	(-)48.51
51			2055-113-05	25.00	(+)2.39
52			2055-114-03	40.31	(+)1.97
53			2055-115-03	250.00	(-)16.11
54			2055-116-03	65.50	(+) 2.63
55			2055-800-03	211.00	(+)27,03.08
56			2070-108-03	1690.43	(+)1,23.93
57			4055-207-03	90.00	(-) 90.47
58	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2070-107-04	17.49	(+) 82.16
59			2070-106-03	1.00	(+)10.33
60			2070-107-03	16.30	(+)74.47
61			4070-800-06	123.54	(-) 0.01
62	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2210-05-105-03	71.57	(-)6047.90
63			2210-01-110-15	1223.14	(-) 621.79
64			2210-05-105-03	44.18	(-)19.01
65	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-01-110-04	2725.00	(-)11779.32
66			2210-03-110-10	1796.00	(-) 7394.31
67	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-04-101-04	21.86	(-) 1565.90
68			2210-04-103-03	0.16	(-) 20.72
69			2210-05-101-06	7.12	(-)909.65
70			2210-05-103-03	2.62	(-) 344.46
71	37	नगर विकास विभाग	2215-02-106-01	2240.39	(-)581.48
72			2217-05-800-06	50000	5589.50
73	41	निर्वाचन विभाग	2015-105-04	50.24	(-)9.75
74			2015-103-03	1450.00	(+)32.10
75			2015-103-04	14.00	(-)1.68
76			2015-103-05	212.88	(+) 40.92
77			2015-106-03	879.11	(+) 7.14
78			2015-106-04	52.10	(+) 0.21
79			2015-106-05	36.73	(+) 3.01
80	42	न्याय विभाग	2235-60-200-10	150.00	(-)150.00
81			2014-114-03	53.53	(-)0.35
82			2014-102-800-07	57.43	(+)0.32
83			4059-01-051-01	942.11	(+) 2421.97
84	43	परिवहन विभाग	3055-001-03	26.07	(-)36.38
85	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	2250-102-03	32.31	(-)37.90
86			2225-80-800-03	1331.11	(+) 4.81

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

87	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-102-08	106.79	(-)165.42
88			2235-02-102-01	9000.00	(-)3,279.56
89			2235-02-103-01	524.68	(+) 33.05
90			4235-02-103-01	55.00	(-) 129.02
91	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	2053-093-03	1120.00	(+)1063.87
92			2053-101-03	118.00	(-)79.24
93			3053-02-102-03	41.50	(-)15.88
94	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2052-099-03	10.56	(-)113.58
95			2029-001-03	5.52	(+)77.63
96	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2070-800-01-09	0.25	(-)13.52
97			2070-800-14	11.94	(-) 6.65
98	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2059-80-001-03	5.00	(-)2812.15
99			2059-80-001-04	1755.00	(+)1532.77
100			2059-80-001-05	1000.00	(-)293.25
101	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	4575-60-800-08	538.32	(-)834.50
102	57	लोक निर्माण विभाग (संचार-सेतु)	5054-04-101-035	336.92	+370.06
103	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क)	5054-03-337-03	1959.50	(+)1735.79
104			5054-04-337-13	8887.58	(+) 13,607.92
105	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2216-01-700-05	15.00	(-) 82.50
106			2052-090-03	127.70	(+) 803.27
107			2070-800-03	113.79	(+) 8.94
108			4059-01-051-05	14.79	(+) 9.44
109			4216-01-700-05	1103.27	(-)28.85
110	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशने)	2071-01-101-03	6761.44	(+)24581.41
111			2071-01-105-03	7227.29	(+) 758.69
112			2071-01-109-04	270.03	(+) 1692.45
113			2071-01-109-05	57.41	(+) 1539.89
114			2071-01-115-03	6115.00	(-) 1479.10
115			2071-01-200-04	261.84	(-) 113.50
116			2071-01-103-03	8.25	(-) 29.87
117			2049-60-701-04	0.46	(+) 175.32
118	65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि)	2052-091-800-03	1.67	(-) 138.33
119			2054-098-03	293.00	(-) 313.23
120			2070-105-03	5.50	(+) 17.15
121	67	विधान परिषद सचिवालय	2011-103-03	48.30	(-) 0.07
122	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-001-03	105.56	(-) 299.72
123	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-001-03	37.30	(+) 258.05
124			2202-02-101-03	25.15	(+) 428.86
125			2202-02-104-05	1.37	(+) 36.54
126			2202-05-103-04	607.30	(-)93.07
127	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-03-001-03	1.50	(+) 61.64
128			2204-102-01	92.50	(+) 20.90
129			4202-01-203-05	987.39	(-)177.57
130	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-80-800-01	25.00	(+) 29.70

131	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-103-04	3.14	(-)12.08		
132			2210-01-102-05	85.40	(-)38.50		
133			2210-02-102-03	6.24	(+) 8.39		
134			2230-01-001-03	0.50	(+) 10.06		
135			2230-01-101-03	98.96	(+) 21.95		
136	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	2230-02-800-05	15.44	(-)22.53		
137			2230-02-001-03	78.12	(+) 2.64		
138			2230-02-101-03	4.45	1.26		
139			2230-03-003-04	28.93	(-)49.51		
140			2230-02-101-04	12.38	(-)8.08		
141			2230-02-800-03	66.70	(+) 59.28		
142			2230-03-003-10	104.45	(-)77.65		
143			2230-03-003-11	3.50	(-)2.72		
144			2230-03-003-14	32.13	(-)23.24		
145			2230-03-102-03	11.90	(-)8,50		
146			4250-203-05	19.00	(+) 231.20		
147			78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2052-090-04	15.00	(-)0.74
148			79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2235-02-101-03	4.62	(-)174.89
149	2225-03-277-07	2500.00			(-)179.68		
150	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2225-01-001-03	0.69	(-)71.49		
151			2235-02-104-05	3057.00	+5010.07		
152			2235-02-104-07	6000.00	(-)181.34		
153			2225-01-277-03	258.47	(+) 5.42		
154	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2235-02-796-03	19.58	(+)124.09		
155	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	2217-05-800-01	2210.19	(+)1051.77		
156			2225-01-800-03	7379.50	(-)5,72.14		
157			2403-101-02	400.00	(-)379.99		
158			2515-101-98	57134.66	(-)4365.51		
159			4225-01-277-06	3378.83	(+) 232.74		
160			4575-60-800-03	15528.04	(-)261.55		
161			4575-60-800-04	8548.37	(-)1078.45		
162			5054-04-337-03	184.71	(+) 432.85		
163			5054-04-337-06	3381.70	(+)1935.93		
164			5054-04-337-98	506.92	(+) 11683.66		
165	84	सामान्य प्रशासन विभाग	2075-800-03	9.50	(-) 1.83		
166	86	सूचना विभाग	2220-60-101-05	660.31	(-)4157.67		
167	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-03-001-03	15.00	(-)16.02		

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

168			2030-03-001-04	35.00	(-) 145.10
169			2030-03-001-02	10.00	(+)37.18
170			2030-02-001-03	60.00	(+)241.18
171	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2701-02-001-04	50.00	(-)2260.31
172	96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	2700-13-101-03	49.58	(+) 0.42
173			2701-36-101-03	199.00	(+) 18.70
174			2701-64-101-03	86.00	(-) 1.36
175			2701-66-101-03	10.00	(+)10.00
176			4700-04-800-05	2077.71	(-)122.06
177			4700-09-800-03	1221.75	(+)537.42
178			4700-18-800-03	200.00	(+) 81.98
179			4700-18-800-22	2095.58	(-)221.65
180			4700-52-800-03	113.99	(+)223.06
181			4700-54-800-03	900.76	(+)255.97
182			4700-55-800-03	500.00	(+)106.45
183			4700-59-800-03	80.70	(+)181.21
184			4700-60-800-03	771.91	(-) 214.56
185			4700-69-800-03	100.00	(-) 17.21
186			4700-81-800-03	953.21	(+)100.01
187			4700-82-800-03	47.01	(+)8.05
188			4700-83-800-03	150.00	(+)252.96
189			4701-40-800-03	143.20	(+)51.85
190			4701-43-800-03	858.00	(-)49.03
191			4701-46-800-03	71.66	(+)94.98
192			4701-51-800-03	54.36	(+) 11.37
193			4701-52-800-03	231.25	(-) 65.56
194			4702-101-04	1321.37	(+) 828.40
195			4702-102-03	682.70	(+) 59.68
196			4711-01-103-01	230.00	(-)205.48
197			4711-01-103-03	1,808.27	(+)1119.59
198			4711-01-103-06	772.51	(-)351.45
199			4711-01-103-09	600.01	(+)151.19
200			4711-01-103-23	1,594.47	(+)132.96
201			4711-01-103-29	749.01	(+)81.69
202			4700-30-800-03	95.00	(+) 8.65
203			4700-38-800-03	280.78	(+)0.94
204			4700-64-800-03	100.00	(+)109.11
205			4700-64-800-05	96.93	(-) 129.19
206			4711-01-08	553.80	(+)578.10
207			4711-01-11	791.00	(-) 300.97
208			4711-03-103-11	100.00	(-) 499.63
; lxx				25,43,00.92	(+)16,36,56.71 (-) 6,70,73.18

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ 42)

वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अधिक मात्रा में अभ्यर्पण

द० I ; k	vupku dk 'k'k'kd , oal ; k	; ktuk dk uke (y[k 'k'k)	i ko/kku (y[k #i ; se)	vH; fi r /kujk'k (y[k #i ; se)	vH; iZk dh ifr'krrk
1	4- उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	खनिज निधियों के लिए प्रबन्ध (2853-02-004-05)	800.00	800.00	100
2		विकास निधि को स्थानान्तरित (2853-797-03)	800.00	800.00	100
3	5- उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का संगठन (2851-105-07)	55.00	55.00	100
4		पी डी एस एवं क्यू एस योजना (2851-105-25)	20.00	20.00	100
5		प्रवीणता सुधार प्रशिक्षण (2851-105-26)	30.00	30.00	100
6	6- उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	पावरलूम क्षेत्र के विकास के लिए योजना (2851-103-10)	467.50	467.50	100
7		केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना (2851-103-01)	3122.01	2292.02	73
8	9- ऊर्जा विभाग	राज्य विद्युत् उत्पादन लिमिटेड में अंश पूंजी निवेश, (4801-02-190-05)	2300	2300	100
9		राज्य विद्युत् उत्पादन लिमिटेड में अंश पूंजी निवेश, (4801-02-190-10)	38600.00	19300.00	50
10		राज्य विद्युत् उत्पादन लिमिटेड अनापार (4801-02-190-14)	115600.00	72600.00	62
11		विद्युत् निगम में अंश पूंजी निवेश (4801-05-190-05)	10000.00	10000.00	100
12		ऊर्जा निगम में अंश पूंजी निवेश (4801-06-190-03)	165000.00	113469.25	69
13	10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	औद्योगिक निगम बीमा (2401-110-03)	200	200	100
14		औद्योगिक आंकड़ों के आधार पर उत्पत्ति (2411-111-03)	122.00	122.00	100
15		खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र (4401-800-03),	20.00	20.00	100
16		खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र को बढ़ावा (4401-800-04)	50.00	50.00	100
17	11- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	प्रमाणित बीज उत्पत्ति कार्यक्रम (2401-103-07)	3691.49	3691.49	100
18		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (24012-103-08)	879.41	831.49	95
19		निजी क्षेत्रों में पूर्व सेवाओं का विकास (2401-109-06)	6000.00	5271.70	88
20		विविध कृषि सहायता योजना - II (2401-109-97)	1732.00	1732.00	100
21		कृषि सांख्यिकी एवं प्रबन्धन के लिए अनुसंधान/परिकल्प (2401-111-04)	224.96	130.76	58
22		सांख्यिकी के बैंक आंकड़ें एवं फसल उत्पादन (2401-111-05)	557.59	303.51	54

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

23		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2401-119-03)	6039.50	4818.58	80
24		केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना (2401-800-01)	445.19	445.19	100
25		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2402-103-05)	200.00	100.00	50
26		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2403-102-03)	373.00	373.00	100
27		कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्यक्रम (2415-120-23)	2500.00	1940.00	78
28		कृषि विस्तार योजना (2415-120-24)	500.00	500.00	100
29		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2851- 107-03)	742.40	742.40	100
30		केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना (4401-102-01)	964.26	945.50	98
31		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (4401-103-06)	458.50	458.50	100
32		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (4401-800-03)	2460.00	2460.00	100
33		मृदा स्वास्थ्य का सुदृढीकरण (4402-102-03)	892.00	892.00	100
34		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (4402-102-04)	1000.00	683.49	68
35		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (4403-101-03)	3000.00	3000.00	100
36		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (4404-102-03)	2500.00	2500.00	100
37	13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना (2702-800-01)	256.70	213.19	83
38	(ग्राम्य विकास)	तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ (2702-800-05)	56.97	56.97	100
39		अनुसंधान एवं परिकल्प प्रकोष्ठ (2702-800-06)	64.39	64.39	100
40	19- कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	बकायों का भुगतान (2052-800-03)	21.18	17.02	80
41		कुशल नियंत्रण के लिए केन्द्र (2070-800-04)	50.00	49.26	99
42	21- खाद्य एवं रसद विभाग	बकायों का भुगतान (2052-800-03)	1600.82	1011.52	63
43	26-गृह विभाग (पुलिस)	पुलिस पुनर्गठन आयोग (2055-800-07)	100.36	82.10	82
44		राज्य आयोग एवं समिति (2070-105-03)	125.42	107.69	86
45		उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद् (2070-800-05)	71.32	59.00	82
46		अनावासीय भवन (पुलिस बल का आधुनिकीकरण) (4055-207-05)	6000.00	3001.15	50

47		पुलिस विभाग के आवासीय भवन (4055-211-06)	5120.00	4107.88	80
48		आवासीय/अनावासीय भवन (4055-211-08)	100.00	100.00	100
49	27- गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	अनावासीय भवन (4070-800-05)	885.00	654.77	74
50		होमगार्ड का आधुनिकीकरण (4070-800-06)	76.81	66.65	87
51	28- गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	स्मारकों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (2251-200-05)	30.00	21.58	72
52	38- नागरिक उड्डयन विभाग	भूमि अध्याप्ति तथा हवाई पट्टी का निर्माण आदि (5053-800-20)	4499.98	3499.98	78
53		हेलीकाप्टर/हवाई जहाज की विशेष मरम्मत (5053-800-04)	1400.00	886.75	63
54	40-नियोजन विभाग	बकायों का भुगतान (2052-800-03)	652.91	328.49	50
55	41-निर्वाचन विभाग	बकायों का भुगतान (2052-800-03)	129.82	69.78	54
56	42- न्याय विभाग	भवनों का रख-रखाव (2014-800-05)	80.00	80.00	100
57		आवासीय भवनों का रख-रखाव (2014-800-06)	50.00	50.00	100
58		बकायों का भुगतान (2052-800-03)	5283.13	5283.13	100
59		लोक अदालत (2235-200-05)	434.13	434.13	100
60		बकायों का भुगतान (2052-800-03)	818.46	589.02	72
61		केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना (4059-051-01)	18100.01	12318.28	68
62		ए जी कार्यालय/स्टैन्डिंग काउन्सिल का भवन (4059-051-03)	450.00	450.00	100
63		माननीय उच्च न्यायालय में निर्माण (4059-051-04)	74.50	50.25	67
64		न्यायिक प्रशासन के लिए आवास (4216-700-03)	500.01	412.72	83
65	44- पर्यटन विभाग	शिल्प ग्राम आगरा का संचालन (3452-104-09)	246.00	241.54	98
66		वाह्य सहायता योजना (3452-800-97)	100.00	100.00	100
67		विभिन्न पर्यटन स्थानों का विकास (5452-104-11)	100.00	100.00	100
68		जिला कन्नौज की योजना (5452-104-12)	27.17	27.17	100
69		सड़क किनारे सुविधाओं का निर्माण (5452-104-17)	100.00	100.00	100
70		लखनऊ हाट की स्थापना (5452-104-19)	300.00	300.00	100
71		विभिन्न पर्यटन कार्य (5452-104-81)	500.00	459.26	92
72		वाह्य सहायता योजना (5452-800-97)	900.00	900.00	100

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

73	46- प्रशासनिक सुधार विभाग	बकायों का भुगतान (2052-800-03)	48.83	43.07	88
74	48- मुस्लिम वक्फ विभाग	केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना (4235-800-01)	20000.00	14137.71	71
75	50- राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	भूमि क्रय के साथ कार्यालय भवन (4059-051-03)	3450.00	1734.59	50
76		भूमि क्रय के साथ कार्यालय भवन (4216-106-08)	575.00	392.78	68
77	51- राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	दैवी आपदाओं के संबंध में स्थापना (2052-090-03)	30.80	26.55	86
78		राज्य आपदा अनुक्रिया निधि को स्थानान्तरित (2245-102-03)	250.00	250.00	100
79		जिला आपदा अनुक्रिया निधि को स्थानान्तरित (2245-102-04)	250.00	250.00	100
80		राज्य आपदा लघु निधि को स्थानान्तरित (2245-102-05)	250.00	250.00	100
81		जिला आपदा लघु निधि को स्थानान्तरित (2245-102-06)	250.00	250.00	100
82		बुन्देलखण्ड में पूंजीगज कार्य, अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्र (4575-800-03)	10000.00	8475.12	85
83	58- लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क)	पी0पी0 प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी गैप फण्डिंग योजनायें (5054-337-68)	2000.00	2000.00	100
84	61- वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	द्वास संचित निधि पर ब्याज (2049-101-03)	9000.00	8000.00	89
85		अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भवन निर्माण अग्रिम (7610-201-03)	100.00	86.50	87
86	62- वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तों तथा पेंशने)	रुग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए ऋण (6075-800-03)	10000.00	5301.96	53
87	68-विधान सभा सचिवालय	विधान सभा सदस्यों के उपचार हेतु रिवाल्विंग फण्ड (6210-800-03)	40.00	40.00	100
88	70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना (2810-800-01)	449.50	449.50	100
89	73- शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार (2202- 102-47)	1200.00	649.96	54
90		ब्यूरो/ गाइडेन्स/प्लेसमेन्ट का नियोजन (2202- 102-48)	100.00	100.00	100
91		राजकीय महाविद्यालय की स्थापना (2202- 103-06)	282.95	273.01	96
92		अशासकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधायें (2202- 104-29)	1000.00	1000.00	100
93		उच्च शिक्षा सेवा आयोग (2202- 800-03)	375.70	340.70	91
94		बकायों का भुगतान (2202- 800-05)	8607.02	8577.60	100
95		क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण (4202-203-06)	500.00	421.86	84
96		राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थान (4202- 203-07)	200.00	200.00	100
97		राजकीय महाविद्यालयों में साज-सज्जा	50.00	50.00	100

98		राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधायें (4202- 203-15)	300.00	215.78	72
99	76- श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	औद्योगिक प्रबन्धन आदि का विस्तार (2230-101-05)	37.43	26.45	71
100		केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना (2230-103-01)	1555.00	1515.30	97
101	78- सचिवालय प्रशासन विभाग	भारत सरकार के आयकर बकायों का राज्य द्वारा वहन किया जाना (2013-101-04)	25.00	20.18	81
102		सचिवालय में सी0सी0टी0वी0/सर्विलान्स कैमरा आदि (4059-800-04)	481.83	481.83	100
103		सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण (4070-800-03)	2000.00	2000.00	100
104	81- समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	बकायों का भुगतान (2052-800-03)	79.58	61.70	78
105		मुख्यालयों की स्थापना (2225-001-03)	137.08	77.25	56
106		जिला कार्यालय की स्थापना (2225-001-04)	113.28	86.71	77
107		अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम टाइप स्कूल (2225-277-04)	397.72	204.33	51
108		आई0टी0डी0पी0 का क्रियान्वयन (2225-796-05)	94.64	54.94	58
109		केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना (4225-277-01)	300.00	300.00	100
110		अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण (4225-277-03)	200.48	200.48	100
111		केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना (4250-203-01)	380.00	380.00	100
112	86- सूचना विभाग	दीर्घा एवं मूर्तियों की स्थापना (4059-051-03)	100.00	100.00	100
113	92- संस्कृति विभाग	संग्रहालयों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण (4202-106-05)	150.00	125.70	84
114		जिला कुशीनगर में मैट्रैई प्रोजेक्ट के लिए भूमि (4202-106-12)	1000.00	735.53	74
115		नक्षत्रशाला/खुले मंच का निर्माण (4202-800-03)	50.00	50.00	100
116		अयोध्या में शिल्प ग्राम का निर्माण (4202-800-04)	50.00	50.00	100
			498113.74	350626.14	

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 42)

वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण (50 लाख रुपये या अधिक)

(करोड़ रुपये में)

Øe l ; k	vuqku@fofu; kx dk uke , oal ; k	dy vuqku@fofu; kx	cor	vh; fi r /kujkf'k	vh; fi r vf/kd /kujkf'k
jktLo&nRrer					
1	4-उद्योग विभाग (खाने एवं खनिज)	28.32	15.87	16.58	0.71
2	6- उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	46.05	3.29	27.60	24.31
3	10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	170.86	19.73	20.39	0.66
4	13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1651.72	13.37	31.87	18.50
5	26-गृह विभाग (पुलिस)	4096.75	64.74	99.91	35.17
6	27- गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	269.95	1.91	3.65	1.74
7	28- गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	89.59	5.43	8.64	3.21
8	41- निर्वाचन विभाग	95.98	5.86	7.65	1.79
9	42- न्याय विभाग	587.74	157.09	158.17	1.08
10	44- पर्यटन विभाग	18.57	3.66	5.27	1.61
11	73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	971.23	164.51	178.39	13.88
12	89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	301.72	18.57	20.77	2.20
	; kx	8328.48	474.03	578.89	104.86
it hxr&nRrer					
13	26- गृह विभाग (पुलिस)	307.83	69.62	73.93	4.31
14	38- नागरिक उद्‌डयन विभाग	115.80	42.70	43.87	1.17
15	42- न्याय विभाग	207.50	111.16	135.43	24.27
16	44- पर्यटन विभाग	69.65	26.45	27.05	0.60
17	51-राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	100.00	70.07	84.75	14.68
	; kx	800.78	320.00	365.03	45.03
	dy ; kx	9129.26	794.03	943.92	149.89

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ 42)

अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिनमें बचतें हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया

क्र.सं.	विवरण	अनुदान (करोड़ रुपये)	
		2014-15	2015-16
I - वृद्धि			
1	1-आबकारी विभाग	5.85	0.07
2	2-आवास विभाग	8.86	6.17
3	3-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	-	0.60
4	7-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	138.96	22.75
5	8- उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	8.83	7.34
6	14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	379.24	60.28
7	15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	24.08	71.48
8	16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	27.88	1.98
9	22-खेल विभाग	1.61	3.28
10	24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	-	165.28
11	31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	96.46	3.65
12	32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	369.50	122.79
13	33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	52.41	3.88
14	34-चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	21.50	2.06
15	36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	74.09	-
16	43-परिवहन विभाग	-	0.40
17	45-पर्यावरण विभाग	85.69	80.65
18	47-प्राविधिक शिक्षा विभाग	59.31	33.96
19	49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	138.16	59.53
20	52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	-	13.65
21	53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1.44	-
22	54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	496.58	-
23	56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	2.63	-
24	71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	646.22	-
25	72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	202.21	15.17
26	75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	13.19	1.30
27	77-श्रम विभाग (सेवायोजन)	6.60	-
28	79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	-	9.09
29	80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	42.93	-
30	83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	470.38	399.73
31	87-सैनिक कल्याण विभाग	10.58	0.03
32	88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	26.91	-
33	90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर)	1.87	-

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

34	91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	3.61	-
35	95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	78.65	2.17
	; lsk	3496.23	1087.29
II- fofu; lsk			
1	1-आबकारी विभाग	0.10	-
2	15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.13	-
3	21-खाद्य तथा रसद विभाग	205.01	-
4	32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.20	-
5	36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.01	-
6	47-प्राविधिक शिक्षा विभाग	0.01	-
7	49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.10	-
8	52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.16	-
9	53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.01	-
10	54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	-
11	95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.50	-
12	96-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	-	0.70
	; lsk	206.27	0.70
	dy ; lsk	3,702.50	1,087.99
	jktLo ,oai t hxr dk ; lsk	4790.49	

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ 42)

अभ्यर्पित न की गई एक करोड़ रुपये एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित	वर्तमान	अंतर
1	2	3	4	5
जिला स्तर				
1	1-आबकारी विभाग	5.85	शून्य	5.85
2	2-आवास विभाग	8.86	शून्य	8.86
3	3-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	13.10	0.19	12.91
4	7-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	138.96	शून्य	138.96
5	8-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	8.83	शून्य	8.83
6	9- ऊर्जा विभाग	302.76	0.23	302.53
7	11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	460.99	451.60	9.39
8	12- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	5.15	3.69	1.46
9	14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	379.24	शून्य	379.24
10	15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	24.08	शून्य	24.08
11	16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	27.88	शून्य	27.88
12	17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	43.64	शून्य	43.64
13	21-खाद्य एवं रसद विभाग	129.42	23.32	106.10
14	22-खेल विभाग	1.61	शून्य	1.61
15	23- गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	14.23	10.51	3.72
16	24- गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	124.80	1.10	123.70
17	31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	96.46	शून्य	96.46
18	32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	369.50	शून्य	369.50
19	33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	52.41	शून्य	52.41
20	34-चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	21.50	शून्य	21.50
21	35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	56.25	49.76	6.49
22	36- चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	74.09	शून्य	74.09
23	37- नगर विकास विभाग	300.97	175.17	125.80
24	40-नियोजन विभाग	32.71	3.44	29.27
25	45-पर्यावरण विभाग	85.69	शून्य	85.69
26	47-प्राविधिक शिक्षा विभाग	59.31	शून्य	59.31
27	48-मुस्लिम वक्फ विभाग	279.40	265.55	13.85
28	49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	138.16	शून्य	138.16
29	51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	57.67	10.27	47.40
30	52- राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	64.99	13.28	51.71

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

31	53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1.44	शून्य	1.44
32	54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	496.58	शून्य	496.58
33	56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	2.63	शून्य	2.63
34	61- वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	1278.98	200.58	1078.40
35	65- वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि.)	8.89	1.47	7.42
36	71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	646.22	शून्य	646.22
37	72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	202.21	शून्य	202.21
38	75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	13.19	शून्य	13.19
39	77-श्रम विभाग (सेवायोजन)	6.60	शून्य	6.60
40	80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	42.93	शून्य	42.93
41	83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	470.38	शून्य	470.38
42	86-सूचना विभाग	46.17	4.59	41.58
43	87-सैनिक कल्याण विभाग	10.58	शून्य	10.58
44	88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	26.91	शून्य	26.91
45	90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर)	1.87	शून्य	1.87
46	91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	3.61	शून्य	3.61
47	95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	78.65	शून्य	78.65
	; कु	6716.35	1214.75	5501.60
निर्णय				
1	2- आवास विभाग	6.17	शून्य	6.17
2	7-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	22.75	शून्य	22.75
3	8-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	7.34	शून्य	7.34
4	11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	154.60	152.14	2.46
5	14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	60.28	शून्य	60.28
6	15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	71.48	शून्य	71.48
7	16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	1.98	शून्य	1.98
8	22-खेल विभाग	3.28	शून्य	3.28
9	24- गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	165.28	शून्य	165.28
10	31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	3.65	शून्य	3.65
11	32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	122.79	शून्य	122.79
12	33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	3.88	शून्य	3.88
13	34-चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	2.06	शून्य	2.06
14	35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4.09	0.01	4.08
15	45-पर्यावरण विभाग	80.65	शून्य	80.65
16	47-प्राविधिक शिक्षा विभाग	33.96	शून्य	33.96
17	49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	59.53	शून्य	59.53

18	52- राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	13.65	शून्य	13.65
19	56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	21.86	8.22	13.64
20	61- वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	21.69	7.81	13.88
21	72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	15.17	शून्य	15.17
22	73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	18.97	17.13	1.84
23	75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	1.30	शून्य	1.30
24	79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	9.09	शून्य	9.09
25	83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	399.73	शून्य	399.73
26	95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2.17	शून्य	2.17
		; kx	1,307.40	185.31
jktLo Hkfj				
1	21-खाद्य एवं रसद विभाग	205.01	शून्य	205.01
2	61- वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	124.66	85.40	39.26
		; kx	329.67	85.40
iwthxr Hkfj				
1	58- लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क)	2.75	0.83	1.92
		; kx	2.75	0.83
		dy ; kx	8,356.17	1,486.29
				6,869.88

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ 42)

30 एवं 31 मार्च 2009 को 10 करोड़ रुपये से अधिक निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

Øe I ;k	vunku I ;k	e; 'h'k	vH; iZk dh /kujk'k	dy iko/kku dh ifr'krk
jktLo nRrer				
1	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	16.58	59
2	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	27.60	60
3	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	20.39	12
4	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	451.60	19
5	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	31.87	02
6	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	25.94	17
7	21	खाद्य एवं रसद विभाग	23.32	14
8	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	10.51	10
9	26	गृह विभाग (पुलिस)	99.91	02
10	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	49.76	06
11	37	नगर विकास विभाग	175.17	06
12	42	न्याय विभाग	158.17	27
13	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	265.55	38
14	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	10.27	01
15	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	13.28	01
16	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क)	29.91	02
17	60	वन विभाग	10.01	04
18	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	200.58	04
19	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	178.39	18
20	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	18.22	14
21	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	31.49	12
22	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	13.43	33
23	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	20.77	07
		; kx	1882.72	
i t h r n R r e r				
24	9	ऊर्जा विभाग	2176.69	28
25	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	152.14	48
26	26	गृह विभाग (पुलिस)	73.93	24
27	37	नगर विकास विभाग	11.44	06
28	38	नगरिक उद्‌डयन विभाग	43.87	38
29	42	न्याय विभाग	135.43	65

30	44	पर्यटन विभाग	27.05	39
31	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	167.89	74
32	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	21.27	13
33	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	84.75	85
34	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क)	23.35	01
35	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन)	53.02	53
36	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	17.13	46
37	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	24.82	100
38	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	11.10	89
39	92	संस्कृति विभाग	10.68	05
			; lsc	3,034.56
jktLo Hkfj r				
40	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	85.40	01
			; lsc	85.40
it hxr Hkfj r				
41	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	10001.13	66
			; lsc	10001.13
			dy ; lsc	15,003.81

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ : प्रस्तर 2.4; पृष्ठ 43)

वर्ष 2008-09 तक लम्बित आकस्मिक बिल सार

(करोड़ रुपये में)

Øe l ; k	fu; æ .k vf/kdkfj ; ka dsuke	vkdfled fcy l kj dh l ; k	/kujkf'k
1	मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर	3	1.77
2	मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर	7	1.09
3	मुख्य विकास अधिकारी, ललितपुर	2	2.00
4	मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी	1	2.38
5	सेनानायक पी0ए0सी0, 35 ^{वीं} वाहिनी	303	5.24
6	आयुक्त, इलाहाबाद	3	29.08
7	उप वन संरक्षक, हमीरपुर	3	1.89
8	उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत निदेशालय, लखनऊ-2	249	1.21
9	उप महानिरीक्षक, मुख्यालय, इलाहाबाद	5	12.05
10	निदेशक, खान एवं खनिज, लखनऊ-2	322	1.28
11	निदेशक, नागरिक उड्डयन, लखनऊ-2	249	10.23
12	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, लखनऊ-2	144	5.34
13	जिला अल्पसंख्यक समुदाय कल्याण अधिकारी, उन्नाव	7	1.65
14	जिला सेवायोजन अधिकारी, उन्नाव	31	1.10
15	जिला आबकारी अधिकारी, पडरौना	64	1.52
16	जिला विद्यालय निरीक्षक, हमीरपुर	8	1.13
17	जिला अधिकारी, राजस्व विभाग, मैनपुरी	14	1.91
18	जिला अधिकारी, राजस्व विभाग, हमीरपुर	35	17.20
19	जिला अधिकारी, राजस्व विभाग, प्रतापगढ़	28	3.61
20	जिला अधिकारी, ललितपुर	1	3.08
21	जिला अधिकारी, हाथरस	18	4.88
22	जिला पंचायतराज अधिकारी, अलीगढ़	5	1.01
23	जिला पंचायतराज अधिकारी, गाजीपुर	3	6.63
24	जिला निबंधन अधिकारी, महिला एवं बाल कल्याण, इलाहाबाद-2	43	6.23
25	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला कल्याण, फतेहगढ़	7	1.34
26	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला कल्याण, हमीरपुर	9	1.08
27	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला कल्याण, बाँदा	17	3.67
28	जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ-2	102	6.54
29	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ	918	19.20
30	अनु सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, लखनऊ-2	1351	2.54
31	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ-2	94	1.37
	; ks	4,046 ¹	159.25 ²

¹समाधान के अंतर्गत

²समाधान के अंतर्गत

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ : प्रस्तर 3.1; पृष्ठ 49)

31 मार्च 2009 को अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र

(धनराशि : लाख रुपये में)

Ø- I a	foHkx	vuqku ds Hkqrku dk o"z	dy Hkqrkfu vuqku		miHkx çek.k i =				miHkx çek.k i =k ds vo'kšk jgus dk dkj.k
			I ५; k	/kujkf'k	çkr		vo'kšk		
					I ५; k	/kujkf'k	I ५; k	/kujkf'k	
1	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2006-07	20	63.97	01	27.87	19	36.10	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2007-08	28	63.97	10	20.90	18	43.07	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
2	खेल विभाग	2007-08	2	450.92	000	000	02	450.92	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
3	विज्ञान एवं तकनीकी विभाग (विज्ञान एवं तकनीकी परिषद)	2007-08	3	2592.59	2	1042.00	1	1550.59	वैयक्तिक लेखे खाते में अव्ययित पड़ा रहा
4	व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग	2007-08	9	5335.00	000	000	9	5335.00	अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
5	नगरीय विकास विभाग (नगर विकास)	2007-08	8	1426.09	07	1015.09	01	411.00	वैयक्तिक लेखे खाते में अव्ययित पड़ा रहा
6	नगरीय विकास विभाग (स्थानीय निकाय)	2007-08	1254	10340.00	273	5550.02	981	4789.98	अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
7	नगरीय विकास विभाग (उत्तर प्रदेश जल निगम)	2007-08	उप. नहीं	18681.68	उप. नहीं	शून्य	उप. नहीं	18681.68	अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
8	नगरीय आवासीय योजना विभाग	2007-08	उप. नहीं	46670.21	उप. नहीं	46170.21	उप. नहीं	500.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
9	चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ)	2007-08	11	8789.00	9	6089.77	2	2699.23	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
10	चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (उत्तर प्रदेश ग्रामीण परास्नातक चिकित्सा विज्ञान संस्थान, सैफई, इटावा।	2007-08	उप. नहीं	9356.53	उप. नहीं	शून्य	उप. नहीं	9356.53	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
11	चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (डा. राम मनोहर लोहिया चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ)	2007-08	उप. नहीं	4500.00	उप. नहीं	शून्य	उप. नहीं	4500.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
12	चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	2007-08	उप. नहीं	17244.00	उप. नहीं	2142.17	उप. नहीं	15101.83	वैयक्तिक लेखे खाते में अव्ययित पड़ा रहा
13	समाज कल्याण विभाग	2007-08	70	12960.20	70	12852.93	000	107.27	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
14	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति विकास)	2007-08	49	865.30	25	461.12	24	404.18	अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
15	भाषा विभाग	2007-08	उप. नहीं	183.83	उप. नहीं	172.63	उप. नहीं	11.20	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

16	दुग्ध विकास विभाग	2006-07	उप. नहीं	6300.17	उप. नहीं	6270.63	00	29.54	अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
		2007-08	870	11656.27	उप. नहीं	9029.75	उप. नहीं	2626.52	
17	गृह विभाग (सचिव, मानवाधिकार आयोग)	2007-08	12	45.12	12	39.35	उप. नहीं	5.77	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
18	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध कार्यकलाप विभाग (मत्स्य)	2007-08	140	60381.00	90	40439.10	50	19941.90	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
19	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध कार्यकलाप विभाग (सहकारी समितियाँ)	2007-08	19	6472.80	17	4898.45	02	1574.35	अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
20	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग (चीनी)	2001-02	000	000	000	000	89	679.10	अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
		2005-06	88	12609.00	87	6609.00	01	6000.00	
		2006-07	97	16100.97	95	14698.97	02	1402.00	
21	उद्योग विभाग (हथकरघा)	2004-05	438	4459.61	उप. नहीं	3959.61	उप. नहीं	500.00	अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
		2005-06	782	2340.27	385	903.09	397	1437.18	
		2007-08	370	727.39	102	351.89	268	375.50	
22	परिवहन विभाग	1998-99	02	73.75	01	25.24	01	48.51	अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
23	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (नेडा)	2006-07	18	1659.04	10	1539.33	08	119.71	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2007-08	9	718.80	5	620.02	4	98.78	
24	सूचना विभाग	2006-07	18	194.86	06	100.89	12	93.97	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2007-08	2	55.00	1	25.00	1	30.00	
25	उद्योग विभाग	2006-07	62	16820.67	58	15784.58	04	1036.09	अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
26	उद्योग विभाग (वृहद एवं मध्यम उद्योग)	2007-08	15	969.30	13	868.96	2	100.34	अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
27	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात उन्नयन)	2007-08	12	1342.81	7	771.81	5	571.00	अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
28	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2007-08	6	522.41	शून्य	शून्य	6	522.41	अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
29	लघु सिंचाई विभाग	2007-08	उप. नहीं	20422.74	उप. नहीं	20328.25	उप. नहीं	94.49	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
; lxx							1909	101265.74	

उप. नहीं - उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ : प्रस्तर 3.2; पृष्ठ 50)

स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन का सार

क्र. सं.	निकाय का नाम	स्थापना वर्ष	कार्य शुरू होने का वर्ष	कार्य समाप्त होने का वर्ष	कार्य निष्पादन का स्थिति	कार्य समाप्त होने का वर्ष	कार्य निष्पादन का अवधि
1	जल संस्थान, झांसी	2001-10	2007-08	2007-08	-	2008-09	3 माह
2	जल संस्थान, इलाहाबाद	2001-10	2007-08	2005-06 ¹	-	2008-09	3 माह
3	जल संस्थान, आगरा	2001-10	2004-05	2004-05	-	2005-09	3-39 माह
4	जल संस्थान, वाराणसी	2001-10	2007-08	2007-08	-	2008-09	3 माह
5	जल संस्थान, कानपुर	2001-10	2006-07	2006-07	-	2007-09	3-15 माह
6	जल संस्थान, चित्रकूट धाम, बांदा	2001-10	2007-08	2006-07 ²	-	2008-09	3 माह
7	जल संस्थान, लखनऊ	2001-10	2006-07	2006-07	-	2007-09	3-15 माह
8	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ	2004-14	2005-06	2005-06	2003-04 का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 19 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत की गयी	2006-09	3-27 माह

¹वर्ष 2006-07 और 2007-08 की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रक्रिया में है।²वर्ष 2007-08 की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रक्रिया में है।

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ : प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 50)

विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखों को तैयार करने एवं निवेशों का विवरण

Ø- l a	mi Øe dk uke	ys [k v k a d h i w k r k dk o "k	foxr ys [k s d s v u d k j fuos k % d j k l + # i ; s e s k
fl pkbZ foHkx			
1	आई. डब्ल्यू. डी. मेरठ	2006-07	0.23
2	आई. डब्ल्यू. डी. झांसी	2007-08	0.64
3	आई. डब्ल्यू. डी. बरेली	2007-08	2.03
4	आई. डब्ल्यू. डी. कानपुर	2007-08	0.21
5	आई. डब्ल्यू. डी. इलाहाबाद	2007-08	1.87
6	आई. डब्ल्यू. डी. गोरखपुर	2007-08	1.53
i 'kij kyu foHkx			
7	राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म	2006-07	7.02
[k k] , oa u k x f j d v k i f r z foHkx			
8	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2005-06	531.10
LokLF; foHkx			
9	स्टेट फार्मसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1987-88	0.09
l ekt dY; k.k foHkx			
10	क्रीमिनल ट्राइब्स सेटलमेंट टेलरिंग फैक्ट्री, कानपुर	1979-80	0.04

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ : प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 51)

दुर्विनियोग, गबन आदि के विभागावार/वर्षवार प्रकरणों का विघटन (जिनमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2009 तक लम्बित थी)

(कोष्ठक में आंकड़े लाख रुपये में)

क्र. सं.	वर्ग	5 वर्ष	5-10 वर्ष	10-15 वर्ष	15-20 वर्ष	20-25 वर्ष	25 वर्ष से अधिक	कुल
1	कृषि	-	3 (8.91)	-	2 (0.34)	-	-	5 (9.25)
2	पशुपालन	-	2 (3.46)	5 (1.09)	5 (1.58)	3 (0.41)	1 (0.02)	16 (6.56)
3	सहकारिता	-	-	2 (1.85)	-	1 (0.44)	-	3 (2.29)
4	शिक्षा	2 (102.27)	-	1 (5.00)	-	-	-	3 (107.27)
5	वित्त	-	-	-	1 (0.67)	-	-	1 (0.67)
6	मत्स्य	-	-	1 (0.02)	4 (2.18)	2 (1.00)	-	7 (3.20)
7	खाद्य एवं आपूर्ति	1 (3.06)	-	-	4 (16.42)	4 (9.30)	-	9 (28.78)
8	सिंचाई	16 (0.71)	9 (0.49)	27 (14.08)	-	-	-	52 (15.28)
9	न्याय	1 (4.44)	-	-	-	1 (0.66)	-	2 (5.10)
10	भूमि अध्याप्ति	-	-	-	-	-	3 (331.44)	3 (331.44)
11	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	-	-	3 (5.80)	5 (3.24)	9 (10.02)	-	17 (19.06)
12	पुलिस	1 (4.00)	-	-	1 (1.21)	1 (0.60)	3 (2.94)	6 (8.75)
13	पी. ए. सी.	---	-	1 (47.48)	-	1 (0.51)	-	2 (47.99)
14	पी. डब्ल्यू. डी.	8 (103.03)	1 (0.98)	-	-	-	-	9 (104.01)
15	राजस्व	-	1 (1.72)	-	-	3 (1.86)	1 (4.56)	5 (8.14)
16	ग्राम्य विकास	-	-	3 (1.65)	-	5 (0.91)	4 (1.28)	12 (3.84)
17	समाज कल्याण	-	-	1 (0.25)	-	-	2 (0.70)	3 (0.95)
18	प्राविधिक शिक्षा	-	1 (11.59)	-	-	-	-	1 (11.59)
19	बाट एवं माप	-	-	-	-	1 (1.01)	-	1 (1.01)
20	उद्यान	1 (3.59)	-	-	-	-	-	1 (3.59)
	; लख	30 (221.10)	17 (27.15)	44 (77.22)	22 (25.64)	31 (26.72)	14 (340.94)	158 (718.77)

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ : प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 51)

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के कारण सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभाग/श्रेणीवार विवरण

foHkx dk uke	pljh ds çdj .k		l jdkjh l kefxz; ka dh nfoZu; ks@gkfu		; ksx	
	çdj .ka dh l [;k	/kujkf'k %y[k[k #i;se#	çdj .ka dh l [;k	/kujkf'k %y[k[k #i;se#	çdj .ka dh l [;k	/kujkf'k %y[k[k #i;se#
कृषि	2	1.63	3	7.62	5	9.25
पशुपालन	11	1.79	5	4.77	16	6.56
सहकारिता	2	2.12	1	0.17	3	2.29
शिक्षा	1	5.00	2	102.27	3	107.27
वित्त	-	-	1	0.67	1	0.67
मत्स्य	2	1.00	5	2.20	7	3.20
खाद्य आपूर्ति	-	-	9	28.78	9	28.78
सिंचाई	45	2.61	7	12.67	52	15.28
न्याय	-	-	2	5.10	2	5.10
भूमि अध्याप्ति	-	-	3	331.44	3	331.44
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	13	14.68	4	4.38	17	19.06
पुलिस	-	-	6	8.75	6	8.75
पी. ए. सी.	-	-	2	47.99	2	47.99
पी. डब्ल्यू. डी.	3	1.63	6	102.38	9	104.01
राजस्व	-	-	5	8.14	5	8.14
ग्राम्य विकास	6	1.52	6	2.32	12	3.84
समाज कल्याण	-	-	3	0.95	3	0.95
प्राविधिक शिक्षा	-	-	1	11.59	1	11.59
बाट एवं माप	1	1.01	-	-	1	1.01
उद्यान	-	-	1	3.59	1	3.59
; ksx	86	32.99	72	685.78	158	718.77

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ : प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 51)

वर्ष 2008-09 के विभागवार अपलेखित किए गए प्रकरणों का विस्तृत विवरण

Ø- l a	folKx dk uke	çdj.k dls vi yŃku grq LohŃr djus okyk çkf/kdkjh	l Ńkr foj.k	çdj.k dh l Ńk	/kujkf'k Ńi ; seŃ
1	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	उत्तर प्रदेश शासन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर कारखाना जिला देवरिया कार्यालय में अनजान व्यक्तियों द्वारा 2 फरवरी 1990 को 41,444 रुपये लूट लिये गये। यह धनराशि कोषागार से जनवरी 1990 के वेतन एव अन्य भत्तों के रूप में बांटने हेतु आहरित की गयी थी।	एक	41,444

शब्दावली

गणना का आधार

in	x.luk dk vk/kj
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (एक्स) की उत्प्लावकता अन्य प्राचल (वाई) के संदर्भ में	प्राचल (एक्स) की वृद्धि दर/प्राचल(वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि}/\text{विगत वर्ष की धनराशि})-1]\times 100$
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{विगत वर्ष की राजकोषीय देयतायें} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयतायें})/2] \times 100$
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि - आकलित ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक×ब्याज विस्तार
बकाये ऋण से ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	$\text{प्राप्ति ब्याज} [(\text{प्रारम्भिक अवशेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतिम अवशेष})/2]\times 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + शुद्ध ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी. सी. आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ - लेखाशीर्ष 2048 - ऋण की कमी अथवा परिहार्य हेतु विनियोग के अंतर्गत व्यय को छोड़कर समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेतर व्यय

पदों की व्याख्या

in	0; k[; k
उत्प्लावता अनुपात	आधारभूत चर में दिये गये परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय चर की अनुकूलता अथवा लचीलेपन को दर्शाता है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2008-09 में 0.8 राजस्व प्राप्तियों की ओर 0.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक प्रतिशत की दर से बढ़ती है।
कोर पब्लिक गुड्स एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी सामग्रियाँ जिनका उपभोग सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति करता है एवं किसी व्यक्ति द्वारा उस सामग्री के प्रयोग से दूसरे व्यक्ति को उस सामग्री के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे कानून एवं व्यवस्था का आरोहण, हमारे अधिकारों की संरक्षा एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय सामग्रियाँ तथा सड़क अवसंरचना इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी सामग्रियाँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मुफ्त या सहाय्यतित दरों पर इसलिए उपलब्ध कराये जाते हैं, क्योंकि लोगों अथवा संस्थाओं को उन वस्तुओं की आवश्यकता है तथा जिसके भुगतान के लिए उनके पास न ही क्षमता है और न ही इच्छाशक्ति। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र उन वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देती है। उदाहरणार्थ गरीबों को पोषण प्रदान करने हेतु सहाय्यतित या मुफ्त भोजन को उपलब्ध करना, मृत्यु दर को घटाने एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि।
विकास व्यय	व्ययों के आंकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यों पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूँजीगत परिव्यय एवं ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं में विभाजित किया गया है। वृहद रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर विकास व्यय है।
ऋण एवं संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को परिभाषित करता है एवं संबंधित के ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने, तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थित होगा। बशर्तें प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो। आगणित दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण×दर विस्तार), के आधार पर यदि प्राथमिक घाटा के साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या अंततोगत्वा ऋण में स्थिरता होगी। दूसरी स्थिति में यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाय तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी एवं यदि किसी स्थिति में यह धनात्मक हो तो ऋण - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर - ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती हैं तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी।
उधारी निधियों की निबल उपलब्धता	उधारी निधियों की निबल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधारी निधियों की निबल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है।
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अंतर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) निधियों की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरुद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अंतर्गत बचत या अधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय को विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर मुख्यतया ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं।
राज्य क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य सरकार द्वारा जिसमें कोई संगठन/संस्था, अशासकीय संगठनों को सम्मिलित कर राज्य में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है राज्य क्रियान्वयन अभिकरण होते हैं। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इत्यादि।
आकस्मिक देयतायें	किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन किया/नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
शोधन निधि	सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है।
प्रत्याभूति विमोचन निधि	राज्य के समेकित निधि पर ऋणी जिसके लिए प्रत्याभूति विस्तारित की गयी, ऋणी द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में उत्पन्न आकस्मिक प्रत्याभूति देयतायें होती हैं। प्रत्याभूति विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बकाया प्रत्याभूतियों के प्राप्त न हुए एवं वर्तमान वर्ष में वृद्धिमान प्रत्याभूतियों के प्राप्त न होने वाली धनराशि की स्थिति में उसके कम से कम पांचवें हिस्से के योगदान निधि में होना चाहिए।
आन्तरिक ऋण	भारत में लोगों द्वारा नियमित प्राप्त ऋणों के आंतरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकल ऋण" भी कहा जाता है यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है।
पुनर्विनियोग	मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों पर, रिपोर्ट की जांच करें एवं यह समिति जिसकी जांच करना आवश्यक समझें।

प्रथमाक्षरी

i fkek(kjh)	i wk foLrkj
ए सी बिल	आकस्मिक सार बिल
ए ई	कुल व्यय
बी ई	बजट अनुमान
सी ए जी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सी ई	पूँजीगत व्यय
डी सी सी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल
डी सी आर एफ	ऋण संकलन एवं राहत सुविधा
डी ई	विकास व्यय
एफ सी पी	राजकोषीय सुधार पथ
जी ओ आई	भारत सरकार
जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ आर बी एम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004
आई पी	ब्याज भुगतान
एम टी एफ आर पी एस	मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति विवरण
ओ एण्ड एम	संचालन एवं रख-रखाव
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पी आर आई	पंचायती राज संस्थायें
आर ई	राजस्व व्यय
आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
एस एण्ड डब्ल्यू	वेतन एवं मजदूरी
एस ए आर	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस एस ई	सामाजिक क्षेत्र पर व्यय
टी ई	कुल व्यय
टी एफ सी	बारहवों वित्त आयोग
यू सी	उपभोग प्रमाण-पत्र
यू एल बी	नगरीय स्वायत्त निकाय